राजस्थान विधान सभा

११वीं बैठक, शनिवार, दिनांक १६ मार्च, सन् १६५५ ई०

विधान सभा की बैठक, सभा भवन, जयपुर में ८ बज कर ३७ मिनिट (प्रातः) पर प्रारम्भ हुई

(श्री नरोत्तम लाल जोशी, अध्यक्ष, पदासीन)

आय-व्ययक भाषण पर सामान्य वाद-विवाद (क्रम में)

श्री अध्यक्ष—There will be no Question hour today.

श्री वेदपाल त्यागी—Should I start ?

श्री अध्यक्ष—Yes.

श्री वेदपाल त्यागी—माननीय अध्यक्ष, कल मैं बजट पर अपने विचार व्यक्त करते हुए इस सदन के समक्ष यह निवेदन कर रहा था कि हमारे बजट के सम्बन्ध में यह कहा जाता है कि इसे सोशियल पेटर्न के आधार पर समाजवादी व्यवस्था बनाने के लिये हमने उपस्थित किया है, वह एक कलरलेस बजट है और इस सम्बन्ध में मैंने यह भी निवेदन किया था उस समय कि जिस प्रकार से हम सदन के अन्दर हमारे माननीय सदस्य बहुत लाइटली, जो उन पर चार्ज लगाया जाता है उसका जवाब दे देते हैं, तो मैं आशा करता हूं कि इसका जवाब भी देंगे। यह एक ऐसी चीज है जो हमारी आगे बढ़ती हुई डेमोक्रेसी को रोकने के लिये पर्याप्त है।

मैं अब सदन का ध्यान श्री मथुरादासजी के उस पत्र की तरफ आकर्षित करूंगा जो सदन में प्रस्तुत किया गया है, जिसमें उन्होंने डाइरेक्टर ऑफ एज्युकेशन से यह सिफारिश की है कि इस किताब को जिसका नाम हिन्दी बाल-विनोद है और जिसका कोड नम्बर उस लेटर में दिया है, वह ध्यान में रखी जावे। माननीय अध्यक्ष, सन् १६५१ में जिस वक्त किताबें प्रेस्काइब्ड की गई थीं, उस वक्त अखबारों में बड़ा शोर हुआ था और दूसरे लोगों ने भी शिकायतें की थीं कि इस सम्बन्ध में सरकार की तरफ से बड़ी धांधली होती है, बड़ा पक्षपात होता है, इसलिये सरकार ने यह निश्चित किया कि सन् १६५२-५३ में जो किताबें प्रेस्काइब्ड की जावें, उनके लिये एक रिव्यूअर्स कमेटी मुकर्रर की जाती है और इसको कोई प्रभावित नहीं कर सके। इसके लिये कोड नम्बर बनाये गये और वे कोड नम्बर इस तरह बनाये गये थे कि किसी रिव्यूअर को या पब्लिशर को पता नहीं लग सके और सिर्फ एक आदमी को इन कोड नम्बर्स का पता था, जिसके पास ये कोड नम्बर रखे गये थे। उसके सिवाय नम्बरों को कोई नहीं जान सकता था, लेकिन मेरे माननीय मित्र ने कल आसानी से यह

Page No.2

[श्री वेदपाल त्यागी]

कह दिया कि यह तो एक बहुत मामूली सी बात है। मैंने डाइरेक्टर ऑफ एज्युकेशन को सिफारिश कर दी, इसके साथ-साथ उन्होंने यह भी कह दिया कि वह लेटर डाइरेक्टर के पास पहुंचा नहीं और अगर पहुँच जाता तो उसका अर्थ निकलने वाला नहीं था, क्योंकि पहले ही रिव्यूअर्स ने उसको नम्बर २ पर ले लिया था और हैड रिव्यूअर ने उसको नम्बर १ कर दिया था।

मैं निवेदन करूं कि यह वाकया जानकर किया गया है और अपने जवाब में कहा कि यह बिलकुल असत्य है, इसमें आंशिक सत्य भी नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूं कि रिव्युअर्स के पास जब किताब भेजी गई, रिव्युअर्स का यह काम था कि वे किताब को देखें कि आया वह सिलेबस के मुताबिक है या नहीं? इस किताब को उन्होंने देखा। इस किताब के रिव्यूअर श्री देवराज उपाध्याय थे। उन्होंने इसको रिव्यू किया और उन्होंने रिव्यू करने के बाद में यह पाया है कि जो सिलेबस पहली किताब के लिए प्रेस्क्राइब कर रखा है, उसके मुताबिक नहीं है। उस सिलेबस में यह रखा था कि उसमें एक से दस तक के पहाड़े होने चाहिए, हिन्दी भाषा के संयुक्त अक्षर नहीं आवें, चन्द्र बिन्दु और अनुस्वार नहीं आवें। चुनाचे ये तीनों चीजें इसमें मिलेंगी। इसमें पहाड़े नहीं हैं, इसमें चन्द्र-बिन्दु और संयुक्ताक्षर प्रयोग किये गये हैं। चुनाचे मैं इस बात को जानता हूं, मैंने इस बात की छानबीन की। यद्यपि मि० देवराज पर दबाव डाला गया कि इसको मंजूर कर लिया जाय, लेकिन उन्होंने रिव्यूअर्स की लिस्ट में जिन-जिन किताबों को मंजूर किया है, उसमें इसको पास नहीं किया। हैड रिव्यूअर थे डा० फैयाजअली-जो प्रिन्सिपल किशनगढ़ इन्टर कॉलेज थे। उनके पास दबाव जाता है। उनको पांच किताबें मंजूर करनी थीं। सारे राजस्थान को १ से ३ जोन में बांटा गया था और हैड रिव्यूअर को १ से ५ तक की किताबें मंजूर करनी थीं। उन्होंने इस किताब के लिए मना कर दिया। उन पर जोर डाला गया। पर उन्होंने इस किताब को इन्क्ल्यूड नहीं किया और वे इसको इन्क्ल्यूड नहीं कर सकते थे। फिर यह टेक्स्ट बुक कमेटी के पास पहुँचती है। टेक्स्ट बुक कमेटी को कई हिस्सों में तकसीम कर दिया गया था। मि० तुलानी एण्ड मि० सहानी इंगलिश के थे, डा० किन्नी मैथेमेटिक्स सिलेक्ट करते थे, डा० शर्मा और मिसेज भारतिया हिन्दी सिलेक्ट करते थे और सक्सेना सामाजिक ज्ञान के लिए किताबें सिलेक्ट करते थे और मि० कुम्भारे टेक्स्ट बुक कमेटी के सेक्रेटरी थे।

कुं० श्री जसवन्तसिंह—ये शर्मा कौन थे?

श्री वेदपाल त्यागी—डा० शर्मा डाइरेक्टर थे।

ये किताबें टेक्स्ट बुक कमेटी के पास पहुँचती हैं और उसका इन्क्ल्यूजन टेक्स्ट बुक कमेटी करती है। यह पत्र डा० शर्मा के पास नहीं पहुँचा है और उसका उन पर कोई असर नहीं पड़ा, यह कहा गया है उसके लिए कि किसी प्रकार का उन पर असर नहीं पड़ा है; मैं यह निवेदन करूंगा कि यह सबसे पहले लिस्ट में आती है तो कमेटी के पास आती है, जिसमें डा० शर्मा और मिसेज भारतिया मेम्बर थे। मैं यह निवेदन कर दूँ और जैसा कि मुझे मालूम है और अध्यक्ष महोदय, यदि हाउस चाहे तो सब बातों पर इन्क्वायरी की जा सकती है और ये सारी बातें हाउस के समक्ष आवें। भारतिया

[श्री वेदपाल त्यागी]

ने दो-तीन दिन तक इसका बराबर विरोध किया कि यह किताब सिलेबस के अनुसार नहीं है, रिव्यूअर्स और हैड रिव्यूअर ने इसको इन्क्ल्यूड नहीं किया है। तीसरे दिन मिसेज़ भारतिगा नहीं आती हैं और वह किताब लिस्ट में इन्क्ल्यूड होकर गवर्नमेंट के पास पहुँच जाती है। आप देखिये कि पत्र का कितना असर होता है। असर तो इतना हुआ कि यह किताब इन्क्ल्यूड हो गई। उसका यह असर हुआ और माननीय मथुरादासजी कहते हैं कि असर नहीं हुआ। उसका दूसरा असर यह होता है कि राजस्थान को तीन जोन में बांटा गया था, यह किताब पूरे राजस्थान के लिए प्रेस्क्राइब होती है, जब कि यह १/३ हिस्से के लिए होनी चाहिए थी। यह कहा जाता है कि यह तो पहले ही सिलेक्ट हो गई थी और अच्छी किताब थी। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से एक पाठ इसमें से पढ़ कर सुनाना चाहता हूं कि जिससे पता लगे कि यह कितने ऊंचे दर्जे की किताब है और ऐसी किताबों को पढ़ाकर हम अपने बच्चों को किस तरह का बनाना चाहते हैं और राष्ट्र का निर्माण करना चाहते हैं? यह इससे आपको पता लगेगा और इसको रिकमन्ड किया जाता है और यह प्रेस्क्राइब होती है। यह पाठ है पृष्ठ ३६ पर :—

"एक औरत ने कुतिया पाली। वह कुतिया बीमार हो गई। एक चालाक कौआ आता। वह कुतिया पर बैठ जाता। कुतिया चौंकती थी। भौंक नहीं सकती थी। औरत दौड़कर आती और कौआ उड़ जाता। औरत चली जाती तो कौआ लौट आता। कुतिया को बहुत सताता। अन्त में कुतिया मर गई।"

(हंसी)

यह पाठ है। यह सैकिन्ड नम्बर पास हो गई थी और अच्छी किताब है! यह तो एक नमूना है! अगर माननीय सदस्यगण इसको पढ़ेंगे तो उनको पता चलेगा कि वास्तव में यह किताब पहली क्लास के लिए प्रेस्क्राइब हो सकती है क्या? यह न प्रेस्क्राइब हो सकती है और न ही पढ़ाई जा सकती है। ऊपर से तुर्रा यह है कि मामूली तरीके पर रिकमन्ड कर दी। मैं मान सकता हूं कि जहां रिकमन्डेशन के बिना काम नहीं चल सकता है कि कहीं किसी को नौकरी दिलानी हो, जो कि दर-दर का भिखारी हो तो मैं मान लूंगा कि आपने रिकमन्ड करके किसी का भला किया है। एक तरफ तो गवर्नमेन्ट प्रिकोशन लेती है कि किसी को पता नहीं लगे कि किस आदमी की लिखी हुई है, किस पब्लिशर की किताब है, जिसके सीक्रेट नम्बर हैं और उसके लिए मामूली तौर पर सिफारिश कर दी थी। वह सिफारिश मामूली थी और उसका क्या असर हुआ? इसका भी उल्लेख कर देना चाहता हूं। मैं पहले पूछना चाहता हूं कि सीक्रेट नम्बर जो गवर्नमेन्ट ने मुकर्रर किये थे, वे माननीय साथी के पास किस प्रकार आये थे और ऑफिशियल सीक्रेट डॉक्युमेन्ट एक्ट के अन्तर्गत उन्हें प्रॉसिक्यूट किया जा सकता है। आये तो क्यों कर उनका उपयोग किया? क्योंकि ये सीक्रेट नम्बर इसलिए रखे गये थे कि किसी को पता न लगे, यदि पता लग जाय तो वे कमेटी को, हैड रिव्यूअर को और रिव्यूअर्स को इन्फ्ल्युएंस कर सकें। माननीय अध्यक्ष, आखिर पता लग जाने पर कुछ लोगों को ब्लेक लिस्टेड भी किया गया था। नम्बर पता लग जाय और इन्फ्ल्युएन्स करके किताबें प्रेस्क्राइब करालें, इसलिए कुछ लोगों को ब्लेक लिस्टेड किया गया और इनको यह इनाम मिला कि यह किताब राजस्थान के १/३ हिस्से में प्रेस्क्राइब होनी थी, उसकी जगह, चिट्ठी के असर से, हरएक डिविजन में, पूरे राजस्थान के

Page No.4

[श्री वेदपाल त्यागी]

लिए प्रेस्काइब कर दी गई और इसका नतीजा क्या हुआ ? नतीजा यह हुआ कि जहां १ लाख की तादाद में ये किताबें छपनी चाहिए थीं, वहां वे तीन लाख छपीं और इसकी सवा पांच आना कीमत थी और यदि इसकी एक लाख हर साल बिक्री हुई तो मैं समझता हूं कि पचास हजार रुपया प्रॉफिट हुआ। उस लेटर का यह असर हुआ कि एक आदमी को पचास हजार रुपये की जागीर दे दी गई। एक आदमी को सीक्रेट दे दी कि जिससे उसने पचास हजार रुपया कमाया। इसमें कौन-कौन लोग शामिल हैं, मैं यह बतलाऊंगा और इसमें क्या क्या घोटाला हुआ है ? मैं यह निवेदन कर देना चाहता था मानकीय अध्यक्ष, कि एक तरफ तो ऑफिशियल सीक्रेट को उड़ाना और दूसरी तरफ जब कि गवर्नमेन्ट ने इतने प्रिकोशन्स लिये कि किसी को पता न लगे और इससे किसी को इन्फ्ल्युएन्स न किया जा सके और तिस पर एक ऐसे मेम्बर जो इतने इम्पोर्टेन्ट माने जाते थे और जो इस विभाग के अध्यक्ष रह चुके थे, इस विभाग के मिनिस्टर रह चुके थे और जो एक इन्फ्ल्यूएन्शिअल सदस्य सदन के हैं, उन्होंने इस प्रकार से अपनी पोजिशन का दुरुपयोग किया और इसलिए किया कि वे लोगों को, ऐसे व्यक्तियों को फायदा पहुंचाना चाहते थे, जिनका उनसे डाइरेक्ट सम्बन्ध था। जब यह एक किताब इस तरह से प्रेस्काइब हुई थी और उस किताब के लिए इस तरह से लिखा गया था तो इस तरह से अनेक पत्र लिखे गये होंगे। यह तो एक पत्र ही हाऊस के सामने आया है। कहा गया कि कौनसी सभ्यता थी कि जो पत्र लिखा गया, उसको छीन लिया गया और ले आये। यह पत्र जो लिखा गया था, वह सही हाथों से एक दूसरे के पास से चलता हुआ सदन के सामने आया है। जब इसकी इन्क्वायरी हुई तो पता चलेगा कि श्री एच० के० व्यास ने कॉम्युनिस्ट टेक्टिक्स का प्रयोग नहीं किया और उनके पास यह पत्र आया। जब कि कहा यह जाता है कि उनके पास पत्र नहीं पहुंचा था और उसका कोई असर नहीं हुआ। इस पत्र का नतीजा यह हुआ कि सीनियर हैड रिव्यूअर और रिव्यूअर्स जिस किताब को प्रेस्काइब नहीं करते हैं, उस किताब को कमेटी द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है और उसको तमाम राजस्थान के लिए प्रेस्काइब किया जाता है और एक आदमी को पचास हजार रुपया प्रॉफिट के दिला दिये जाते हैं और ऐसी हालत में यह कहना कि वह तो बेकार का पत्र था, यह निराधार है और बेकार है। यही नहीं कि यह इतिहास यहीं खत्म हो जाता है, यह आगे भी चलता है। जब इस प्रकार की बहुत धान्धलेबाजी हुई तो बहुत से पब्लिशर्स ने मिलकर उस समय के मुख्य मंत्री, श्री जयनारायण व्यास को लिखकर शिकायत की, तो उन्होंने यह मामला एन्टी करप्शन विभाग को सुपुर्द किया। एन्टी करप्शन विभाग ने श्री गंगासहाय नाम के एक क्लर्क को गिरफ्तार किया, जिसके पास कई प्रकार की चिट्ठियां पकड़ी गई। उनमें न केवल मथुरादासजी माथुर की ही चिट्ठियां थीं, बल्कि हुई, और भी व्यक्तियों की चिट्ठियां थीं जो कि ऑफिस में बैठे हुए थे। इसके बाद दौड़-धूप और शुरू हुई कि इस मामले को किसी प्रकार दबाया जाय क्योंकि उसमें एक नहीं, अनेक आदमियों पर उसका असर पड़ता था। तीन-चार महीने तक इस संबन्ध में कोई कार्यवाही नहीं हुई। समय लग गया और मेरे खयाल से अबतक भी कोई इस सम्बन्ध में कार्यवाही नहीं हुई सिवाय इसके कि श्री गंगासहाय को सस्पेन्ड किया गया, जो मेरे खयाल से शायद अभी तक सस्पेन्डेड है। कोई खास कार्यवाही अब तक इस सम्बन्ध में नहीं हुई। समय लग गया। उसके बाद यह किताब प्राइस फिक्सेशन कमेटी के सामने आई। इस कमेटी में चार व्यक्ति थे। एक तो श्री मेक्समूलर कम्पनी के रिप्रेजेन्टेटिव सद्रंगानी, दूसरे श्री एस० पी० रंगा, तीसरे डिप्टी सेक्रेटरी टू दी गवर्नमेन्ट, एज्युकेशन डिपार्टमेन्ट, चौथे हैं डाइरेक्टर ऑफ एज्युकेशन।

[श्री वेदपाल त्यागी]

शायद उस वक्त अध्यक्ष, शिक्षा-विभाग का तबादला हो चुका था और दूसरे इस स्थान पर आये थे। जब यह किताब प्राइस फिक्सेशन कमेटी के सामने पहुँची तो इस किताब में कई प्रकार के डिफेक्ट्स निकले। जो पेपर ऐसी किताबों के छपवाने के लिये प्रेस्क्राइब किया था उस किताब में उस किस्म के पेपर का इस्तेमाल नहीं किया गया था, जिस तरह का कवर होना चाहिये था कवर भी उस किताब पर वैसा इस्तेमाल नहीं किया गया था और जिस प्रकार की छपाई होनी चाहिये थी वैसी छपाई भी उस किताब की नहीं हुई। कमेटी ने इस पर कहा कि हम इसको मन्जूर नहीं करेंगे, इसकी कोई प्राइस फिक्स नहीं करेंगे। इसके अलावा भी उस किताब में और भी कई बातें थीं। जैसे एक किताब के पेज की कीमत फिक्स करते समय एक पाई पर पेज की कीमत आंकी जाती है, इस किताब में बहुत होशियारी से छपाई की गई, केवल भूमिका छः पेज में लिखी गई जिससे छः पाई और कीमत बढ़ गई। जब यह बात सामने आई कि प्राइस फिक्सेशन कमेटी ने यह निर्णय किया है कि हम इसकी प्राइस फिक्स नहीं करेंगे, तब इस लेटर का असर पड़ता है। इस लेटर का असर यह हुआ कि प्राइस फिक्सेशन कमेटी पर दबाव डाला गया कि प्राइस फिक्स करनी पड़ेगी। तो उन्होंने १० हजार रुपये पिनाल्टी के भरने पर उसकी सिफारिश कर दी और वह एक साल के लिये प्रेस्क्राइब की गई और उस पर यह तय हुआ कि साल भर के बाद ऐसी किताबों को-जिन पर पेनेल्टी ली गई है, नेशनेलाइज़ किया जायगा। उस दस हजार की रिकमन्डेशन का क्या होता है कि शिक्षा विभाग १० हजार की बजाय ३ हजार में ही उसकी किताब को मन्जूर कर लेता है, जिसकी बिक्री ३ लाख किताबों की सालाना होती है। इस सम्बन्ध में मुख्य मंत्री महोदय से यह निवेदन करूंगा कि जब ऐसी किताबों को जो पिनाल्टी से ली जाती है और जिनको नेशनेलाइज़ करने का सवाल था तो आज जब मार्च का महीना गुजर रहा है, आज तक उसको नेशनेलाइज़ करने की कोई विज्ञप्ति नहीं निकाली गई। क्या आपका इरादा है कि आप हमेशा के लिये इसको जारी रखना चाहते हैं? तो इसका मतलब यह होगा कि किसी को ५० हजार, किसी को ४० और किसी को ६० हजार रुपये की इससे जागीर मिल गई। यह है उस पत्र का नतीजा, जिसके लिये यह कहा जाता है कि इस पत्र से कोई ऐसी बात नहीं हुई; इस प्रकार की रिकमन्डेशन्स तो होती ही रहती हैं। माननीय अध्यक्ष, यह कोई मामूली रिकमन्डेशन नहीं थी। इस पत्र से डाइरेक्टर ऑफ एज्यूकेशन को इन्फ्लुएन्स किया गया। उनको इन्फ्लुएन्स करने का तरीका था और वह भी एक व्यक्ति के लिये जो आपका संबन्धी है और घर पर रहता था। जिनके लिये कहा जाता है कि ये पोलिटिकल सफरर्स हैं, उनको मदद पहुंचाने के लिये यह पत्र लिख दिया था। अगर वे उनका पूरा नाम लेते तो सदन को पता पड़ सकता था। केवल उन्होंने 'गणपत' इतना ही कह कर टाल दिया। उनका पूरा नाम श्री गणपतलाल माथुर है। माथुर होने के साथ साथ माननीय साथी के बहुत नजदीकी रिश्तेदार भी हैं, जो कुछ दिनों तक उनके घर पर भी रहे थे। ऐसी हालत में यह कहना कि पोलिटिकल सफरर्स थे, यह कहां तक ठीक है? मुझे जहां तक मालूम है सन् ४७ तक तो इनका पोलिटिक्स में कहीं नाम तक भी नहीं था। हां, सन् ४८ में इन्होंने एक अखबार जरूर निकाला है। अगर एक अखबार निकालने को ही आप पोलिटिकल सफरर मान लेते हैं, यही आपका मापदंड है, तो आज ऐसे सैकड़ों अखबार निकालने वाले आपको मिल जायेंगे। क्यों नहीं, आप उनको पोलिटिकल सफरर के नाते मदद करते हैं!

कुं. श्री जसवन्त सिंह—हम भी तो पोलिटिकल सफरर हैं ?

श्री त्यागी—(अपना भाषण जारी रखते हुए) आपको पोलिटिकल सफरर होने का तो इनाम मिल ही रहा है।

इसलिये माननीय अध्यक्ष, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि यह मामला इतना मामूली नहीं कि इसको यह कहकर टाल दिया जाय कि मैंने मामूली तरह से यह सिफारिश कर दी थी। ऐसा कहना कोई मायने नहीं रखता। इसके लिये मैं सदन से यह निवेदन करूंगा कि अभी हमारे देश में डेमोक्रेसी की शुरूआत है। जनतंत्र हमारे देश में बच्चा है। ऐसी हालत में हमें बहुत सतर्क होकर चलना है। अभी थोड़े दिन पहले हमने अखबार में पढ़ा था कि इसी प्रकार का कार्य, एक पार्लियामेन्ट के मेम्बर थे श्री मुद्गल, उन्होंने भी किया था। जिन लोगों में वे इन्टरेस्टेड थे, उन्होंने पार्लियामेन्ट के मेम्बर होने के नाते अपना इन्फ्लुएन्स काम में लिया था, उसकी जांच के लिये पार्लियामेन्ट द्वारा एक कमेटी बैठाई गई और अन्त में कमेटी की रिपोर्ट पर उनको हाउस से अलग कर दिया गया। उस कमेटी की एक सदस्या श्रीमती दुर्गाबाई भी थीं, जिन्होंने अपनी सिफारिश लिखते हुए इसके लिये कुछ प्रिन्सिपल्स ले डाउन किये हैं कि हमारे सदस्यगणों का कन्डक्ट किस प्रकार का होना चाहिये, उनको किस प्रिन्सिपल को फॉलो करना चाहिये, उन रिकमन्डेशन्स को मैं सदन के सामने रखना चाहूंगा। हम केवल यह कहकर इस बात को दृष्टि से ओझल नहीं कर सकते कि यह मामूली रिकमन्डेशन थी। मामूली लेटर लिखकर दे दिया गया। यह मामूली लेटर नहीं था, इस लेटर से ऑफिशियल सीक्रेट आउट करने का उन पर जुर्म बन सकता है। क्योंकि पहले वे भी इस विभाग के मंत्री रह चुके हैं, सदन के मेम्बर हैं, अगर वे इस हालत में किसी सीक्रेट को आउट करते हैं तो उनको प्रोसीक्यूट किया जा सकता है। अगर ऐसा नहीं होता है तो मैं सदन से निवेदन करूंगा कि उनकी इस प्रकार की कार्यवाही को टॉलरेट नहीं करना चाहिये। मैं माननीय अध्यक्ष से इस संबन्ध में प्रार्थना करूंगा वे इस संबन्ध में देखें कि वाकई यह मामला क्या है और सदन को भी इस मामले को गौर से देखना चाहिये ताकि सदन इस संबन्ध में कुछ निर्णय ले सके।

मैं अब सदन का ध्यान उस पैराग्राफ की ओर आकर्षित करूंगा जो श्रीमती दुर्गाबाई ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है:—

"I give below a number of illustrations based on certain standards by U. K. and U. S. A. and the standards of parliament expected from them:—

(1) A Member should not try to secure business from the Government or afirm, company or association with which he is directly or indirectly concerned.

(2) A Member should not unduly influence the Government Officers or the Ministers either directly or indirectly.

(3) A Member should not elicit information from the Government in an unauthorized manner by inducing a sub-ordinate to give information which in the course of his normal functions he should not give.

[श्री वेदपाल त्यागी]

(4) A Member should not encourage any person to speak to him against senior officials in matters of public importance and policy.

(5) A Member should not write recommendatory letteres or speak to Government officers for employment or business contracts with any relations or other persons in whom he is directly or indirectly interested."

माननीय अध्यक्ष, जो लोग कानून जानते हैं, वे इस शब्द का भी प्रयोग जानते हैं कि बेनामी भी एक चीज है। जिसमें सिर्फ नाम के लिये किसी व्यक्ति को खड़ा कर दिया जाता है और फायदा किसी दूसरे व्यक्ति को होता है और मामला कुछ दूसरा ही होता है। इसलिये जो यह मामला सदन के सामने आया है, वह केवल लेटर से ही ताल्लुक नहीं रखता, उससे हमारे मोरल स्टेन्डर्ड को आंका जा सकता है। आज जब कि डेमोक्रेसी का श्रीगणेश है, हमारे लिये बहुत आवश्यक है कि हम अपने कन्डक्ट को ठीक रखें ताकि डेमोक्रेसी ठीक से चल सके।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप इस मामले को जरा गौर से देखें और गौर से देखने के बाद जो कुछ आप उचित समझें, इस पर कार्यवाही करें।

श्री अध्यक्ष—आप अब और कितना समय लेंगे ?

श्री त्यागी—हार्डली फाइव मिनिट्स। (अपना भाषण जारी रखते हुए) अब मैं इसके अलावा एक-दो बातों की ओर खास तौर से ध्यान दिलाना चाहूंगा। मैं यह निवेदन करूंगा कि किसी भी सरकार को सुचारु रूप से चलाने के लिये किन किन बातों की आवश्यकता होती है ? इस संबन्ध में एक बात कहना चाहूंगा।

चीन के महात्मा कनफ्यूशश से उनके शार्गिद ने पूछा कि महात्मा जी एक गवर्नमेन्ट को सुचारु रूप से चलाने के लिये किन किन चीजों की आवश्यकता है और उन्होंने इस पर तीन बातों की तरफ संकेत किया :— (१) आर्मी (२) अन्न (३) गवर्नमेंन्ट में विश्वास। उसने फिर पूछा—यदि आर्मी, अन्न और विश्वास में से किसी एक चीज़ की कमी आने लगे तो कौनसी चीज़ के लिये आप पसन्द करेंगे कि पहले कौनसी चीज़ की कमी आवे ? उन्होंने उत्तर दिया कि आर्मी। इसके बिना भी गवर्नमेन्ट सुचारु रूप से चल सकती है अगर अन्न और विश्वास रहते हैं तो। शार्गिद ने फिर अगला प्रश्न किया कि आर्मी चली गई, दो चीजें बाकी रहीं, संयोग से इन दो चीजों में भी कमी आने लगे तो कौनसी चीज की कमी पहले होना आप पसंद करेंगे। उन्होंने फिर उत्तर दिया कि अन्न छोड़ना पसंद करूंगा; क्यों कि लोग भूखों मर सकते हैं, पर गवर्नमेन्ट में विश्वास कायम है तो वह गवर्नमेन्ट सुचारु रूप से चलती रहेगी।

पर आज मैं आपको बतादूं कि हमारी फाइव इयर प्लान चल रही है, पुलिस और आर्मी पर भी हम काफी रुपया खर्च कर रहे हैं, मिलिटरी भी काफी हमारे पास है, पर जो उस पूर्व के सबसे बड़े विद्वान् ने आज से पांच हजार वर्ष पहले कहा था कि गवर्नमेन्ट को सुचारु रूप से चलाने के

[श्री वेदपाल त्यागी]

लिए विश्वास होना बहुत जरूरी है, उसका आज में अभाव देख रहा हूं और वह इस रूप में देख रहा हूं कि आज जनता में गवर्नमेन्ट के कामों पर विश्वास नहीं है। जागीरदारों की जागीरदारी छीन ली गई पर आज उनको यह विश्वास नहीं इस सरकार पर कि उनको कम्पेन्सेशन मिलेगा या नहीं। सिविल सर्विस वालों का तबादला किया, फिक्स किया, ग्रेड दिया पर उनको भी विश्वास नहीं कि हम यहां कायम रहेंगे या नहीं रहेंगे। इसी तरह की बातें बहुत-सी हैं, जिनके बारे में जनता सोचती है कि जैसा सरकार कहती है वैसा करेगी या नहीं। इसलिये माननीय अध्यक्ष, मैं यह निवेदन करूं कि दिन प्रतिदिन आज यह सरकार अपना विश्वास खोती जा रही है। इसका खास कारण यह है कि वह अपने कन्टेक्ट को, जनता से अपने सम्पर्क को ठीक नहीं कर पा रही है। हमने राज्य संभाला पर प्रजा के लिये, जनता की भलाई के लिये नहीं; अपने लिये, अपने भले के लिये संभाला है। आज आप पर यह लान्छन लगाया जा रहा है कि आज आप राज्य के रुपये का दुरुपयोग करते हैं और मैं इसका एक छोटा-सा नमूना पेश करूंगा माननीय अध्यक्ष, कि जिसको आप देखकर शायद हैरान भी होंगे क्योंकि वह एक बहुत ही मामूली सी ओट में छिपा है। मुझे भी बड़ी हैरानी हुई कि राज्य के रुपये के साथ किस तरह से खिलवाड़ किया जाता है ? एक एक पाई, जो जनता अपने गाढ़े पसीने से कमा कर देती है, उसके लिये आप कस्टोडियन हैं। एक पाई का भी अगर दुरुपयोग होता है तो आप पर से जनता का विश्वास उठता है। इसलिये में निवेदन करूं कि पृष्ठ-संख्या २४६ पर प्रिवी पर्सेज एण्ड अलाउन्सेज़ ऑफ इण्डियन रूलर्स में एक नई संख्या बढ़ाई गई है। एक नये आदमी को इस वर्ष से पेन्शन चालू की गई है; गफूरनजी, पाशवान ऑफ हिज लेट हाईनेस, करौली। करौली के हिज़ हाईनेस को मरे युग बीत गये पर आज पेन्शन चालू की जाती है। मैं पूछना चाहूंगा कि यह १२००) रु० सालाना किस आधार पर और क्यों नियत किया गया ? अगर आज तक पिछली सरकारें देती चली आ रही होतीं तो कोई बात नहीं थी, हम भी चालू रख सकते थे क्योंकि हम उन सरकारों के सक्सेसर हैं, उनके अच्छे और बुरे कामों के लिए जिम्मेदार हैं। पर आज से यह नये रूप से चालू करते हैं तो क्या में यह समझूं कि यह सरकार जनता के रुपये के साथ खिलवाड़ कर रही है, क्या यह समझा जावे कि आपको जो ड्यूटी दी गई है, उस ड्यूटी को आप ठीक तरह से अन्जाम नहीं दे पा रहे हैं। यह गफूरनजी कौन हैं ? यह हम जानना चाहेंगे।

इसके अतिरिक्त माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने श्रीमान् राजप्रमुख के भाषण का उत्तर देते समय यह कहा था कि हमारे अन्दर कोई प्रादेशिक भावना नहीं है, हम जो काम करते हैं, वह राज्य और राजस्थान के हित में करते हैं। एक सवाल आया था जोबनेर कॉलेज का। कल मेरे बहुत-से और साथी भी इस विषय पर प्रकाश डाल चुके हैं। माननीय जयनारायणजी व्यास ने भी इस विषय में कहा था। मैं भी दो शब्द कहना चाहता हूं और वे ये हैं कि आप यदि चाहते हैं कि कॉलेज उदयपुर में बने तो आपको खुले रूप से सामने आकर कहना चाहिये कि हम कॉलेज उदयपुर में खोलना चाहते हैं, जोबनेर में नहीं रखना चाहते, जोबनेर से उसे उठाकर ले जावेंगे। पर एक तरफ तो यह कहते हैं आप कि हम ८० फीसदी जो ग्रान्ट देते रहे हैं, वह देते रहेंगे। जब कि वे यह जानते हैं कि यह ८० फीसदी ग्रान्ट भी लेने के काबिल नहीं रहेंगे, क्योंकि जो व्यक्ति आज २० परसेन्ट अपनी ओर से देकर उसे

[श्री वेदपाल त्यागी]

चला रहा है, वह अब आगे इतना पैसा भी नहीं दे सकेगा और बाहर से भी वह बीस फीसदी इक्ठा नहीं कर सकेगा, इसलिये यह ओटोमैटिकली खत्म हो जावेगा। इससे आपके इन्टेन्शन का पता चलता है। आपके इन्टेन्शन का पता इससे भी चलता है कि जब कोई नया कॉलेज शुरू किया जाता है तो वहां फर्स्ट ईयर और थर्ड ईयर तो खोला जाना समझ में आ सकता है, पर सेकंड और फोर्थ ईयर कैसे खोल सकते हैं, इसके लिये शुरू में ही कहां से स्टूडेन्ट्स लावेंगे ? पर यहां सेकंड और फोर्थ ईयर की क्लासें खोलते समय उन्होंने पहले से ही अन्दाज लगा लिया था कि यह जोबनेर का कॉलेज तो बन्द होगा और उसके विद्यार्थी वहां दाखिल होंगे। जोबनेर के कुछ बच्चे हमारे पास भी आये। उन्होंने कहा कि हमें यह आश्वासन दे दिया गया है कि हमें उदयपुर कालेज में दाखिला दे दिया जावेगा। वहां के प्रोफेसरों को भी आश्वासन दिया गया है कि उनको भी वहां स्थान दे दिया जावेगा। जब ये सारी बातें हो रही हैं तो आप साफ साफ कहिये न कि हम यहां बन्द करके उदयपुर में कालेज कायम करने जा रहे हैं। आप फिर यह क्यों कहते हैं कि ८० फीसदी एड हम देते रहेंगे। आप साफ हिम्मत से कहिये कि हम उदयपुर को फायदा पहुंचाना चाहते हैं कालेज वहां ले जाकर, इसलिये ले जावेंगे। कोई इसके खिलाफ चाहे जो कुछ कहे-करे, हम तो ले ही जावेंगे, क्योंकि पब्लिक ओपीनियन की आपको कोई चिन्ता नहीं, आपके हाथ में पॉवर है, शक्ति है, आप उसे चाहे जैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह से आपका यह दावा कि आप प्रादेशिक भावना से प्रेरित होकर काम नहीं करते, गलत है।

इसके लिये एक नमूना और पेश करना चाहता हूं और वह है मेरी खुद की कॉन्स्टीट्यूएन्सी का। यह सत्य है कि मैं कांग्रेस टिकट से चुना गया था, पर मेरे कुछ मतभेद हो गये जिनके कारण वहां के लोगों को सफर करना पड़ रहा है। सन् ५४ में एक पत्र जिस पर कांग्रेस कमेटी ने एन्डोर्स किया है और जिसे पं० नेहरू को लिखा था वह में सदन में थोड़ा पढ़ कर सुनाना चाहता हूं। वह है २०-१-५४ का लिखा पत्र। जिसकी प्रतिलिपि राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी को भेजी गई, अध्यक्ष, जिला कांग्रेस कमेटी को भेजी गई, श्री जयनारायण व्यास, चीफ मिनिस्टर, राजस्थान सरकार को भेजी गई। यह लैटर इस प्रकार है :—

"Most respectfully we beg to put forward.........

श्री अध्यक्ष—What is the relevancy of this letter ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—Everything is relevant.

श्री वेदपाल त्यागी—इस प्रकार की भावना से प्रेरित होकर लोगों को नुकसान पहुंचाया जाता है। पूरा लैटर नहीं पढ़ूंगा, कुछ सेन्टेन्सेज़ ही पढ़ूंगा।

मैं निवेदन करूं कि आजतक इस कॉन्स्टीट्यूएन्सी में किसी भी तरह से डेवेलपमेन्ट के नाम से एक पाई भी खर्च नहीं की गई। छबड़ा सब-डिवीजन का हैडक्वार्टर है पर इतना होने पर भी उसको पक्की रोड से नहीं मिलाया गया। छबड़ा एक इम्पॉर्टेन्ट टाउन है, उस तक को अभी तक पक्की रोड से मिलाने का उनका कोई प्रोग्राम नहीं है; जब कि स्थान स्थान पर उससे बहुत कम

Page No.10

[श्री वेदपाल त्यागी]

महत्वपूर्ण स्थानों पर सड़कें बराबर बनाई गई हैं और आज भी बनाई जा रही हैं। इन संकुचित भावनाओं से प्रेरित होकर जो ये काम कर रहे हैं; यह संकुचित भावना, मैं कहता हूं, आपको ले डूबेगी और हमारे इस राज्य की किसी प्रकार की तरक्की नहीं हो सकेगी। इसलिये आपको चाहिये कि आप बड़े ब्रोड व्यू से काम करें और अगर इस बजट को वास्तव में इस तरह का बनाना चाहते हैं कि जिससे हमारी सामाजिक व्यवस्था ठीक हो सके, सोशियलिस्टिक पेटर्न पर चल सकें तो आपको अपना आउट-लुक बदलना होगा और इसके बाद ही आप इसमें कामयाब हो सकेंगे।

कुँ० श्री जसवंतसिंह—ओन ए पोइन्ट ऑफ ऑर्डर, सर, गत दो या तीन दिन से इस सदन में हम जो वातावरण देख रहे हैं और जो बातें सुन रहे हैं उससे हमें और इस सारे सदन को बहुत दुःख हो रहा है। जो कई प्रकार के चार्जेज़ और एलीगेशन यहां कुछ सदस्यों पर लगाये गये वे इतने सीरियस हैं कि इस सदन का कोई भी सदस्य, छोटा हो या मोटा हो, मिनिस्टर हो, चीफ मिनिस्टर हो या एक्स चीफ मिनिस्टर हो या फोर्मर मिनिस्टर हो, वह तो दूर रहा, लेकिन किसी मामूली सदस्य के लिये भी यह एक ऐसी बात बन गई है कि हम राजस्थान के विधान-सभाई दुनिया के सामने अपना मुंह दिखाने के योग्य नहीं रहे हैं।

चाहे यह बात सत्य हो या असत्य हो परन्तु एक ऐसी घटना हो गई है और ऐसे एक माननीय सदस्य के मुतल्लिक जो कि इस राजस्थान में एक बहुत बड़ी हस्ती है; यह जोधपुर के एक मंत्री रह चुके हैं...

श्री अध्यक्ष—Come to the point of order.

कुं० श्री जसवन्तसिंह—I am coming to explain why I have raised a point of order. If you allow me two minutes, because it is a question of the honour of this House and as a humble member of this House I particularly feel very sorry about this incident and as to the point of order I am coming to the point if you give me just two minutes to explain why I have raised this point of order.

राजस्थान के वह मंत्री रह चुके हैं। आज मंत्री नहीं हैं तो भी जो रूलिंग पार्टी है उसके चीफ व्हिप हैं और उनकी पोजीशन मन्त्री से भी कहीं अधिक ऊंची है...

श्री बृजसुन्दर शर्मा—Is a speech allowed before a point of order is raised ?

कुं० श्री जसवन्तसिंह—I am coming to the point of order.

श्री बृजसुन्दर शर्मा—First he should say the point of order.

कुं० श्री जसवन्तसिंह—My point of order is this that nowhere in any legislature in the World allegations of this type can be allowed on the floor of the House by one Member against another Member.

[कुँ० श्री जसवन्तसिंह]

मेरे मित्र की पोजीशन को जानते हुए और उनके सिद्धान्तों को जानते हुए यह समझता हूं कि सदन के लिए और मेरे मित्र के लिए जो वाइल्ड एलीगेशन्स, चाहे वाइल्ड हों या असत्य हों, अपने ऑनर को विन्डिकेट करने के लिए, खासकर चीफ मिनिस्टर साहब को चाहिए कि इस हाउस का ऑनर विन्डीकेट करने के लिए, माननीय सदस्य का ऑनर विन्डीकेट करने के लिए इसको फौरन एक इम्पार्शियल इन्क्वायरी के सुपुर्द कर दें। मैं जानता हूं आप इसको पसन्द नहीं करेंगे। हम नहीं टॉलेरेट कर सकते हैं इस बात को कि ऐसे प्रतिष्ठित और पोजीशन वाले माननीय सदस्य पर इस तरह का इस सदन में एलीगेशन लगाया जाय। यह सदन के लिए कोई नई बात नहीं है, हमारे सदन के कोई नई बात नहीं है। मैं एक उदाहरण दे सकता हूं। मेरा प्रेक्टीकल एक्सपीरियेन्स है कि जहां पर कि सदन में इस तरफ की...

श्री अध्यक्ष—What is the point of order ?

कुं० श्री जसवन्तसिंह—The point of order is this that this question...

श्री अध्यक्ष—The point of order will be decided by the Chair while other points will be decided by the House, or the enquiry point by the Chief Minister or other Members of the House If there is a point of order I am here to decide.

कुं० श्री जसवन्तसिंह—As a Member of this House, as an humble member of this House I request through you to the Chief Minister and also request to the Hon'ble Member that, to vindicate the honour of the House of the challenge should be accepted and an enquiry be instituted.

श्री मोहनलाल सुखाडिया (मुख्य मंत्री)—अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि अच्छा होता कि मैं जबाब दूँ, तब तक इन्तजार किया जाता। मैं तो इस बारे में जबाब दे दूँ कि फेक्ट्स क्या हैं!

श्री मथुरादास माथुर—On a point of personal explanation; Sir, I have to say something. Yesterday I requested to you before Mr. Tyagi opened his speech that I must be given an opportunity to...

श्री अध्यक्ष—If it is on the point of personal explanation, I allow.

श्री मथुरादास माथुर—In regard to all the charges levied by Mr. Tyagi I must explain except that protion which concerns the government, which of course the Chief Minister or the Education Minister will explain; but since Mr. H. K. Vyas placed this letter before the House, I explained the whole thing before the House. Later on yesterday after I had spoken Mr. Tyagi has tried to...

श्री श्रीदास गोयल—माननीय अध्यक्ष, अगर माननीय सदस्य हिन्दी में बोलेंगे तो ज्यादा लोग समझ सकेंगे।

श्री अध्यक्ष—जोश में हैं, इसलिए अंग्रेजी में बोल रहे हैं।

श्री मथुरादास माथुर—माननीय अध्यक्ष, सदन के सामने साथी त्यागी ने जो कुछ बातें कहीं, वे आपने सुनीं। वे बातें कुछ उस किताब के मुतल्लिक हैं, जिनकी चर्चा सदन में कल और परसों हुई थी।

वैसे तो मैं कल जो बातें कह चुका हूं उनको दोहराने की आवश्यकता नहीं समझता; लेकिन दो-तीन बातों को कहना बहुत ही जरूरी समझता हूं क्योंकि वैसे त्यागीजी के मुंह से कोई बात निकले, उसका मुझे अफसोस नहीं होता। उनका हमारा खाता है...

श्री अध्यक्ष—Will it not be proper if there is anything more to come; let it come and then you give further explanation. If some more Members want to say let them say and then I will give you an opportunity to explain yourself.

श्री मथुरादास माथुर—Right Sir.

श्री अध्यक्ष—श्री रामकरण जोशी।

(करतलध्वनि)

श्री रामकरण जोशी—माननीय अध्यक्ष, आज लगभग ४ दिन से इस सदन में बजट पर आम बहस हो रही है और बजट को पेश करते हुए वित्त-मंत्री ने एक नई विचारधारा का जिक्र किया है। उस विचारधारा की रोशनी में इस बजट को देखने की कोशिश नहीं करते हुए एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप किये गये हैं। मैं समझता हूं कि अभी तक जिस पत्र के बारे में चर्चा हो रही थी, इस पत्र ने शायद इस सदन का ध्यान बजट से भी ज्यादा आकर्षित कर लिया और हमारा मुख्य मुद्दा बजट, जिस पर कुछ चर्चा करनी चाहिए थी, जिस पर सरकार के सामने और कुछ नई बातें बतानी चाहिए थीं, उस पर हम अपना वक्त नहीं लगा सके और जो विचारार्थ सब्जेक्ट था उससे थोड़ा दूर चले गये।...

श्री वेदपाल त्यागी—Perhaps the Hon'ble Member was not here. I spoke entirely within the limits of the Budget speech.

श्री रामकरण जोशी—मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मेरा प्वॉइन्ट ऑफ व्यू और है। इस पत्र का जो जिक्र किया गया है, मेरी समझ में नहीं आया कि वह कई महीने, २७ महीने पहले लिखा गया था, उसकी बजट के बारे में बात करते वक्त इतनी चर्चा क्यों की जाय? उसकी चर्चा गवर्नमेन्ट की पॉलिसी या राजप्रमुख के अभिभाषण पर वाद-विवाद करते वक्त करनी चाहिए थी। बजट सेशन के अन्दर बजट की बात करना मुख्य होना चाहिए। रेफरेन्स यदि हो तो वह दिया जाये।

[श्री रामकरण जोशी]
सरकार की पॉलिसी के अन्दर इस किस्म की बातों का अधिक समावेश होना चाहिए। ऐसी बातों से हमारे डेमोक्रेटिक ट्रेडिशन्स को खतरा है। सोश्यलिस्ट पेटर्न कायम करना चाहते हैं, उसका वातावरण होना चाहिये। लेकिन यहां इस बात की अधिक कोशिश की जाती है कि एक बात किसी को मिल गई है जो भी आज की नहीं, गये साल की नहीं और आगे आने वाले साल की नहीं, उसका ताल्लुक २ साल पहले से है, उसको लेकर लम्बी बहस की जाती है। बजट पर बहस होनी चाहिए, लेकिन ऐसा मालूम होता है कि यहां प्रिविलेजेज़ पर बहस हो रही थी।...

श्री वेदपाल त्यागी—It has come in the light recently.

श्री रामकरण जोशी—मैं समझता हूं कि मुझको सुन लेते मेरे साथी तो ज्यादा अच्छा होता। मैं पत्र का जिक्र इसलिए नहीं करना चाहता हूं कि वह पत्र हमारा मुख्य उद्देश्य नहीं है। हम यह देख रहे हैं कि इस वक्त हमारे सामने एक नया पेटर्न कायम करने की बात चल रही है। वैसे बात यह आज से ही नहीं है, जब से इस देश की शासन-सत्ता बदलने का प्रयत्न चालू रहा है, तभी से हम इस पेटर्न की तलाश में थे और आवड़ी सेशन में हमारे देश के एक बड़े संगठन ने जो कि जिम्मेदार है हिन्दुस्तान के शासन के प्रति, उसने इस बात को महसूस किया कि हमारे देश का समाजवादी पेटर्न हो यानी खास व आम को समान तरीके से फायदा पहुँचे, लाभ पहुँचे। व्यक्तिवाद उसमें से हटाया जाय और इसके साथ-साथ कोई ग्रुप या पार्टी अपने देश के शासन को हथिया कर या शासन के द्वारा इकट्ठा किये हुए पैसे को अपने या अपने ग्रुप के लाभार्थ खर्च करना चाहे तो भी नहीं कर सके। तो यह बात हम सोचते हैं कि आवड़ी सेशन में जिस तरीके का पेटर्न स्वीकार किया गया है, उसे हमारे यहां कैसे लागू किया जायगा? श्री वेदपालजी ने यह जिक्र किया कि हमारे यहा का नौजवान मंत्री-मंडल है। हमारे यहां के नौजवान वित्त-मंत्रीजी ने उस पेटर्न को स्वीकार किया है और इस बात की उन्होंने अपने भाषण में घोषणा की है कि राजस्थान भी इस मामले में पीछे नहीं रहना चाहिये और राजस्थान की बजट पॉलिसी डिक्लेअर करते हुए उन्होंने कहा है कि हम इस तरह का सोश्यलिस्ट पेटर्न मानते हैं। इसके अमल में भले ही देरी हो सकती है। इस पर काफी सोचने-विचारने की जरूरत है क्योंकि इस तरह का नया नारा बुलन्द किया गया है, इसलिये यदि बिना सोचे-समझे इसको ग्राह्य कर लें तो ठीक नहीं होगा। हमने इस पेटर्न को मंजूर तो कर लिया लेकिन उस पर अमल करने पर विचार करने का समय न तो वित्त-मंत्रीजी को मिला है और न हमारे मंत्री-मंडल के नेता को इतना मौका मिला है कि इस पेटर्न को किस तरह से अमल में ला सकें, उस पर सोच विचार कर सकें और यह कह सकें कि इस पेटर्न को इस शेप में कायम करना चाहते हैं। हमारे सामने सोश्यलिस्ट पेटर्न के कई नमूने हैं, चलाने वाले लोगों ने अपने ढंग से किये हैं। एक नमूना तो जर्मनी की नेशनेलिस्ट सोश्यल पार्टी का पेटर्न था जो आज की दुनियां में उसका नामो-निशान नहीं रहा है और खत्म हो चुका है। उस पेटर्न को चलाने वाले आदमी, मेरे खयाल से ऐसे पेटर्न को चलाने वालों में सबसे ज्यादा योग्य थे और ताकतवर भी साबित हुए हैं। लेकिन इतने योग्य व्यक्ति भी उस ग्रुप पेटर्न पर चल कर कामयाब नहीं हो सके और अपने लक्ष्य पर नहीं पहुँच सके और पेटर्न के साथ खत्म हो गये। एक दूसरी तरह का सोश्यलिस्ट पेटर्न रूस में चल रहा है और उससे मिलता-जुलता, पर अपनी अलग हैसियत रखनेवाला सोश्यलिस्ट पेटर्न

[श्री रामकरण जोशी]

चीन में भी चल रहा है। लोग कह रहे हैं कि आज हिन्दुस्तान में जो सोश्यलिस्ट पेटर्न चलने वाला है उस पेटर्न में और रूस और चीन में चलने वाले सोश्यलिस्ट पेटर्न में फर्क होगा व जर्मनी के सोश्यलिस्ट पेटर्न से तो सभी अलग होंगे। हम जब हिन्दुस्तान के लिये सोश्यलिस्ट पेटर्न की बात सोचते हैं तो जर्मनी के पेटर्न की हम चर्चा नहीं कर सकते। लेकिन हम इससे भी आगे जावें और दूसरे जो पेटर्न हैं, उनको अपनी कसौटी पर कसते हैं तो हम उनको भी अपने योग्य-संगत नहीं मानते हैं। उस पेटर्न में सर्वोदय के लिये कोई गुंजायश नहीं है। वहां पर विशेष दल के लोगों का या विशेष दल के विशिष्ट भावना रखने वाले व्यक्तियों का आदर होता है और उन्हीं को विकास करने का मौका दिया जाता है। और दूसरे लोग जो उनके सिद्धान्तों को नहीं मानने वाले हैं, उनको विकास करने का कुछ भी मौका नहीं दिया जाता है। हम इसे उचित नहीं मानते, इसलिये हम उस पेटर्न को नहीं मान सकते। मैं मेरे कुछ मित्रों के भाषण सुन चुका हूं। कहते हैं, "जिस जमाने में क्रान्ति आती है, उसमें ऊपर के लोग नीचे जाते हैं और नीचे के लोग ऊपर आते हैं और इससे ऊपर से नीचे आने वाले लोगों को नाराजगी होती है और वे तरह तरह की बातें करते है कि हमें उनकी परवाह नहीं करनी चाहिये। जब ऊपर से नीचे आते हैं और नीचे से ऊपर जाते हैं तो वे ऊपर से नीचे आने वाले लोग सोचते हैं कि कल हमारी पोजिशन क्या थी और अब हम कहां पहुँच गये हैं, दुःख पाते हैं।" इस प्रकार की दलील हमारे सोश्यलिस्ट पेटर्न से मेल नहीं खाती है। हमारा पेटर्न यह नहीं चाहता है कि पहले ए. बी. पर सवारी करता था और अब बी. को चाहिये कि वह ए. पर सवारी करे। हमारे सोश्यलिस्ट पेटर्न में न तो इस तरह का कोई सवार होगा और न सवारी। हमारे यहां सब बराबर होंगे। सारे समाज के विकास की जिम्मेदारी हम लोगों पर आई है। हम सारे समाज के उत्थान में बराबर समान दृष्टि से सोच सकें इस तरह का हमारा सोश्यलिस्ट पेटर्न होगा, जिसमें जातिवाद की कोई गुंजाइश नहीं होगी और न 'Individual' को तरजीह दी जायगी। हाउस और सदन में कोई व्यक्ति-विशेष या जाति-विशेष की शिकायत नहीं पायेगा क्योंकि हमारी भावना सर्वतोमुखी और सर्वोदय की होगी। मैं खयाल करता हूं कि हमारे वित्त-मंत्रीजी ने उसे (सर्वोदयी पेटर्न को) स्वीकार किया है और सरकार ने उस पर अमल करने का निश्चय किया है। दूसरे लोग अपने विचार रखते समय सदन का व्यर्थ में समय नष्ट न करें, फालतू बातें कह कर।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि हम समझते हैं कि हमारे यहां जो बजट प्रस्तुत हुआ है, उसमें समाजवादी पेटर्न को कायम करने के क्या प्रयत्न किये गये हैं, टोप हेवी एडमिनिस्ट्रेशन को कम करने के लिये क्या मूल बात की जा रही है? हमारे यहां का एडमिनिस्ट्रेशन जितना टोप हेवी आज है; उतना पहले नहीं था लेकिन फिर भी सर्वोदय की चर्चा की जाती है। इस टोप हेवी एडमिनिस्ट्रेशन को कम करने के लिये क्या बात सोची गई है? उसे देखना है ताकि नीचे के लोग ऊपर उठ सकें, इस बात का पता लगाना है। बहस के समय किसी ने यह शिकायत की, "एक आदमी जब चीफ सेक्रेटरी के पद पर बाहर से आता है तो उसको इतनी तनख्वाह मिलती है और उसी स्थान पर जब राजस्थान का योग्य आदमी काम करता है तो क्या उसमें काबलियत नहीं है कि उसको बाहर के आदमी से कम तनख्वाह मिले!" राजस्थानी चीफ सेक्रेटरी को ज्यादा वेतन मिलना चाहिये और यदि ज्यादा नहीं तो बाहर वाले से तो उसकी योग्यता कम सिद्ध होती है। यह विचार-धारा

[श्री रामकरण जोशी]

सोश्यलिस्ट पेटर्न की विचारधारा नहीं है। बाहर का आदमी हो या घर का आदमी हो, हम इस विचार-धारा से सोचें कि हम घर का इन्तजाम किस तरह से करना चाहते हैं? जो काम कल दो पैसों में होता था वह आज यदि एक पैसे में होता है, क्या यह अच्छा नहीं है? क्या ऐसा करने से उसी लागत में हमारे दो काम नहीं हो जावेंगे? इसलिये बाहर के चीफ सेक्रेटरी के जाने के बाद सरकार इस पर विचार करेगी कि चीफ सेक्रेटरी की तनख्वाह कम हो गई। बचत से दूसरे महत्वपूर्ण भलाई के काम किये जायं। लेकिन यदि एक सेक्रेटरी के बजाय दूसरा एडीशनल चीफ सेक्रेटरी और कायम हो जाता है और दोनों के इमोल्यूमेन्ट्स मिलकर बाहर वाले चीफ सेक्रेटरी से अधिक हो जाता है, तो हमने लाभ नहीं किया। संभवतः नया नया काम है, इसलिये दूसरे आदमी की जरूरत पड़ गई। ऊंचे ओहदों पर बैठे लोगों में मोटी तनख्वाह लेने से विरक्ति हो जाये। अपने आप कह दें कि इतना अधिक वेतन सामाजिक धन में से चोरी करना है। सरकारी काम करने वाले कुछ लोगों को तो ५० रुपये मिलने असंभव हैं तो वे हजार या पन्द्रह सौ रुपये लेकर सामाजिक धन की चोरी कर रहे हैं, यह भावना पैदा हो जाय। इस प्रकार की आपत्ति वे स्वयं करें, जिनको अधिक पैसा मिलता हो। बजट बनाने के लिये जो लोग काम करते हैं, वे ही बजट बनाते हैं और उन लोगों के बजट बनाने के तरीके को नयी दिशा में बदलना चाहिये। यदि वे नहीं बदलते हैं तो हमारे साथी जो ऊपर बैठे नियंत्रण करते हैं, उनको टोक देना चाहिये कि इस तरह से सोश्यलिस्ट पेटर्न का बजट बनाना पड़ेगा। हमारे यहां दोहरी शासन-व्यवस्था चल रही है। एक तो नयी तरह की और दूसरी पुरानी तरह की। नयी तरह की व्यवस्था नयी है, जमी नहीं है, इसलिये साथ में पुराने तरीके की व्यवस्था भी रखनी पड़ती है और इसलिये दोहरा खर्च करना पड़ता है; जो हमें सोश्यलिस्ट पेटर्न की ओर नहीं ले जाता। मेरा मतलब उनसे है जो पोलिटिकल पार्टी और सदन से अलग हैं, नौकरशाही की पुरानी हकूमत चलती है। जब तक नया तरीका (जनतन्त्रीय) प्रभाव में नहीं आता, तब तक पुरानी लकीर मौजूद रहती है। पुरानी लकीर के फकीर उसे कायम रखने का प्रयत्न करते हैं। नये तरीके को चलाने में बाधक होते हैं तो उसे देखना चाहिए। इस बजट को यदि हम इस कसौटी पर कसते हैं, तो तीन सालों के मुकाबले में कोई फर्क नहीं मालूम पड़ता है। जिस ढर्रे पर पहले खर्च होते आये हैं; वही अब हैं। तो हमारा नया परिवर्तन कैसे होगा? अब जब हम जनतंत्र के विकास के लिये काम करना चाहते हैं तो शासन-सत्ता जनता के हाथों में चली जानी चाहिये और बजट का दूसरी पुरानी एजेन्सीज़ की मार्फत पैसा खर्च नहीं करें, बल्कि नयी जनतन्त्रीय पद्धति पर करें। आप सब यह जानते हैं कि उसकी एजेन्सी क्या हो सकती है? पंचायतें और दूसरी लोकल बोडीज़। इसके लिये हमारे सामने यदि झिझक आती है तो हिम्मत के साथ हमें उसे बदलना होगा। एक कलेक्टर, तहसीलदार या पटवारी को तो अधिकार है कि वह सरकारी पैसा खर्च कर सके, लेकिन एक पंचायत या डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को अधिकार नहीं है कि वे पैसा खर्च कर सकें क्योंकि वे जनतंत्रीय संस्थाएं हैं, इसलिये उनके मेम्बर्स में विश्वास नहीं है, इसलिये उनको अधिकार सौंपने में हीला-हवाला किया जाता है, यह युक्तियुक्त नहीं है। तो हमारे अन्दर जो कमी दिखाई देती है, आखिर उसकी क्या वजह है? हम क्यों नहीं उक्त संस्थाओं को अधिकार देते? नये पेटर्न में सरकारी मशीनरी के पुराने ढचर पर चलकर काम पूरा नहीं कर सकते और इसी वजह से विकास-कार्य में लाखों-करोड़ों रुपयों का खर्चा नहीं हो पाया तो आगे भी नहीं होगा। इसको बदल कर नया तरीका इस्तेमाल करना था, जिसके द्वारा पैसा खर्च

[श्री रामकरण जोशी]

किया जा सकता और राजस्थान में विकास-कार्य हो सकता। यह तरीका पंचायतें और दूसरी स्वायत्त संस्थाओं के मार्फत ही इस्तेमाल किया जाना चाहिये था।

मैंने देखा कि वित्त-मंत्री लेबर मिनिस्टर भी हैं, इसलिये लेबर के विकास के लिये भी इस बजट में अच्छी रकम देंगे, ऐसा विश्वास था। परन्तु जब मैंने आंकड़े देखे तो मुझे संतोष नहीं हुआ। मैं निवेदन करूंगा कि अब वे सप्लीमेंटरी ग्रान्ट्स ला कर लेबर के विकास के लिये जरूर अधिक रुपया देंगे और जन-कल्याणकारी राज्य की ओर हम बढ़ सकें, ऐसी व्यवस्था करेंगे। गत एक-दो वर्षों से जो रकम लेबर के विकास के लिये लगाई जा रही है, उतनी भी रकम इस वर्ष लेबर के विकास के लिये लगाते तो हमें संतोष होता, परन्तु उससे भी कम रकम की हम आशा नहीं रखते थे।

कुछ मित्र मेरे कहने से ऐसा भी समझ सकते हैं कि अब में शासन में नहीं रहा, इसलिये ऐसा कह रहा हूं; पर ऐसी बात नहीं है। अगर हम कोई काम नहीं कर सके, नाकामयाब हुए तो आप उसे पूरा करिये, हमें संतोष होगा। पंचायतों पर नौकरशाही जगह लेंगी। सोश्यलिस्ट पेटर्न का नारा तो आज उठा है और उसकी ओर हमें जाना पड़ेगा। लोकल बोडीज़ जो इसका सब्स्टीट्यूट हैं इस पर और अधिक रुपया खर्च किया जायगा, ऐसी आशा की जाती थी। इन्हें अधिक सहायता दी जाय। गत वर्ष १३००–१४०० पंचायतें थीं, अब ३२०० हैं। उस साल भी इनको सहायता के लिये डेढ़ लाख रुपया था और अब भी डेढ़ लाख है, तो उनको क्या मिलेगा? रेवेन्यु एजेंसी नौकरशाही की मशीन का मुख्य पुर्जा है जिसके लिये हम समझे हुए हैं कि उसके हाथ में सत्ता रहते जन-कल्याणकारी कार्य आगे नहीं बढ़ सकेगा, इसलिये हमने पंचायतें कायम कीं। उनको सहायता नहीं मिल सकेंगी तो फिर किस तरह कल्याणकारी राज्य की ओर बढ़ सकेंगे? तहसील पंचायतों के लिये नये बजट में अधिक सहायता देने की तजवीज होती तो हम मान सकते थे कि हमने नई करवट ली है। हम ऊंचा-नीचा भी करना चाहते थे। बात ऊंची-नीची करना है तो कर सकते हैं, पर मुसीबत है; कर नहीं पा रहे।

कहा गया कि घाटे का बजट है, इसलिये कि लोग मान लें कि घाटे का बजट है और जन-कल्याणकारी कामों में घाटे की परवाह सरकार नहीं करती, इस तरह के आंकड़े बताये जायं। परन्तु सही बात यह है कि हम अगर दस-पांच करोड़ रुपये का घाटे का बजट पेश करते तब तो कह सकते थे कि हमने जन-कल्याणकारी राज्य बनाने के उद्देश्य से इतना रुपया जन-कल्याणकारी कार्यों में लगाया है, इसलिये इतना घाटे का बजट रखा है, लेकिन घाटा सिर्फ दो करोड़ ३९ लाख का बताया गया है, जो कस्टम और सेल्स टेक्स की आमदनी का फर्क है। पौने चार करोड़ की तो कस्टम की आमदनी कम होती है और लगभग डेढ़ करोड़ रुपये की सेल्स टेक्स की आमदनी नई होती है। तो साधारण सी बात है कि अगर कस्टम रहता, कस्टम की आमदनी हमें मिलती तो न घाटा था और न बाढ़ा था। अतः यह तो आमदनी के घाटे की बात नहीं है। कल्याणकारी राज्य के लिये खर्च की ज़्यादा मद रख कर, कल्याणकारी कामों में ज़्यादा खर्च के लिये रकम रखी गई होती तो कहा जा सकता था कि हमने कल्याणकारी कार्यों के लिये इतना रुपया रखा है, घाटे की परवाह नहीं की है।

[श्री रामकरण जोशी]

मैं निवेदन करूंगा कि समाजवादी पेटर्न के आधार पर सर्वोदय के लिये जिस प्रकार के बजट की आवश्यकता थी, वैसा बजट होना चाहिए था। मैंने यह देखा कि हमारे इस वर्त्तमान बजट में ऐसी मदें रखी गई हैं जिनका जिक्र माननीय सदस्यों ने किया है।

गफूरनजी के लिये दिये गये १२००) रु० का जिक्र किया गया। रूलर्स के लिये और उनके जितने मातहत आदमी हैं उनके लिये एलाउन्सेज़ की व्यवस्था है। संविधान ने इस तरह की गुंजायश रखी है, उसके लिये किसी को एलाउन्स दिया जाता है। हां, अब तक नहीं रहा हो और इस वर्ष से नई सहायता चालू हो तो सोचने की बात है।

हमारे बजट की रकम किसके द्वारा खर्च की जाय? वाटर बोर्ड को ले लीजिये। वाटर बोर्ड ने अब तक काम नहीं किया है और कहा यह गया है कि ३ साल में १० लाख रुपये खर्च किये गये हैं; १० लाख रुपये जिन परिस्थितियों में हुए जब कि ज्यादा खर्च होने चाहिये थे, इसलिये नया तरीका अख्त्यार करना चाहिये, जरूर करना चाहिये। वह नया तरीका क्या हो? समाजवादी पेटर्न वाला नया तरीका कैसा होगा? यह तो नहीं हुआ और मिनिस्टर इन्चार्ज कुछ आदमियों के नाम इसलिये करते हैं कि उनको वे चाहते हैं। वे मानते हैं कि इन लोगों की देश में प्रतिष्ठा है, नाम है, इसलिये उनको काम पर मुकर्रर कर देते हैं और धन-राशि उनके हवाले कर दी कि वे लोगों में बांट दें। राजस्थान की जनता ने, हिन्दुस्तान की जनता ने सदैव से इस तरह के कुछ विशेष व्यक्ति आज से नहीं पुराने जमाने से चले आ रहे हैं, उनका बहिष्कार किया है। पुराने जमाने में राजा लोग भी अपने आस-पास रहने वाले व्यक्तियों को प्रोत्साहन देते थे। फिर क्या फरक हुआ उस जमाने के राजाओं के समय में और आज जनतान्त्रिक जमाने में? यह संविधान के आधार पर और जनतन्त्रीय परम्पराओं के आधार पर ठीक नहीं जंचता।

वाटर बोर्ड मुकर्रर जरूर करना चाहिये था पर जनतान्त्रिक परम्पराओं के आधार पर, संविधान के आधार पर फाइनेन्शियल कॉर्पोरेशन, पी. डब्लू. डी. बोर्ड मुकर्रर करना चाहिये था। लाखों रुपया हर साल खर्च होता है। बजट में आने वाली रकम का कितना रुपया ठीक तरह से खर्च होता है, इसके लिये हम देख-रेख की व्यवस्था करें, बोर्ड का निर्माण करें। पर इसके सदस्य खास व्यक्ति ही हों, यह नहीं होना चाहिये बल्कि रिप्रेज़ेन्टेटिव करेक्टर के होने चाहिये, इसमें सरकार की जवाबदारी है। रिप्रेज़ेन्टेटिव करेक्टर में दलगत नीति, राजनैतिक पार्टीबाजी होती है, इसलिये काम नहीं होता है, यह दलील थोथी है और ऐसे आदमियों का बोर्ड बना देते हैं, जिनका जनतान्त्रिक स्वरूप नहीं है; जिससे कि इस तरह के काम में गड़बड़ी नहीं आती है? डेमोक्रेसी में अच्छी बातें भी हैं तो व्यक्तिगत बुरी बातें भी होती हैं, जब हमने डेमोक्रेसी को स्वीकार किया है तो उसकी सारी बातों को स्वीकार करना पड़ेगा। इसके सिवा कोई दूसरा चारा नहीं। हमें जनतान्त्रिक उसूलों को मानते हुए उन्हीं के अनुसार काम करना चाहिये। इनको एक तरफ रखकर जो लोग अपने आस-पास रहने वाले हैं, या उनकी समाज में प्रतिष्ठा है या वे लोग बड़े आदमी हैं, यह कहकर किन्हीं व्यक्तियों को नामजद किया जाय तो मुझे इस बात से सख्त विरोध है। यह तो हम प्रतिगामी बनने की कोशिश कर रहे हैं।

Page No.18

[श्री रामकरण जोशी]

एक माननीय सदस्य ने कहा कि पंचायतों के मार्फत पैसा खर्च होगा और जहां पंचायतें नहीं हुई हैं, वहां ग्राम कमेटियां बना दी जायंगी, उनकी मार्फत पैसा खर्च होगा और जहां पंचायतों की ऐसी स्थिति है कि दलबन्दी है, पार्टीबाजी है, वहां कमेटी बना देंगे। तो बहुत आश्चर्य हुआ। यह तो प्रजातन्त्र की मखौल है। यदि पार्टीबाजी और ग्रुपबाजी की वजह से जनतन्त्रीय इकाइयों को मान्यता नहीं दी जावे तो हर सूबे में राजप्रमुख या गवर्नर का शासन हो। हमारी तो और भी बुरी हालत है। दलबन्दी जो होती है, राजनीति पार्टी और दूसरी पार्टी चलती है, सरकारें बनती हैं और चली जाती हैं। जब ये सब चलते हैं तो पंचायतों का काम क्यों नहीं चले ? वह इसलिये नहीं चालू होता कि पंचायतें अमुक दलबन्दी की हैं, उन्हें काम नहीं करने दिया जाय, लेकिन मैं यह कहूंगा कि आज के जमाने में यह तरीका चलने वाला नहीं है। यह कहा जाता है कि पंचायतों का चुनाव नहीं हुआ है, इसलिये ग्राम कमेटी नामजद की जाती हैं। चुनाव के कानून के अन्दर ऐसा होता है कि अगर पंचायत के चुनाव कराने का इरादा करे तो एक महीने में सम्पूर्ण चुनाव हो सकते हैं। रूप-रेखा तैयार है, वार्ड भी बने हुए हैं, क्या देर लगती है ? आप गांव के आदमियों के नाम तलाश करके नामजद करेंगे, उतने दिनों में रेवेन्यु डिपार्टमेंट के अधिकारी को या किसी शिक्षा-विभाग के हैड मास्टर और पंचायत इन्सपेक्टर को मुकर्रर कर दीजिये और वे लोग पंचायतों का चुनाव करा देंगे। पंचायतें मुकर्रर हो जायंगी, तब इनके द्वारा जल-व्यवस्था के कार्य कराइये। यही हालत सेन्टर रूरल वाटर सप्लाई बोर्ड की इस वक्त में है। लोगों को मुकर्रर करने का एक सवाल आता है। आप इस सम्बन्ध में कमेटी बनाना चाहते थे तो आपको किस प्रकार के आदमियों को उसमें रखना चाहिये ? इस बात का ध्यान रखना चाहिये था और किस प्रकार से लेना चाहिये, इस बात का ध्यान रखना चाहिये था। आप अपनी मर्जी के आदमियों का बोर्ड बनालें और करोड़ रुपया उनके हवाले कर दें, यह उचित नहीं है। इस तरह से बना हुआ बोर्ड इस बात को साबित करेगा कि वर्तमान सरकार कुछ गिने-चुने लोगों के बल पर सोश्यलिस्ट पेटर्न कायम करने का ख्वाब देखती है। बहुत अर्से से ये लोग त्याग करते आये हैं, ऐसा कहकर हर जगह उन्हीं दो-चार आदमियों को नामजद करते रहना पुराने पेटर्न का नक्शा है और अब यह सोश्यलिस्ट पेटर्न नहीं हो सकता। यह बोर्ड बना है उसमें १०, ४ या ३ जो जो नाम चले आते हैं, वे वे ही हैं। सत्ता के इस काम को जिम्मेदारी को बांटना नहीं चाहते और कुछ लोग यह चाहते हैं कि कोई विधान सभा की तरफ से और कोई रिप्रेज़ेन्टेटिव व्यक्ति इसमें नहीं हों। जो ५, ७ या १० आदमी काम में नियुक्त हो जावेंगे, काम चलावेंगे। यदि प्रतिनिधि स्वरूप दिया जाय और कुछ आदमी इसमें रिप्रेजेन्टेटिव हो तो सब काम खत्म हो जावेगा। अगर यही भावना है तो हमें समझना चाहिये कि ये ५, ७ या १० नहीं रहेंगे तो दुनियां में अंधेरा हो जायगा। आदमी आवेंगे और जावेंगे। मगर दुनिया का काम तो चलेगा। इसलिये अगर हमको, दुनियां को, ठीक तरह से इस पेटर्न के अनुसार चलना है तो लोगों पर हमें विश्वास करना होगा और विश्वास देना होगा। विश्वास पर यह सरकार चालू है और विश्वास पर ही दुनियां चलती है। यह नहीं हो सकता कि शुरू से आखिर तक अपने आदमी नामजद करने से काम चलता रहे। पुराने जमाने में रूलर्स ऐसा ही करते थे। वे मंत्री को नामजद करते थे, कोई हिन्दुस्तान में मिलता और कोई इंगलैण्ड में मिलता था। बाहर से अंग्रेज और दूसरे लोगों को बुलाते थे और वे चीफ मिनिस्टर आदि का काम करते थे। उनमें एडमिनिस्ट्रेटिव काबलियत शायद ज्यादा होती थी, लेकिन जनता के विश्वास की

[श्री रामकरण जोशी]

कमी रहती। लोगों ने नामजदगी की पद्धति को पसन्द नहीं किया है और जिस चीज को हमने नापसन्द किया तो आज हमारे यहां परिवर्तन हुआ है, वह नापसन्दगी का ही कारण है और उसी कारण से आज हम सत्ता में आकर बैठे हैं। आज हम नामजदगी को ही अपनावें तो हमारी भी वह स्थिति होगी जो राजाओं की हुई। इसलिये मैं समझता हूं कि नोमिनेशन को हमें बन्द करना चाहिये, उसको तभी करना चाहिये जहां उसकी जरूरत है। ऐसी व्यवस्था हो कि रिप्रेज़ेन्टेटिव आम चुनावों में हमने नामजदगी नहीं रखी। हरिजन भी चुनकर ही डबल मेम्बर आ सके। निर्वाचन क्षेत्र बना कर भी प्रतिनिधि स्वरूप ही लिया। एक सवर्ण, दूसरा हरिजन खड़ा हो और दूसरे से मुकाबला करके आवे। मैं यह कहूंगा कि अपने में विश्वास रखना चाहिये। हमारे यहां पंचायतें हैं, डेवेलवमेन्ट कमिटीज़ हैं। उनके रहते यह नामजदगी का तरीका अप्रजातांत्रिक है। आप पंचायतों के द्वारा कुछ भी रूरल सप्लाई वाटर बोर्ड का काम नहीं करना चाहते, क्योंकि आपमें दलबन्दी है। मतलब यह होगा कि शुरू से आखिर तक आप नोमिनेशन करना चाहते हैं। आपको चुनाव प्रणाली में विश्वास नहीं रहा, आप में से कोई कहता है कि व्यासजी ने यह कैसे कह दिया, सदन में कैसे कह दिया ! मैं यह कहूंगा कि अपने यहां जितने भी सदस्य बैठे हैं और वे डेमोक्रेसी के हिमायती हैं तो उनका यह फर्ज है कि वे देखें कि कोई काम किस तरीके से हो रहा है ? बोर्ड में उनके रिप्रेज़ेन्टेटिव हैं या नहीं और नहीं हैं तो जरूर होने चाहिये। आप अपने भाई, अपने बाप या सगे सम्बन्धियों को या अन्य मित्रों को नोमिनेट करते हैं तो लोग ख्याल करते हैं कि आपका शासन सिर्फ अपनों के लिये है।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हम बजट के आंकड़ों में देखते हैं कि उसमें व्यक्तिवार, ग्रुपवार और अपने आस-पास के इकट्ठे हुए लोगों का विकास करने का नकशा नजर आता है। हम इस प्रकार का नकशा नहीं चाहते। ६ आदमियों ने जर्मनी में नेशनल सोश्यलिस्ट पार्टी तैयार की और इन ६ आदमियों ने जर्मनी में समाजवाद के नाम पर बहुत कुछ किया। उन्होंने जर्मनी में जनतन्त्र के नाम पर फैसिस्टों का जाल बिछाया। क्या उसी प्रकार का प्रजातंत्रीय नक्शा सरकार बनाने जा रही है। अगर वैसा नकशा ही है तो हम यहां पर नाजीवाद नहीं चाहते। हम यह चाहते हैं कि सरकार आम लोगों में विश्वास रखने की कोशिश करे। क्या ५ या ७ आदमियों को हर जगह नोमिनेट करके या ५ आदमियों को इसमें और जोड़ करके आप सरकार को कहीं ले जाना चाहते है। मैं यह कहूंगा कि यह टीक पद्धति नहीं है। संभवतः कुछ लोगों का ऐसा खयाल है कि आप इस प्रकार नोमिनेशन से कुछ लोगों को अपने में मिला कर सरकार को आगे चला सकेंगे : आप चला लें, लेकिन इसका परिणाम क्या होगा ? इसका परिणाम यह होगा कि राजस्थान में डेमोक्रेटिक सोश्यलिस्ट पेटर्न जिसे आप कायम करना चाहते हैं ; नहीं होगा। बल्कि उसका मतलब यह होगा कि १०, २० या ५० आदमी इकट्ठे होकर सारे काम को अपने हाथ में लेकर पुराने जमाने के राजाओं की तरह चलावेंगे। पहले राजस्थान में २२ रियासतें थीं और वहां के राजाओं ने भी नोमिनेशन का काम अपने हाथ में रखा था, पूरा राजस्थान उस समय २२ हिस्सों में बंटा था। वे मंत्री अपने मन-चाहे रखते। मगर वह बात नहीं चली। शासन चलाने की सारी जवाबदारी सदन के नेता पर है। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि आपके हाथ में जबावदारी है, आपको इस पर ध्यान देना आवश्यक है। नामजदगी पद्धति को प्रोत्साहन नहीं होना चाहिये। मैं समझता हूं कि कोई भी बोर्ड बने, उसमें ७५ प्रतिशत प्रतिनिधि इस हाउस में होने चाहिये।

Page No.20

[श्री रामकरण जोशी]

जरूर बोर्डों में कोई एक्सपर्ट होना चाहिये क्योंकि किसी बात को जानने के लिये स्पेशलिस्ट की जरूरत पड़ती है। ऐसे स्पेशलिस्ट और एक्सपर्ट नोमिनेट अवश्य करिये और उसके बाद ७५ प्रतिशत रिप्रेज़ेन्टेटिव इस हाउस के होने चाहिये तब तो वह बोर्ड अच्छी तरह से काम कर सकेगा और उसका स्वरूप प्रजातांत्रिक होगा। इस प्रकार की रिकमन्डेशन की चिठ्ठियां लिखने वाले और चिठ्ठियां लाने वालों का महत्व कम हो जावेगा। ऐसी चिठ्ठियाँ रद्दी की टोकरी में डाल दी जावेंगी। सोशलिस्ट पेटर्न इस प्रकार की किसी भी रिकमन्डेशन को मंजूर नहीं करता; उसमें उसकी गुंजायश ही नहीं। हम भी रोकने की कोशिश करते हैं। हमारे सत्ताधारी मित्र रोकने की कोशिश करें। यहां रिकमन्डेशन का बोलबाला न रहे। किसी आदमी की तरक्की, किसी आदमी का एपॉइन्टमेंट इसलिये रुका हुआ रहे कि उसके पीछे रिकमन्डेशन नहीं है, चाहे उसमें काबलियत हो, किसी जगह सड़क इसलिये पंचवर्षीय योजना में नहीं ली जाती कि उसके लिये कोई रिकमन्ड करने वाला नहीं, पंचायतों के वार्ड और केन्द्र चुनाव आदि बदल जाते हैं क्योंकि सिफारिश से काम हो तो हमें दुःख होगा। मंत्री-मंडल ध्यान रखे कि नौकरशाही को यह मालूम हो जाय कि किसी किस्म की रिकमन्डेशन नहीं चलेगी और अगर आप लोग अपना काम नहीं चला सकेंगे और काम करने के लिये नाकाबिल साबित होंगे तो पद पर नहीं रहेंगे। लेकिन जब तक हमारे अन्दर इस प्रकार के आदमी रहेंगे; रिकमन्डेशन चलती रहेगी और न्याय नहीं होगा। अब यह कहा जाता है कि काम पहले भी चलता था और इस प्रकार के आदमी पहले भी मौजूद थे। मैं यह कहूंगा कि जब तक इस प्रकार के आदमी रहेंगे, लोगों को न्याय नहीं मिलेगा और हाउस का वक्त ऐसे आदमियों की चर्चा मे जाया होगा।

इसलिये मेरा निवेदन करने का मतलब यह है कि हम सोश्यलिस्टिक पेटर्न को कायम करने में मदद करें और उसको कामयाब करने के लिये सर्विसेज़ का उत्थान करें और उनको बाध्य करें और हिदायत करें कि उनको हमारे पेटर्न के अनुरूप होना चाहिये। डाइरेक्टर ऐसे पत्र को रद्दी की टोकरी में डाल दे या उसको लेकर सरकार के सम्मुख जिम्मेदार या मुख्य मंत्री के पास रख दे, तब ऐसी सिफारिशें बन्द होंगी।

श्री वेदपाल त्यागी—उनको विश्वास नहीं, इसलिये नहीं रखा।

श्री रामकरण जोशी—वही विश्वास की बात तो कर रहा हूं। वह विश्वास कायम करना चाहिये और उसके लिये कोशिश करना चाहिये और जब तक यह विश्वास नहीं है तो मैं नहीं मानता कि राजस्थान की सरकार दो वर्ष या दस वर्ष भी चला करे, राज्य का भला नहीं हो सकता और जो लोक-कल्याणकारी राज्य बनाने की भावना है, वह पूरी नहीं हो सकती।

मैं इस सोश्यलिस्टिक पेटर्न का स्वागत करता हूं और इस बजट का स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि नये वित्त-मंत्री महोदय जो अभी-अभी नये लौटे हैं, शक्ति-सम्पादन करके शासन में जाकर अच्छी तरह से काम करेंगे और इस बजट के द्वारा इस प्रकार का पेटर्न चलाने की कोशिश करेंगे कि बजट में जो समावेश किया हो, वह सोश्यलिस्टिक पेटर्न की ओर ले जाने के लिये हो। लेबर के विकास के लिये ज्यादा पैसा, एग्रीकल्चर और किसानों के उत्थान के लिये ज्यादा पैसा हो, लोकल

Page No.21

[श्री रामकरण जोशी]

बोडीज़ के लिये और उनको फाइनेन्स करने के लिये ज्यादा पैसा हो और यह बात हम इसमें नहीं देख पाये। इसमें ऐसे कुछ आइटम हैं जो व्यक्तिगत महत्त्व बढ़ाते प्रतीत होते हैं, ऐसा ठीक नहीं है। मैं मानता हूं कि हमारे मुख्य साथी को पता है या नहीं, मुझे नहीं मालूम। पेज २२५ पर उनके नाम पर दर्ज है, "Expenditure for the welfare of the ex-cirminal tri[illegible]s:

Schemes entrusted to a voluntary agency by Shri Manak Lal Verma... Rs. 75,000/-."

समाजवादी पार्टी में यह क्यों होना चाहिये। किसी व्यक्ति विशेष को ही क्यों सौंपा जाय। इसके लिये एक बोर्ड बना कर उसके लिए खर्चा करने की रकम को निर्धारित कर दीजिये। बोर्ड का स्वरूप जनतंत्रीय हो।

हमें यह समझना चाहिए कि यह सरकार १।। करोड़ जनता की सरकार है और १।। करोड़ जनता की सरकार में बैठे साथियो ! मैं मानता हूं कि आप सब उसके ट्रस्टी हैं और यह लिमिटेड कोऑपरेटिव संस्था नहीं है, लिमिटेड कन्सर्न नहीं है। इसलिये उनको ट्रस्टी के तौर पर काम करना चाहिए और जो यह सोश्यलिस्टिक पेटर्न कायम करना चाहते हैं और इस प्रकार की समाजवादी व्यवस्था लाना चाहते हैं तो जो हुकूमत करने वाले हैं वे ट्रस्टी के तौर पर हुकूमत करें, उनको खुद को अपनी हुकूमत नहीं मान लेना चाहिए। एक लिमिटेड कंपनी होती है, उसमें भी शेयर होल्डरशिप होती है, उसका डेमोक्रेटिक स्वरूप होता है, प्रजातंत्रीय स्वरूप होता है, चुनाव होते हैं, चेयरमेन चुना जाता है और दूसरे लोगों का भी चुनाव होता है। परन्तु उसमें और सरकार में फर्क है। हम प्रजातंत्र कायम करना चाहते हैं, बुलियन एसोसियेशन के तरीके का नहीं। हमारी सरकार के १।। करोड़ शेयर-होल्डर हैं और उसका एक एक बच्चा उसका हिस्सेदार है, मालिक है। मंत्रीमंडल ट्रस्टी-मंडल है। उसका फर्ज है कि सरकार को सही तरीके से चलाये। १०-१०, २०-२० और २५-२५ मंत्रीमंडल में बैठे साथी भी उसके ट्रस्टी हैं, उसके मालिक नहीं। भूल कर यह न समझें कि वे सरकार के मालिक हैं। यदि समझते आये हैं तो इसको दिमाग से निकाल दें और यह प्रगट करना चाहिये कि सरकार के ट्रस्टी हैं, फिर इस तरह की चर्चाएं नहीं आवेंगी। इसलिये यदि ट्रस्टीशिप की भावना को डिक्लेयर करना चाहते हैं तो मैं उम्मीद करता हूं कि वे इस बात को सामने रखेंगे कि हम सरकार में ट्रस्टी के तौर पर हैं। सदस्यों में अविश्वास है, जनता में अविश्वास है, पार्टियों में अविश्वास है और कोई कहता है कि अपनी पार्टी में ही अविश्वास है। सब खत्म हो जायगा, यदि हम ट्रस्टी के तौर पर शासन न चलावेंगे। केवल घोषणा से काम नहीं चलेगा, उसके लिये एक्शन भी दिखाना पड़ेगा। बोर्ड नोमिनेट करने का रास्ता छोड़ देना पड़ेगा। इस तरीके से मैं समझता हूं कि बजट को पेश करते हुए जिस लोक-कल्याणकारी राज्य के बनाने की बात कही गई है, जो सोश्यलिस्टिक पेटर्न की बात कही गई है, उसकी तरह एक एक सरकार का कार्य पूरा होना चाहिये और उस तारीख से साल भर में उसमें बड़ा परिवर्तन आ जायगा। हमारा विश्वास है और हमारे उस विश्वास की पूर्ति की बात आप कुछ मित्रों के हाथ में है। आप इस राज्य को कामयाबी के साथ डेमोक्रेटिक सोश्यलिस्टिक पेटर्न की ओर ले जावेंगे और उसमें एक-एक आदमी का पूरा पूरा सहयोग मिलेगा। मेरा निवेदन है और मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे बजट को इस रूप में रखा जाता तो ठीक रहता। इतना ही कह कर मैं समाप्त करता हूं।

[श्री यशोदा देवी]

सामने यह कर्त्तव्य आ रहा है। जिस समय वे मंत्री-पद पर थे, तीन महीने पहले तो वह कर्त्तव्य की भावना कहां गई? उन्होंने उस वक्त क्या यह नहीं देखा? उस वक्त बजट में हमने नहीं देखा जो आज सामाजवाद का नारा इस बजट में लगाया गया है, वह तब तक बराबर नहीं होगा जब तक कि यहां पूंजीवाद का खात्मा नहीं होगा। जब तक दातार, बिड़ला और डालमियां जैसे पूंजीपतियों का खात्मा नहीं होगा तब तक यह गरीब इन्सान का ढांचा ऊपर नहीं उठ पायगा, तब तक सच्चे मायने में समाजवाद की स्थापना नहीं हो सकेगी और तब तक समाजवादी बजट राजस्थान में नहीं आ सकता।

माननीय अध्यक्ष, इस समाजवाद की स्थापना करनी है तो हमें केवल तीन शब्दों का प्रबन्ध करना होगा; "रोटी, रोजी और कपड़ा"। आज हालत यह है कि इसके लिये एक गरीब को मिनिस्टरों के दरवाजे खटखटाने पड़ते हैं, उनके रिश्तेदारों के दरवाजे खटखटाने पड़ते हैं। लेकिन समाजवाद और कल्याणकारी राज्य कायम करने के लिये हमारे नये मंत्रीमंडल को, हमारी केन्द्रीय सरकार के लोगों को, जब तक गरीब की झोपड़ी में 'रोटी, रोजी और कपड़े' का प्रबन्ध नहीं कर देती, उनको महलों के दरवाजे से उठाकर गरीब की झोपड़ी तक नहीं लाती, तब तक हमारे देश में समाजवाद का नारा स्थायी नहीं हो सकता।

यह ठीक है कि इस बजट में शिक्षा के लिये, स्वास्थ्य के लिये काफी पैसा रखा गया है। स्वास्थ्य की रक्षा के लिये भी बजट में काफी रकम रखी गई। यह रकम इस प्रकार की है-जैसे किसी राजा ने एक घोड़ी रखी और उस घोड़ी की देखरेख के लिये एक नौकर भी रखा। घोड़ी को ठीक रखने के लिये उसके दाने का भी अच्छा इन्तजाम किया, लेकिन घोड़ी हमेशा दुबली ही रहती थी क्योंकि उसको जो दाना दिया जाता था उसमें से आधा उसकी देखरेख करने वाला खा जाता था। इससे घोड़ी कमजोर रहती थी। इसी प्रकार की हालत हमारे इस स्वास्थ्य विभाग की है। डाक्टरों के लिये वेतन तो ज्यादा रखा गया किन्तु दवाइयों के लिये पैसा कम। इन बातों में सही मायने में सुधार तभी हो सकेगा जब तक कि हमारे मंत्री महोदय अपने डिवीजन के छोटे छोटे गांवों में चक्कर लगाकर नहीं देखेंगे। जब तक वे देहातियों की परिस्थितियों को अपनी आखों से नहीं देखेंगे तब तक इस समाजवादी दृष्टिकोण में परिवर्तन नहीं आ सकता। केवल बजट प्रस्तुत करने से, उसके बड़े बड़े नकशे बता देने से ही समाजवाद आया हुआ नहीं माना जा सकता। समाजवाद की स्थापना के लिये आपको खून और पसीना एक करना होगा। आपको महलों के सपने भूलने पड़ेंगे, झोपड़ियों की तरफ आना होगा। तभी सच्चे रूप में समाजवाद आ सकता है, नहीं तो नहीं।

शिक्षा-विभाग में किस प्रकार का भ्रष्टाचार हो रहा है, उसके लिये तो मैं जब इस सम्बन्धी मांग आयगी तब, शिक्षा में किस प्रकार का भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, उस समय नक्शा पेश करूंगी। किस तरीके से शासन के इस पैसे का दुरुपयोग हो रहा है? सरकार की मदद करने वाले साथी लोग किस प्रकार सरकार की आंखों में धूल झोंक कर, किस प्रकार भ्रष्टाचार से अपने पास पूंजी को इकट्ठा कर रहे हैं! यह बजट, जिसको समाजवादी कहा गया है, इस प्रकार के पक्षपात से नहीं चल

[श्री यशोदा देवी]

सकता। कल्याणकारी राज्य और समाजवादी राज्य तब तक नहीं हो सकता जब तक कि गरीब जनता को, सब को 'रोजी, रोटी और कपड़ा' नहीं मिलता। जब तक बड़े बड़े कारखाने बन्द न होकर छोटे-छोटे उद्योगों को प्रोत्साहन नहीं देंगे तब तक समाजवाद की स्थापना नहीं हो सकती। ऐसी हालत में कम से कम मैं तो इस बजट का स्वागत नहीं करती।

श्री बलवीरसिंह—माननीय अध्यक्ष, करीब तीन-चार रोज से बजट का नाम लेकर, कुछ व्यक्तिगत और आपसी मतभेदों को निकालने के लिये, सोश्यलिस्टिक पेटर्न के नाम पर जुदा जुदा तरीके से एक अजीब वातावरण इस सदन में हो रहा है। उसके लिये मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि इस तरह का वातावरण किसी भी प्रान्त के लिये और किसी भी प्रान्त के निवासियों के लिये कहां तक हितकर हो सकता है? यह देखने की बात है। इन भाषणों से यह साफ तौर से पता चलता है कि इनका आपसी झगड़ा है। आपसी मन-मुटाव के लिये सदन में इस प्रकार की बातें कही जा रही हैं। मैं इस चीज पर ज्यादा न कहकर, मुझे भी इस संबन्ध में पिछले दो-तीन सालों से जो कटु अनुभव हुआ है, उस सिलसिले में कहूंगा। पिछले एक-दो साल से राजस्थान के किसान को कितनी परेशानी उठानी पड़ी, उसका जिक्र करूंगा। वैसे करीब करीब दो साल, पिछले तीन सालों से जिस तरह का रवैया इस राजस्थान की सरकार ने अपनाया है, किस तरह से किसान के साथ खिलवाड़ की गई, किस तरह से उनकी रोजी को बरबाद किया गया, उन चीजों को मैं आपके जरिये सदन को बताने की कोशिश करूंगा। खास तौर से पंचायत डिपार्टमेन्ट, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, मेडिकल डिपार्टमेन्ट के बारे में अर्ज करूंगा। थोड़ा-सा मैं पुलिस डिपार्टमेन्ट के बारे में भी प्रकाश डालूंगा।

पंचायत डिपार्टमेन्ट के बारे में मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि भूतपूर्व स्वायत्त शासन-मंत्री के समय जिस वक्त पंचायतों के केन्द्रों का निर्माण हुआ था और जिस ढंग से उनके द्वारा वार्डों में विभाजन हुआ, उस बारे में मैं कुछ बातें आपके समक्ष अर्ज करूंगा। सीकर जिले में जहां जहां पंचायतों के केन्द्र बनाये गये, जिन गांवों की एक तरफ तो आबादी है २०० आदमियों की उसको पंचायत का केन्द्र बना दिया गया और दूसरी तरफ जहां हजार या दो हजार की आबादी थी उसको केन्द्र बनाना तो दूर, उनके लिये पंचायत के केन्द्र इतनी दूर लगाये गये जो इन बड़े गांवों से सोलह-सोलह मील या पन्द्रह-पन्द्रह मील की दूरी पर थे और दूसरी तरफ ऐसे केन्द्र हैं, जिनकी दूरी इन गांवों से आध मील और एक मील से ज्यादा नहीं थी, वहां न लगाकर १५-१६ मील दूर लगाया। एक ही केन्द्र की बात हो, सो बात नहीं—यह बात सीकर जिले के ६०-७० पंचायत-केन्द्रों की है।...

श्री अध्यक्ष—आप ये बातें तो कट मोशन्स के वक्त भी कह सकते हैं। अभी तो बजट पर आप बोलिये।

श्री बलवीरसिंह—यह तो केवल उदाहरण के तौर पर मैंने आपको बताया है। जब यह बातें शुरू कर दी गई तो मेरे लिये भी यह आवश्यक है कि मैं भी इस संबन्ध में कुछ बोलूं। इस ढंग से जो जो बातें सीकर जिले में भूतपूर्व मंत्रीमंडल के समय की गई, जिस प्रकार वार्ड बनाये

[श्री बलवीरसिंह]

गये, उनके बारे में अधिक न कहकर पंचायतों के बारे में मैं केवल इतना बता देना चाहता हूं कि भूतपूर्व स्वायत्त शासन-मंत्री ने किस प्रकार सीकर जिले के साथ व्यवहार किया ? एक वर्ग को, जिस वर्ग की पोपुलेशन ५ लाख २५ हज़ार है उसको किस तरह दबाने की कोशिश की गई ? जो हथकण्डे इस वर्ग को दबाने के लिये भूतपूर्व मंत्री-मंडल ने काम में लिये, उन हथकण्डों को राजस्थान का बच्चा बच्चा जानता है। जिसके दिल में किसान के प्रति दर्द है, वे सब इस बात को और उनकी कार्यवाही को जानते हैं।

राजस्थान के किसान इस बात को महसूस करते हैं कि भूतपूर्व मन्त्री-मण्डल ने एक इस ढंग का रवैया अपनाया था, जो वर्ग सदियों तक निरंकुश राज्य करता आया और आज जिसके दिन समाप्त हो गये थे उसी वर्ग को भूतपूर्व व्यास-मंत्री-मंडल प्रोत्साहन देकर फिर चाहता था कि उसी वर्ग के नीचे किसान आज फिर दबा रहे, उसे कुचल दिया जावे और राजस्थान में फिर आने वाले समय में इस ढंग से दबा दिया जावे कि आने वाले चुनावों में, एक चुनाव में नहीं, कई चुनावों तक, कई वर्षों तक उसी ढंग से दबाया जाता रहे। इसके लिये मैं आपको अपने सीकर जिले का उदाहरण बताऊंगा। वहां जो अफसर भेजे गये; कलेक्टर, डी० वाई० एस० पी०, एस० डी० एम० वे सब जागीरदार भेजे गये और इसलिए भेजे गये कि सीकर जिले के किसानों को दबावें, उन्हें तबाह करें। इस बात का एस० डी० एम० ने तो एलान भी कर दिया। एक महीने में उसने ४ फैसले दिये और उनके दिये जो सीधे किसान से ताल्लुक रखते थे और जिसके लिये सरे-आम अदालत में ऐसा कहा गया "जागीरदार जागीरदार रहेंगे, ये चमार इस तरह की क्या बात करते हैं; ये बलाई बलाई रहेंगे, चमार चमार रहेंगे, इनकी हालत जैसी है, वैसी ही रहेगी। इन सरदारों (जगीरदारों) के पैर पकड़ लो—वर्ना मर जावोगे" इस प्रकार चारों फैसले जागीरदारों के पक्ष में हुए।

इस प्रकार के काले कारनामे भूतपूर्व मंत्री-मंडल ने किये। पूरे के पूरे गांव के अन्दर किसानों के जो आने-जाने के रास्ते थे, वे बन्द करवा दिये। १२० साल से जो किसान खेत जोतता आ रहा था, ऐसे किसान से उसका खेत छीन लिया गया। इसके लिए पहले मैंने सदन में उस समय भी कहा था। इसके बाद में जब वह जमीन हाईकोर्ट से वापिस उस किसान को मिली, तब भी एस०डी०एम० और कलेक्टर ने मिलकर ऐसा षड्यन्त्र किया कि किसानों को जेल में रक्खा और वह किसान और उसकी औरत दो महीने जेल के सीखचों में बन्द रहे। इस तरह के काले कारनामे भूतपूर्व मंत्री-मंडल ने किये। वे आज जिस वक्त कि पॉवर से हट गये और दूसरी तरफ बैठ गये, हाथों में ताक़त नहीं रही, तब इस तरह की बातें करते हैं कि यह अन्याय हो रहा है। जब आप थे तब क्या हो रहा था, इसका आपको खयाल नहीं है। आज कहते हैं और सोश्यलिस्ट पैटर्न की बात करते हैं, समाजवाद की बात करते हैं और इस तरह की चीजें कहते हैं कि इस तरह का जल बोर्ड बना तो इस जल बोर्ड को इस राजस्थान में हम काम नहीं करने देंगे। काम नहीं करने देंगे तो क्या वे इस तरह की चीज चाहते हैं कि जनता पानी के बगैर मरती रहे, गरीब जनता को पानी नहीं मिले, मवेशी प्यासे मरते रहें ? मेरे खयाल से उनका इरादा यही लगता है, जो चलेगा नहीं।

इसके बाद में वर्तमान मन्त्री-मंडल से एक चीज निवेदन करना चाहता हूं कि गये साल

[श्री बलवीरसिंह]

में मवेशियों की बीमारी फैली थी और इसको लेकर इतना भयंकर नुकसान हुआ राजस्थान में, जिसकी कोई हद नहीं। इसलिये मेरा यह निवेदन करना है कि मवेशियों के अस्पताल खोले जाएं। गावों में आज मवेशियों के अस्पताल नहीं हैं और अगर हैं तो वे शहरों में ही हैं। इससे गांव के लोगों को ज्यादा फायदा नहीं होने वाला है। मेरे विचार से हर १५ मील पर एक मवेशी अस्पताल जरूर होना चाहिये ताकि गांव के किसानों को शहरों में जाकर परेशान नहीं होना पड़े और उनके मवेशी बीमार हों तो उनका इलाज वहीं गांव में हो सके।

एजुकेशन पर काफी खर्चा रक्खा गया है। यह सन्तोष और खुशी की बात है। पर आज शिक्षा में एक बड़ी भारी खराबी है और वह यह है कि जो आज की शिक्षा-पद्धति है, वह सही नहीं है। इसके लिए बेसिक एजुकेशन होनी चाहिये और खास तौर से गांवों में यह सब होना चाहिये ताकि बेरोजगारी जो शिक्षित वर्ग में अधिक फैल रही है वह कम हो, विद्यार्थी-जीवन से ही वे कुछ काम करना सीखें और पढ़ाई समाप्त होने के बाद भी वे उन्हीं कामों में लग जाएं और दूसरी बात मैं जो कहना चाहता हूं वह यह है कि राजस्थान की लगभग सवा करोड़ आबादी गरीब किसानों की है, जो देहातों में रहते हैं। गावों के स्कूलों में जो छुट्टियां हों वे गर्मियों में न होकर बरसात के दिनों में होनी चाहिये। बरसात में अनाज बोया जाता है और खेत का काफी काम करना होता है। अगर बरसात शुरू होने के साथ साथ, जब अनाज बोने का समय होता है, उन दिनों में अगर छुट्टियां रक्खी जावें तो गांवों के बच्चे अपने परिवार के अन्य लोगों के कामों में हाथ भी बँटा सकेंगे और साथ ही काम की व्यवहारिक शिक्षा भी प्राप्त कर सकेंगे और इसी प्रकार फसल काटने के समय भी हो।

श्री अध्यक्ष—छुट्टियों पर बोल रहे हैं या बजट पर बहस कर रहे हैं आप ?

श्री बलवीरसिंह—यह गर्मियों में छुट्टियां करने की परम्परा ऐसे ही चल गई है।

श्री अध्यक्ष—आप कहेंगे तो कर देंगे छुट्टियां। ऑर्डर !

श्री बलवीरसिंह—अब पांच-सात मिनट तो और बोल लूं साहब ! अभी समाप्त करता हूं।

श्री अध्यक्ष—छुट्टियों की बात करें, इससे तो अच्छा है आप और किसी को बोलने दें।

श्री बलवीरसिंह—पिछले साल मैडिकल डिपार्टमेण्ट में एक मद इस तरह की थी कि जिसके अनुसार तीन जगह सर्जिकल कैम्प रक्खे गये थे। इन तीन जगहों में दो जगहों के बारे में तो मैं निवेदन नहीं कर सकता पर सीकर में जो सर्जिकल कैम्प रक्खा गया और उसमें तीस-चालीस हजार का जो खर्चा हुआ वह बिलकुल बेकार गया, ऐसा मेरा अनुभव है।

श्री अध्यक्ष—डिमान्ड के बारे में जब बहस हो तो कट मोशन रख कर आप इस बात को ला सकते हैं ; कट मोशन रखियेगा, डिस्कशन करियेगा। जनरल डिबेट पर ये बातें नहीं होतीं।

श्री बलवीरसिंह—क्योंकि अध्यक्ष महोदय की इच्छा है, इसलिए ज्यादा नहीं कहकर अब मैं बैठता हूं।

श्री अध्यक्ष—श्री हिम्मतसिंह।

श्री खेतसिंह—मेरा नाम लिस्ट में है या नहीं, मैं यह जानना चाहता हूं?

श्री अध्यक्ष—था, लेकिन बाद में काट दिया गया है।

श्री किस्तूरचन्द—अध्यक्ष महोदय, पांच मिनट मुझे भी बोलने देने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष—जरूर-जरूर देंगे। एक दिन और एक्सटेन्ड कर दें फिर सबको टाइम दे दें। (सब तरफ से आवाजें "यह बहुत अच्छा रहेगा")

श्री अध्यक्ष—(श्री हिम्मतसिंह से) हां साहब, तो फिर आप बोलिये।

श्री हिम्मतसिंह अटरू—माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो बजट श्रीवित्त-मन्त्री ने इस सदन के सामने पेश किया है, इसमें कोई सन्देह नहीं कि वह एक घाटे का बजट जरूर है, लेकिन यह तो मोडर्न फैशन है कि घाटे का बजट होना ही चाहिये। जब तक न हो, तब तक यह नहीं कहा जा सकता कि यह स्टेट उन्नति की तरफ चली जा रही है। इसलिये जो थोड़ा बहुत घाटा बताया गया है उससे और भी ज्यादा बताते और डेवलपमेण्ट की स्कीमें विशेष होतीं तो और ज्यादा तारीफ के काबिल यह बजट कहा जा सकता था। थोड़े-बहुत घाटे में इसकी ज्यादा प्रशंसा नहीं करके थोड़ी ही प्रशंसा करूंगा।

लक्ष्य हमारा वैलफेयर स्टेट बनाने का है। इसके लिए जो बजट में प्रोवीजन दिया है और जो बजट में आंकड़े रक्खे गये हैं उनको देखने से विदित होता है कि कुछ रकम इस तरफ जरूर रक्खी गई है, यह सब मानेंगे; पर केवल रकम लगा देने से तो कोई वैलफेयर स्टेट नहीं बन जाती? यह तो कहना पड़ेगा कि ऐसा मालूम होता है कि, और जैसा कि हमने स्पीचें सुनी हैं उनसे यह अन्दाज लगता है कि, यह एक धनराशि को लुटाने भर का प्रयत्न हो रहा है। जो स्पीचेज़ सुनी हैं उनसे साफ यह अन्दाज लग रहा है कि हमें कहीं से धनराशि प्राप्त हो गई है और उसे किसी तरह से लुटाना है, जैसे कि मैं कहूंगा वाटर बोर्ड के बाबत जिक्र हुआ और बहुत-सी डेवलपमेण्ट स्कीमों के बारे में जिक्र हुआ। इससे केवल यह मालूम होता है कि इस धनराशि को किसी तरह से लुटाया जावे।

एक कहावत है—"मुफत का चन्दन घिस मेरे मल्ला,
तू भी आ जा, और और भी बुला ला।"

अगर यह इस पर ठीक फबती है तो यह कोई विशेष बात नहीं मानी जा सकती।

हमारा लक्ष्य वैलफेयर स्टेट बनाने का जरूर है, लेकिन जिस तरह हम चल रहे हैं और

[श्री हिम्मतसिंह अटरू]

सोश्यलिस्टिक पेटर्न पर वैलफेयर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वह बात इस बजट में नजर नहीं आती।

मैं सबसे पहले उल्लेख करूंगा पंचायतों का। हमारा लक्ष्य यह था कि हम पंचायती राज्य कायम करेंगे।

श्री अध्यक्ष—आपको और भी काम करना है, लम्बी स्पीच देने के अलावा ?

श्री हिम्मतसिंह अटरू—नहीं साहब, ज्यादा लम्बी नहीं है। पंचायत राज्य कायम करने का लक्ष्य है। पंचायतें इतने सालों से अभी तक बन ही रही हैं। अभी तक पूरी बन भी नहीं पाई हैं और न मालूम कितना समय और लगेगा, तब जाकर पूर्ण पंचायतें हमारी स्टेट में बन पावेंगी।

जिस गति से यह चल रहा है, जितना उसके अलावा उसके लिए मुकर्रर है उसको देखते हुए मैं यह कहूंगा कि वित्त-मन्त्री ने उसके लिए बजट में प्रोवीजन बहुत थोड़ा रखा है, और इस थोड़े से स्टाफ से, इस थोड़े से अमले से सम्पूर्ण रियासत में पंचायत बनाये जाने के काम को एकदम ले आना बहुत कठिन-सा काम बन गया है। पंचायत राज्य बनाने के लिए हम प्रोटेस्ट करते हैं, लेकिन उसके लिए हम वित्त नहीं लगाते हैं जितना कि लगाना चाहिए। ऐसा देखने में आता है कि जहां पंचायतों के चुनाव हो रहे हैं, उसके लिए एक डिविजन से दूसरे डिविजन में चुनाव के लिए हमें आदमी भेजने की आवश्यकता पड़ रही है। नतीजा यह हो रहा है कि जिन पंचायतों का काम चल रहा है, वहां का काम सफर होता है। अच्छा होता कि पंचायत राज्य कायम करने के ऊपर ज्यादा जोर दिया जाता, और अगर पंचायत राज्य दरअसल ही कायम हो जाता तो मैं यह कह सकता हूं दावे के साथ कि यह एक वेलफेयर स्टेट बन सकती थी; लेकिन इस तरफ हमारी सरकार का कतई ध्यान नहीं है।

पंचायत राज्य के साथ-साथ एक्स्टेन्सिव स्कीम्स और डेवलपमेंट स्कीम्स भी चल रही हैं। मैंने भी जिक्र किया था इसके बाबत, राजप्रमुख के अभिभाषण के समय कि एक्स्टेन्सिव स्कीम्स और डेवलपमेंट स्कीम्स जिस तरह से चलने चाहिए, उस तरह से नहीं चल रहे हैं। लक्ष्य हमारा डेवलपमेंट ब्लॉक्स बनाने का है, लेकिन ऐसा मालूम होता है कि शायद धनाभाव से हम डेवलपमेंट ब्लॉक्स नहीं बना सकते। अगर डेवलपमेंट ब्लॉक्स नहीं बना सकते हैं तो एक्स्टेन्सिव स्कीम्स से हम संतोष कर लें, यह वाजिब नजर नहीं आता है। जो हमारा लक्ष्य है उस लक्ष्य पर हमें पहुँचना चाहिए। एक्स्टेन्सिव स्कीम्स भी बनाने का जो तरीका है, वह भी मैं देखता हूं कि बिल्कुल गलत तरीका है। "एक्स्टेन्सिव स्कीम्स" जो शब्द हैं, उसका खुद का जो मतलब है, उस मतलब के अनुसार वह नहीं हो रहा है। एक्स्टेन्ड का मतलब 'विस्तार' है, लेकिन विस्तार नहीं हो रहा है। टुकड़ों में एक्स्टेन्सिव स्कीम्स कायम किये जा रहे हैं तो एक्स्टेन्सिव स्कीम्स का जो उद्देश्य है वह उद्देश्य पूरा नहीं हो रहा है।

Page No.28

[श्री हिम्मतसिंह अटरू]

दो स्कीम्स हमारे सामने हैं वेलफेयर स्टेट को बनाने के लिए। एक पंचायत राज्य स्कीम है और दूसरी एक्स्टेन्सिव स्कीम्स हैं। दोनों वेलफेयर स्टेट को बनाने के लिए अच्छी स्कीम्स हैं। उन स्कीमों को एक्स्टेन्ड नहीं करते और नई स्कीम्स और चालू करते हैं। यह समझ में नहीं आ रहा है कि कौन-सी स्कीम और चालू की जायगी ?

मैं अब कुछ थोड़ा-सा एजुकेशन के बाबत में जिक्र करना चाहता हूं। एजुकेशन के ऊपर वित्त-मंत्रीजी ने काफी रुपया बजट में प्रोवाइड किया है। यह एक बड़ी खुशी की बात है और खासकर प्राइमरी स्कूलों में, लेकिन बजट के देखने से पता चलता है कि प्राइमरी स्कूल्स में जो टीचर्स हैं उनकी तनख्वाह ४० रुपये भी मुश्किल से होंगी। यह टीचर्स के दुर्भाग्य की बात है। ...

श्री मानसिंह महार—लड़कों के दुर्भाग्य की बात है।

श्री हिम्मतसिंह—वह बाद में आयेगा।

इस जमाने में वे खुद पूरा पढ़-लिखकर योग्य नहीं होकर नौकरी की तरफ दौड़ते हैं क्योंकि बेकारी इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि वे अपढ़ या थोड़े पढ़े हुए टीचर्स जो कि खुद भी १६, १७ या १८ वर्ष की उम्र के होते हैं, बालकों को पढ़ाने के लिए कितने योग्य साबित हो सकते हैं, यह एक विचार करने की बात है। नतीजा यह होता है कि वह पढ़ाई में इतना शौक नहीं लेते। बच्चों को अच्छी तरह से नहीं पढ़ा सकते, जैसा कि तजुर्बेकार आदमी पढ़ाता है। कहने का मतलब यह है कि एजुकेशन में इतना रुपया खर्च कर रहे हैं लेकिन वह रुपया भी हमारा बेकार चला जा रहा है। जितनी और जिस तरह की शिक्षा मिलनी चाहिए, वैसी लड़कों को शिक्षा नहीं मिल रही है। शिक्षा यह मिल रही है कि ज्यादा करके सिनेमा देखने की शिक्षा मिल रही है। मैं देखता हूं कि हर सिनेमा-घर के सामने जितनी सारी लड़कों की भीड़ होती है उतनी भीड़ और किसी की नहीं होती है। आप निश्चय से समझिये कि पांच सौ आदमियों में कम से कम आधे से ज्यादा स्कूलों के लड़कों की संख्या होगी और स्कूलों के लड़कों को वहां क्या शिक्षा मिलती है, उस शिक्षा का नतीजा तो उनके दिलों के ऊपर जितना पड़ा पड़ा और पड़ रहा है, उसका क्या परिणाम हो रहा है, उसको भी हम देख चुके हैं ? मैंने राजप्रमुख के भाषण के वक्त जिक्र किया था कि उसका एक नमूना हमने यहां जयपुर के क्रिकेट मेच में देखा था।

एक एन० सी० सी० का प्रोवीजन और शिक्षा के अन्दर लिया गया है। यह माना गया है कि इससे डिसिप्लिन लड़कों को सिखावेंगे, लेकिन मैं यह कहता हूं कि डिसिप्लिन थोड़ा बहुत जरूर सीखेंगे, लेकिन इस तरह का डिसिप्लिन सिखाना था तो उनके लिए गेम्स के लिए प्रोवीजन ज्यादा करने की जरूरत थी। गेम्स के लिए कोई प्रोवीजन इस बजट के अन्दर नहीं रखा गया है। गेम्स की फीस ली जाती है, लेकिन फीस ली जाकर भी खेल की सामग्री नहीं दी जाती है और वह फीस अन्य कार्यों में काम में आती है। इसके लिए सरकार की कोई निगरानी नहीं है।

इंग्लैण्ड जैसी नेशन स्पोर्टिंग नेशन है तो इसका खास कारण यह है कि वहां गेम्स पर ज्यादा

[श्री हिम्मतसिंह अटरू]

जोर दिया जाता है; जैसा कि हमारे डाक्टर साहब ने अपने भाषण में कहा था कि स्पोर्टिंग स्पिरिट हर आदमी में होनी चाहिए। स्पोर्टिंग स्पिरिट तभी आयेगी जब कि गेम्स पर ज्यादा जोर दिया जायगा। अगर सरकार लड़कों के खेल पर जोर दे तो लड़कों में स्पोर्टिंग स्पिरिट आयेगी और आगे चलकर वे अच्छे नागरिक साबित होंगे।

सिनेमा के विषय में इतना और सुझाव देना चाहता हूं कि क्या हमारी सरकार इन बच्चों को सिनेमा जाने से रोकने में असमर्थ है ? हर इन्स्टीट्यूशन की जिम्मेदारी है कि उन लड़कों को इस तरह के सिनेमा, जो कि हानिकारक होते हैं, उनमें जाने से रोकें। उदाहरण के तौर पर मैं आपको मेयो कॉलेज की मिसाल देता हूं कि वहां के प्रिन्सिपल जब तक उस फिल्म को लड़कों के देखने योग्य नहीं समझते, तब तक किसी लड़के को सिनेमा जाने की इजाजत नहीं देते। क्या हमारे स्कूल और कॉलेजेज़ में ऐसा इन्तजाम नहीं हो सकता !

दूसरी बात मैं इलेक्ट्रिसिटी पर कहता हूं कि इलाकों में इलेक्ट्रिसिटी के बाबत एक बहुत ही अच्छी रकम बिजलियों के प्रबंध के लिए हमारे वित्त-मंत्री साहब ने जरूर रखी है, लेकिन मैं उनको यह याद दिलाना चाहता हूं कि क्या हम यह समझ लें कि चम्बल हाइडल वर्क्स तैयार नहीं होगा कि इतनी रकम उस क्षेत्र में जहां कि इलेक्ट्रिसिटी हमें चम्बल से मिलेगी उसमें हम लगावें। अगर वहां पर २-४ साल में बिजली आयेगी तो क्या वहां की मशीनों को और तमाम बिजली के कारखानों को चम्बल के फ्लड्स में बहायेंगे। यह रुपया इस तरह से डबल खर्च किया जाता है तो क्यों नहीं एक अच्छे काम में लगायें।

एग्रीकल्चर कॉलेज के बाबत भी बहुत सारी बहस हुई। एक एग्रीकल्चर कॉलेज जोबनेर में था। उसको वहां से हटाकर उदयपुर में ले जाने की तजवीज हो रही है, उसके ऊपर भी यहां पर बहुत सारे भाषण सुने। मुझे दुःख हुआ यह सुनकर कि इतनी खींचातानी हो रही है। मैं कहना चाहता हूं कि एग्रीकल्चर कॉलेज एक ही नहीं हो। इस रियासत के हर डिवीजन में एग्रीकल्चर कॉलेज होना चाहिए। क्योंकि एग्रीकलचर ही हमारे यहाँ का प्रधान धंधा है, इसलिये उस पर ही ज्यादा जोर लगाना चाहिये। यदि एग्रीकल्चर कॉलेज पांचों ही डिवीजनों में अलग अलग रख दिये जावें तो बहतर होगा और मैं वित्त-मंत्री जी को सलाह दूंगा कि पांचों ही डिवीजनों में एग्रीकल्चर कॉलेज रखने का प्रोविजन रखें।

बड़े दुःख की बात है कि किसी खास व्यक्ति के ऊपर आक्षेप और आरोप लगाने के विषय में बड़े जोर से लंबी-चौड़ी चर्चा हुई। लोग भूल गये कि कॉम्युनिस्टों की क्या आदत होती है ? वे लोग घर में आग लगा कर दूर हो जाते हैं। उन्होंने आग लगादी और वे दूर बैठे तमाशा देख रहे हैं। मेम्बर लोग आपस में एक दूसरे पर छींटा-कशी करने में जुट गये हैं।

श्री चन्दनमल वैद—वे आग लगाकर दिल्ली चले गये हैं।

श्री हिम्मतसिंह—अब मैं सदन का ज्यादा समय न लेकर अंत में यही कहूंगा कि यह सोश्यलिस्ट पेटर्न का हमारा बजट है, यह कहना वास्तव में हमें भूल और चक्कर में डालना है। जब तक आप लोगों का भला नहीं कर सकेंगे तब तक यह वेलफेयर स्टेट नहीं बनेगा। मैं इतना ही कहकर अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री भोपालसिंह—अध्यक्ष महोदय, इस सदन में वित्त-मंत्रीजी ने जो बजट पेश किया है उस पर मैं कुछ कहना चाहता हूं। उन्होंने जो कल्याणकारी राज्य बनाने को कहा है, उसके बारे में मैं पूछना चाहता हूं कि हम लोग भी जब चुनाव जीतकर इस सदन में आये हैं तो सभी कल्याणकारी राज्य बनाने के लिये ही आये हैं, लेकिन हमने यहां आकर एक तमाशा देखा है कि यहां उन्हीं लोगों की चलती है जो एक प्रकार की गुटबन्दी में लगे हैं और अपने आप का फायदा करने में लगे हैं और ऑपोजिशन के सदस्यों की किसी भी मामले में सलाह नहीं लेते। कोई भी सदस्य कुछ कहे, उसकी परवाह नहीं की जाती है। हमारे जो वोटर्स हैं उनका कहना है कि हमने अपना वोट तुमको दिया है, तुम हमारे लिये कुछ नहीं करते। बजट में लाखों-करोंड़ों रुपये खर्च करने के लिए रखे जाते हैं, हमारे ग्रामीणों को कोई उससे फायदा नहीं होता। मालूम नहीं यह रुपया कहां खर्च होता है? इससे मालूम होता है कि सरकार बहुत गलत रास्ते पर जा रही है। मनमाने ढंग से खर्च करते हैं। पैसा किधर जा रहा है, क्या हो रहा है, कुछ पता नहीं चलता है? केन्द्रीय सरकार जनता की भलाई के लिए जो पैसा देती है, उसके बारे में हम नहीं जानते कि कैसे खर्च किया जाता है, ऐसा मालूम होता हैं कि सरकार अपने लिये ही यह पैसा खर्च करती है। मैं चार साल से राजस्थान की जो हालत देख रहा हूं उसके आधार पर कह सकता हूं कि ये कल्याणकारी राज्य जरूर बनायेंगे? चार साल में चार दफे मंत्री-मंडल बदल चुका है और आज भी एक दूसरे की छींटा-कशी करने से बाज नहीं आते हैं। तो क्या ऐसा ही कल्याणकारी राज्य बनायेंगे! कल्याणकारी राज्य बनाने के लिए सबसे बड़ी आवश्यकता है संतोष की। यदि इनमें संतोष है तो ये जनता का भला कर सकते हैं। यदि संतोष नहीं है तो दूसरों का क्या भला करेंगे? पहले अपना तो भला करें। (श्री हिम्मतसिंह अटरू, सभापति, पदासीन) पहले अपना भला करलें, बाद में हमारा भला करेंगे (करतलध्वनि)। बार-बार कल्याणकारी राज्य की रट लगना अच्छा नहीं है। आप कल्याणकारी राज्य की बात मुंह से कहना छोड़ दो और इसे एक बर्बादकारी राज्य बनाने की बात कहो (करतलध्वनि) क्योंकि जितना काम आप कर रहे हैं वह सिवाय अपनी भलाई करने के और कुछ भी हमें नजर नहीं देता। आप से और किसी का भला होने वाला नहीं है। मेरी राय है कि आप अपने आपस का टंटा छोड़ो और मिल-जुल कर आपस में एक हो जाओ और फिर कल्याणकारी राज्य की बात सोचो (करतलध्वनि)। जब तक आपस में 'तू-तू, मैं-मैं'; करते रहोगे तब तक मुझे आशा नहीं कि आप कल्याणकारी राज्य बना सकोगे। इसलिए मेरी राय है कि भूतपूर्व मंत्री-मंडल और इस मंत्री-मंडल में से छांटकर आदमी ले लो और उनका एक नया मंत्री-मंडल बनालो। गांधीजी के नाम पर आपने दुकानदारी तो जमाई है, लेकिन आप गांधीजी के नाम पर कलंक लगाने से पहले पानी में डूब कर मर जाओ तो ज्यादा अच्छा हो। यदि आप इसी तरह चलते रहे तो कोई काम नहीं कर सकोगे। मैंने आपकी डेमोक्रेसी की हालत भी देखी है और पुराने राजाओं की भी हालत देखी थी। जो काम पुरानी रियासतों के वक्त होता था उससे आज बदतर काम हो रहा है। उस समय ऐसे काम नहीं होते थे, जैसे आज हो रहे है। पहले मारवाड़ में चोरियां कतई नहीं हुआ करती थीं, लेकिन आज रोज देखने को मिलता है कि गांव गांव में हर रोज चोरियां हो जाती हैं। कोई ऐसा गांव नहीं रहा है जिसमें चोरी नहीं हुई हो। जो चोरियां होती हैं, उनकी

[श्री भोपालसिंह]

कोई सुनवाई नहीं होती है। यदि पुलिस में जाते हैं तो मारा-मारा तो फिरना ही पड़ता है, लेकिन यदि कभी चोरी का पता लग भी गया तो माल वापिस हाथ आना मुश्किल हो जाता है, इस तरह का आपका कल्याणकारी राज्य मेरी समझ में नहीं आता।

कल्याणकारी राज्य का दूसरा नमूना देखना हो तो शिक्षा की ओर देखें। आपने अपने कल्याणकारी राज्य में किसी भी मास्टर की तनख्वाह नहीं बढ़ाई। पुराने ढांचे में शिक्षकों को जो ३५) या ४०) रुपये मिलते थे, वे ही आज उनको कल्याणकारी राज्य में मिल रहे हैं। कल्याणकारी राज्य में जिन पर भावी नागरिक बनाने की जिम्मेदारी है पहले उनकी हालत को तो ठीक करिये, फिर कहिये कि हम कल्याणकारी राज्य बनाने जा रहे हैं। आपकी आपसी फूट को देखकर मैं कैसे कहूं कि आप कल्याणकारी राज्य बना सकेंगे। हम और आप सभी चुनाव लड़कर यहां आये हैं। जनता ने हम सब को कल्याणकारी राज्य में मदद करने को भेजा हैं, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं होती। आप अपनी मनमानी करते हैं और अपने रिश्तेदारों को फायदा पहुंचाते हैं। आपको और हमको दोनों को मिल कर जनता का भला करना चाहिये और शान्ति से राज्य चलाना चाहिए, लेकिन आपकी जो हालत है; उसको देख कर तो मुझको हैरानी होती है।

श्री रूपनारायण शास्त्री—अध्यक्ष महोदय, बजट पर जो वाद-विवाद चल रहा है उस पर मैं अपने विचार प्रकट करने से पहले कुछ मिनिस्टरों से कह देना चाहता हूं। बात यह है और सबसे पहली कठिनाई यह है कि मंत्री लोग अपनी चेअर्स पर उपस्थित ही नहीं रहते ताकि विरोधी पक्ष के आदमी कुछ कहना चाहें तो सुनना नहीं पड़े।......

श्री बृजसुन्दर शर्मा (वित्त-मंत्री)—मैं तो यहां मौजूद हूं।

श्री रूपनारायण शास्त्री—जब वे उपस्थित ही नहीं है तो हमारी बातों का क्या उत्तर देंगे ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—मैं तो हाजिर हूं।

श्री रूपनारायण शास्त्री—क्या आप सब बातों का उत्तर देंगे ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—यह सब मेरा ही काम है।

श्री रूपनारायण शास्त्री—(भाषण जारी रखते हुए) मैंने श्रीमान् राजप्रमुख के भाषण पर धन्यवाद के प्रस्ताव पर होने वाली बहस के समय कितनी ही बातें कही थीं जिनका उत्तर मुझे एक के सिवाय किसी का नहीं मिला और उन बातों का उत्तर अब मैं सुनना चाहता हूं। उस समय मैंने एक बात मुख्य मंत्रीजी से कही थी जिसका उत्तर उन्होंने दिया था; दूसरी बात मैंने यह कही थी कि संस्कृत-पाठशालाएं बिल्कुल नहीं खुल रही हैं और बजट में भी इसके लिये कोई प्रोविजन नहीं है, इस संबन्ध में भी मुझे कोई उत्तर नहीं दिया गया। तीसरी बात मैंने यह कही थी कि संस्कृत पढ़े-लिखे छात्रों को कोई स्थान नहीं मिलता है; यदि दो आदमी हैं जिनमें से एक मिडिल पास है और दूसरा प्रथमा पास

[श्री रूपनारायण शास्त्री]

है तो मिडिल पास वाले को स्थान मिल जाता है या मैट्रिक पास है और मध्यमा पास है तो मध्यमा वाले को कोई स्थान नहीं मिलता और मैट्रिक पास वाले को स्थान मिल जाता है। मेरा यह कहना है कि इस प्रकार का भेदभाव नहीं रहना चाहिये।

तीसरी बात मैंने यह कही थी कि अजीतगढ़ में हाई स्कूल नहीं बनाया गया। जनता ने बड़ी कठिनाई से रुपये इकठे करके लाखों रुपयों की बिल्डिंग बनाई और चार साल तक कोशिश करने पर भी अब तक वहां पर हाई स्कूल नहीं बनाई गई। चौथी बात मैंने यह कही थी कि महरोली में कोई मिडिल स्कूल नहीं बनाई गई। पांचवीं बात मैंने यह कही थी कि सब जगह के अध्यापकों के फिक्सेशन हो चुके हैं, लेकिन सीकर जिले के अध्यापकों के फिक्सेशन क्यों नहीं हुए? एक बात मैंने यह भी कही थी कि वैद्यों का फिक्सेशन भी नहीं हुआ है, जो अत्यन्त आवश्यक है। यह कहा जाता है कि उनका फिक्सेशन अब हो रहा है, तब हो रहा है, लेकिन हुआ नहीं है। वैद्यों को तनख्वाह इतनी कम मिलती है कि उससे उनको असंतोष है। रींगस से श्रीमाधोपुर तक की सड़क अब तक नहीं बनाई गई हैं। इसमें केवल १ लाख का खर्चा है और इससे कहीं अधिक खर्चे की सड़कें बनादी गई है। कहीं कहीं तो गांव से स्टेशन तक सड़क बनाने में बहुत-सा रुपया खर्च कर दिया गया है, लेकिन जिस सड़क से हिन्दुस्तान के दूसरे हिस्सों से संबंध हो सकता है, वह सड़क नहीं बनाई गई है।

इन बातों के लिये मैंने पहले कहा था, उनका उत्तर देने का वित्त-मन्त्रीजी दावा कर रहे हैं तो अब वे इन बातों का उत्तर देंगे तो मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी।

अच्छा मैं अब अपने असली विषय पर आता हूं। यह जो बजट पर पेश किया गया है, इस बजट के लिये राजस्थान की जनता उत्सुक दृष्टि से देख रही थी कि कब हमारे राजस्थान का बजट आये और सुन्दर बजट आये।

वित्त-मंत्री महोदय ने बजट पेश करते समय कहा है कि कल्याणकारी राज्य बनायें, यही हमारा उद्देश्य है। तो सभी का यह उद्देश्य होता है। शासन की बागडोर राजतन्त्र से प्रजातन्त्र के हाथ में हो और जो सदस्य हों विधान-सभा के वे तो इसके लिये प्रयत्नशील हों, इसमें आश्चर्य नहीं। पर भाषण केवल भाषण देने के रूप में न होकर वास्तविकता के रूप में हो, तभी खुशी की बात हो सकती है। समाजवाद की ओर राज्य को ले जाया जा रहा है या नहीं, इसका पता इसी से चल सकता है कि इस बजट से गरीबों का पोषण हो रहा है या नहीं। अगर गरीबों का पोषण हो रहा है, तो यह राज्य कल्याणकारी राज्य की ओर ले जाया जा रहा है; नहीं तो, नहीं।

पहले प्राइमरी एज्युकेशन के लिये ४३ लाख के आंकड़े थे। अब प्राइमरी शिक्षा के लिए २८ लाख के आंकड़े हैं डेवलपमेन्ट में। यही अगर कल्याणकारी राज्य का नमूना है तो बड़ी अच्छी बात है।

श्री बृजसुन्दर शर्मा—बजट के आंकड़ों को समझने की कोशिश कीजिये। डेवलपमेन्ट का अलग हेड है।

श्री रूपनारायण शास्त्री—डेवलपमेन्ट का क्या अलग हैड है शिक्षा से, जोकि सर्व-साधारण की समझ में नहीं आये, ऐसी चीज यहां नहीं बतानी चाहिये थी। यह तो डेवलपमेन्ट में आ गया, पर जो अध्यापकों की संख्या में कमी आई है, उसका जवाब आप क्या देंगे ? यह सब नहीं है तो मैं नहीं मान सकता कि यह बजट कल्याणकारी राज्य के लिये बजट है।

संस्कृत की शिक्षा के लिये कोई भिन्न रकम नहीं रखी गई है कि इसके लिये इतना रुपया खर्च किया जायगा। नई शिक्षा के लिये यह प्राप्ति सुन्दर कही जा सकती है, पर वह भी नीयत साफ नहीं हुई तो अनैतिकता बढ़ेगी और उसका उपयोग कुछ नहीं होगा। कहीं से कांग्रेस का प्रतिनिधि आ जाय तो वहां सब कुछ किया जा सकता है और जहां से दूसरी पार्टी का सदस्य चुना जाकर आ जाय, तो वहां चाहे डेवलपमेन्ट के नाम से हो या शिक्षा के नाम से या और किसी नाम से ; एक पैसा भी खर्च नहीं किया जा सकता। जब तक यह होगा तब तक कल्याणकारी राज्य नहीं हो सकता। राजस्थान में सभी पार्टियां हैं और उन सभी पार्टियों के आदमी चुनकर आयेंगे। इस तरह का पक्षपात किया जायगा तो कल्याणकारी राज्य नहीं हो सकता। तहसीलदारों, मास्टरों और दूसरे अधिकारियों के तबादले दबाव से होते हैं, रोज ऐसी बातें हुआ करती हैं। अगर इसकी जांच के लिये इन्क्वायरी कमेटी बैठाई जाय तो हम इसको साबित करवा सकते हैं। जो सत्तारूढ़ पार्टी में कुछ असर रखते हैं, उनके दबाव में आकर अधिकारियों के तबादले होते हैं। अगर वे लोग यह चाहें कि ये अधिकारी हमारे यहां आकर रोज-रोज हाजरी दिया करें तो यह तो कठपुतली का नाच है। यह क्यों होता है ? चाहे भ्रष्टाचार के रूप में ले लीजिये, चाहे वोट के रूप में ले लीजिये या अन्य कारणों के रूप में ले लीजिये। इस तरह अफसरों को कठपुतली बनाकर नचाना कभी राजस्थान के लिये हितकर नहीं हो सकता। मंत्री-मण्डल से सम्बन्धित मन्त्रियों के हाथ में सब सत्ता है, राजस्थान का भाग्यविधाता मंत्री-मण्डल है। अधिकारी लोग मंत्री-मण्डल के इशारों पर चलने वाले हैं। मंत्री-मण्डल किनके हाथों में है, उनकी पार्टी के सक्षम व्यक्ति के हाथों में है; यह अधिकारी लोग देखते रहते हैं।

राजस्थान में २६ मार्च को ३ वर्ष हुए। इसके पहले तीन मंत्री-मण्डल बदल चुके थे और उसके पहले दो मंत्री-मण्डल, शास्त्री मंत्री-मण्डल और व्यास मंत्री-मण्डल हो चुके थे। जिस मन्त्री-मण्डल की हालत कठपुतली की तरह है तो बेचारे मन्त्री-मण्डल के नीचे काम करने वाले अधिकारियों की क्या हालत होगी ? यह आप खुद सोच सकते हैं। अगर यह हालत होगी तो फिर कल्याणकारी राज्य की आशा कैसे की जा सकती है ? जैसे कराई ऊपर से सुन्दर दिखती है, पर अन्दर से भुस निकल आता है, उसी तरह से बजट ऊपर देखने में सुन्दर है और आंकड़े देखने में आकर्षक हैं, पर इसकी जो वास्तविकता है वह सदन के सामने दिखाई जा चुकी है।

हम बजट के लिये दोष नहीं देते; दोष देते हैं इसलिये कि हमारे नैतिक तत्व गिरते ही जा रहे हैं। इसका कारण यह है कि हमें पारलौकिक भय नहीं है।

श्री सभापति (श्री हिम्मतसिंह)—आप बजट पर बोलिये।

श्री रूपनारायण शास्त्री—यह कर्तव्य-परायणता की बात है। ये फिगर्स जो बजट के बारे में दिये गये हैं, मैं यह बताना चाहता हूं कि शिक्षा के सम्बन्ध में जो कहा गया है कि शिक्षा का

[श्री रूपनारायण शास्त्री]

बजट बढ़ा है, लेकिन बजट को देखने से शिक्षा में कोई प्रोविजन नहीं किया गया मालूम होता है। बजट में शिक्षा को बढ़ाने के लिये कोई सुविधा नहीं दी गई। मास्टरों की संख्या भी कम कर दी गई है।

(घंटी)

मैं इसको वाजिब नहीं मानता। चूंकि समय हो गया है, इसलिये इतना ही कह कर मैं अपना आसन ग्रहण करता हूं।

श्री भैरोंसिंह (वि० सं०१६)—माननीय चेयरमेन, इस बजट भाषण में समाजवादी-व्यवस्था की विशेष कल्पना की गई है। इस बजट भाषण को सुनकर अगर सदस्य-गण आज यह सोचें कि राजस्थान के अन्दर समाजवाद की स्थापना शीघ्र होने वाली है तो मैं समझता हूं कि इस बजट की आलोचना करने के स्थान पर बजट प्रस्तुत करने वाले सदस्य को धन्यवाद दे दिया जाता। मगर केवल कल्पना का आभास कराया गया। उसको वास्तव में कार्यरूप में लाना है या मुगालता देकर इस समाजवाद के नाम पर काम लेना है, तो यह दूसरी बात है। यह केवल दुविधा में डाल कर लोगों को मुगालते में लाने का साधन है। अगर इस विचारधारा को और वास्तव में समाजवाद की तुलनात्मक दृष्टि से देखा जावे तो पता लगेगा कि समाजवादी तत्वों को लेकर नहीं, बल्कि समाजवादी कल्पना के आधार पर एक प्रकार की गंदी हवा में सांस लेने के लिये मुगालता देना है। आवड़ी अधिवेशन के प्रस्ताव के अनुसार, समाजवादी व्यवस्था के आधार पर एक कल्याणकारी राज्य की कल्पना की है। मगर इस अधिवेशन में कांग्रेस के शुद्धिकरण की बात भी कही गई है। यदि वहां पर, जहां समाजवाद का जिक्र किया है, उसके साथ-साथ यह भी कल्पना जोड़ दी जाती कि इसमें हमें सरकार और शासन में शुद्धिकरण भी करना है, तो मैं समझता हूं कि कुछ हो रहा है। राजस्थान के शासन में जो कारनामे देखे जाते हैं उन कारनामों के अन्दर यह देखा जाता है कि समाजवाद की कल्पना का सरकार का थोथा नारा लगाया जा रहा है। पहले नारा लगाया गया सहकारी समाज का, उसके बाद नारा लगाया गया कल्याणकारी राज्य का और जब ये दोनों चीजें पूरी नहीं हुई, तो धर्म का नारा लगाया गया, लेकिन जब इसकी भी पूर्ति नहीं हुई, तब नारा लगाया गया समाजवादी व्यवस्था का। मैं समझता हूं कि जिस प्रकार के नारे लगाये जाते हैं, आज हम बाहर गांवों में जाते हैं तो देखते हैं कि भुखमरी है, लोगों में बेरोजगारी है, उनके तन पर पहनने को कपड़ा नहीं, पैसा नहीं है अपने बच्चों के भरण-पोषण के लिये। जिस वक्त राजस्थान सरकार के सामने समाजवाद का प्रश्न आता है, पता लग जाता है कि समाजवाद की तरफ बढ़ रहे हैं, या यह लोगों को एक प्रकार का ढोंग बताने की कोशिश की जा रही है। राजस्थान की सरकार बेकारों को देखकर कहती है, "आराम हराम है"। जब सरकार यह कहती है तो वे लोग कहते हैं, "शासन हराम है"। कौन हराम है, यह पता नहीं। आराम हराम है, तो कोई नई चीज नहीं होगी। हमारे कर्मभूमि में न तो कोई आराम करने वाले हैं, न कोई इसे पसन्द करता है और आराम को हराम बताने का नारा किस प्रकार का दुःख देने वाला हो सकता है, लेकिन आराम की शान पर पब्लिक को काम चाहिये तो सरकार उनको काम देने के लिये सामने आए, तो आराम हराम के नारे से तो काम नहीं चलेगा। आराम काम का नारा अच्छा हो सकता है। लोगों को धन्धा चाहिये, लोगों को भूख मिटाने के

[श्री भैरोंसिंह]

लिये रोजगार चाहिये। कुछ तो दो। इस प्रकार 'आराम हराम' के नारों से काम चलने वाला नहीं। सरकार द्वारा यह कहना कि समाजवादी व्यवस्था की कल्पना द्वारा कल्याणकारी राज्य की बात मुगालता देने की बात है। मैं समझता हूं कि किसी भी बजट को प्रस्तुत करते समय मुगालता देना वाजिब नहीं।

(श्री अध्यक्ष पुनः पदासीन)

मैं मानता हूं कि राजस्थान की सरकार को कल्याणकारी राज्य बनाना है, ऐसा बनाने की कोशिश पर चल रही है। उसने कोशिश कल्याणकारी राज्य बनाने की है, उसका एक नमूना आपके सामने रखता हूं। एक शहर में इसी प्रकार कल्याणकारी राज्य बना है। सरकार ने समाजवादी व्यवस्था की हैं। इस सम्बन्ध में मैं एक ही मिसाल देकर राजस्थान का सारा ढांचा प्रस्तुत करूंगा। वह है उदयपुर में सादड़ी कस्बे का। माननीय अध्यक्ष, सादड़ी कस्बे में ग्राम पंचायत की स्थापना हुई। ग्राम पंचायत बनी उस समय छोटी सादड़ी के लोगों ने सोचा कि पंचायत से काम नहीं चलेगा; यहां पर म्युनिसिपलिटी होनी चाहिये, म्युनिसिपल इलेक्शन होने चाहिये। छोटी सादड़ी में ३३ गांव और थे, वे अलग कर दिये और उस जगह म्युनिसिपल इलेक्शन कराये। राजस्थान के एक मन्त्री महोदय उसमें दिलचस्पी रखते थे और इस इलेक्शन को उन्होंने अपने 'जीवन-मरण' का प्रश्न कर दिया। इसके फलस्वरूप सारी सरकारी मशीनरी मन्त्री महोदय के पक्ष को जिताने की कोशिश करने लगी, और यहां तक कि बेलट पेपर जिस प्रेस से छपवाये गये थे, उस प्रेस से १००० बेलट पेपर मंगाये गये और वे कांग्रेस के वोटरों को तकसीम कर दिये गये और उनको कहा गया कि इस पर नम्बर और मोहर सब लगी हुई है; वे बेलट के लिये चले जावें और जो पेपर उनको दिया जावे, उसको जेब में रख लें और उसकी जगह पहले से दिये हुए बेलट पेपर को बेलट बक्स में डाल दें।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—ये मन्त्री महोदय कौन थे?

श्री भैरोंसिंह—मैं आपको बता दूंगा। फोटोग्राफी की कॉपी मेरे पास है। जिसको मैं पढ़कर सुनाता हूं। वे इस प्रकार लिखते हैं:—

"आर० के० गुप्ता:

एम० ए०/इको० बी० एस० सी० बी० ए० जोग०,

राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस।

छोटी सादड़ी

श्री मैनेजर,

दी श्री कृष्णा प्रिंटिंग प्रेस, नीमच।

प्रिय महाशयजी,

पत्र वाहक को बेलट पेपर जो आपके यहां छपवाये थे, वैसे हरे कागज पर लाल रोशनाई से बिना बिना परफोरेशन के एक हजार छापकर दे दें।"

[श्री भैरोंसिंह]

इसकी कीमत पृथक् है। यह पत्र-वाहक से ही ले लें।

आपका शुभचिन्तक,

हरा कागज। आर० के० गुप्ता"

"विरोधी पार्टी ने इस बात का पता लगाया और आपसे पूछा कि आपने बेलट पेपर क्यों मंगाये ? आपने फोर्जरी की है तो उन्होंने कहा कि मैंने अपनी सर्विसेज़ को बचाने के लिये इस प्रकार का कार्य किया।"

(विरोधी दल की ओर से 'शेम शेम')

पत्र मेरे पास है। अगर कोई देखना चाहें तो देख सकते हैं।

श्री अध्यक्ष—मन्त्री का नाम आपने नहीं बताया। मन्त्री कौन थे ?

श्री भैरोंसिंह (वि० संख्या १६)—मन्त्री थे श्री अमृतलाल यादव।

श्री आर० के० गुप्ता तो अधिकारी थे जिन्होंने बेलट पेपर छपवाये थे। हमारे रूल्स तो यह कहते हैं कि वोटर को इस बात का पता भी नहीं होना चाहिये कि बेलट पेपर कहां से छपते हैं, मगर यहां तो पता लगने का प्रश्न ही नहीं। यह तो खुद लिखकर दिया जाता है कि बेलट पेपर भेजे जावें और वोटरों को तकसीम कर दिये जाते हैं। निशान करवा कर ले जाते हैं और बेलट बॉक्स में डलवा दिये जाते हैं। मैं आपको बेलट पेपर का नमूना बताता हूं। इससे राजस्थान सरकार के जो नियम हैं, उनका किस तरह से पालन होता है, यह पता लगा सकेगा ? यह है बेलट पेपर।

(बेलट पेपर का नमूना बताया जाना)

गांवों के अन्दर अधिकतर बिना पढ़े-लिखे लोग होते हैं और अनपढ़ आदमियों से कहा जाता है कि यह निशान देखो और कांग्रेस का फलां-फलां निशान है, उस पर निशान कर दो। जो अनपढ़ आदमी हैं, उनसे कैसे उम्मीद की जाय कि मत-पत्र किस प्रकार का होता है, जो मत-पत्र डाला गया वह किसको डाला गया है, उससे उनको पता नहीं लगता कि किसको मत दिया है, किसको वोट दिया है, वे याद नहीं रख सकते कि बेलट पेपर नया तैयार करवाया गया है। उनसे उस नये बेलट पेपर पर निशान करवा लिये और कह दिया कि वे उनको ले जायं और बेलट बॉक्स में डाल दें और जो बेलट पेपर उनको वहां दिया जाय, वह जेब में रखकर ले जावें। यह है उस राज्य के कार्य का नमूना, जिसे हम डेमोक्रेसी के आधार पर और सोश्यलिस्टिक पेटर्न के आधार पर स्थापित करना चाहते हैं। मैं तो यह कहूंगा कि इस आधार पर यह राज्य चलने वाला नहीं है, बल्कि इस आधार पर तो यह समाप्त होने वाला है। सरकार चाहती है तो इस पत्र की जांच करवा सकती है और यदि उनके दस्तखत गलत हैं तो किसी एक्सपर्ट के पास ले जाकर पूछिये कि ये आर० के० गुप्ता के दस्तखत (सिग्नेचर्स) हैं या नहीं। कोई सुनने वाला नहीं है। अगर वह किसी के पास पहुँचता भी है तो सिवाय उसके खर्चा करके और उसको कोई मदद नहीं पहुँचाई जाती। गरीब

[श्री भैरोंसिंह]
मारा-मारा फिरता है, पार्टीज़ सिसक रही हैं और वे बार बार पुकार कर कहती हैं कि ऐसा कार्य न किया जाय, लेकिन कौन सुनता है ?

३३ गांव वालों ने तहसील पंचायत इलेक्शन्स के बारे में किस प्रकार गलत तरीके से इलेक्शन हुए हैं, एक अपील कलेक्टर के पास पेश की। तहसील पंचायतों में ज्यादती के कारण, कांग्रेस का बहुमत आ जाता है। अपील पर तहसील पंचायतों के इलेक्शन को रोक देना चाहिए था और स्टे ऑर्डर्स कर देने चाहिए थे, लेकिन एक मंत्री महोदय वहां पहुंचते हैं और लोगों का नाम गजट में न आने पर भी शपथ दिलवा देते हैं। इधर अपील कर दी गई है और कलेक्टर साहब कहते हैं कि गजट में नाम प्रकाशित नहीं हुए हैं, इसलिए कोई कार्यवाही नहीं करूंगा। इधर बताइये गजट में नाम प्रकाशित नही होते हैं, मंत्री महोदय जाते हैं, जिनको कोई अधिकार नहीं है और कोई कानून नहीं कहता है कि तहसील पंचायतों के पंचों को वे शपथ दिलवा सकते हैं। उनको वे शपथ दिलवा देते हैं। तो यह समाजवादी राज्य का एक नमूना है, कल्याणकारी राज्य बनाये जाने का एक नमूना है, यह डेमोक्रेटिक प्रिन्सिपल्स का एक नमूना है ? इतना सब कर देते हैं, लेकिन कहीं सुनवाई नहीं होती है; न कोई उम्मीद ही है।

एक कांग्रेसी सदस्य पहुंचते हैं तहसील पंचायत के चुनाव के वक्त। वे एक हरिजन के घर जाकर ठहरते हैं और वहां से वे उस हरिजन की स्त्री को उड़ाकर ले आते हैं। (विरोधी पक्ष से "शेम शेम" की आवाज) जब पुलिस में रिपोर्ट की जाती है तो कोई सुनवाई नहीं होती है। कोर्ट में जाते हैं तो पूछने वाला कोई नहीं। उन एम० एल० ए० के दरख्वात की एक नकल मेरे पास मौजूद है और उसको मैं यहां सदन में, आप चाहें तो प्रस्तुत कर सकता हूं, ताकि सरकार को नतीजा मालूम हो सके।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री)—मैं समझता हूं कि यह सबजुडिस मेटर है और जब कि यह अदालत में चल रहा है उस हालत में यह चर्चा करना उचित नहीं होगा।

श्री भैरोंसिंह—मैं यह चाहता हूं कि अपनी सरकार के सहयोगी हैं, उनको आप चेतावनी दें।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—ये सारी बातें सही हैं या नहीं, और जब तक इस मामले में कोर्ट कोई निर्णय न दे दे, तब तक इस प्रकार का आक्षेप करना उचित नहीं है।

श्री भैरोंसिंह—यह सही है या नहीं है, यह तो कोर्ट निर्णय देगी ही पर...

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—आक्षेप करने का प्रश्न क्यों उठाते हैं ?

श्री भैरोंसिंह—वे आपके साथी हैं...

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—उस हरिजन एम० एल० ए० का नाम बता दीजिये।

श्री भैरोंसिंह—वे अपने आप खड़े हो जावेंगे। आप चाहें तो बता दूं।

श्री अध्यक्ष—आपको क्या एतराज है बताने में?

श्री भैरोंसिंह—मुझे तो कोई एतराज नहीं है। उसका नाम है जयचन्द्र मोहिल।

श्री अध्यक्ष—यह अदालत के विचाराधीन है तो उसका अदालत में निर्णय होने दें। इस सदन में चर्चा करने से अदालत प्रेजुडिस्ड होती है।

श्री भैरोंसिंह—अदालत को प्रेजुडिस्ड नहीं होना चाहिये। मैं तो यह चाहता था कि आपके प्रयत्न से माननीय सदस्य उनकी स्त्री को लौटा दें तो उनको कोई दूसरी शादी करने का मौका न आवे।

(हंसी)

दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं वह है सादडी के बारे में और इस सम्बन्ध में, समाजवादी पेटर्न के बारे में, एक नमूना पेश करना चाहता हूं। सादड़ी में भीलों की बस्ती है और नाम जगमोहना है। कुछ जमीन पड़ी हुई थी जो फॉरेस्ट डिपार्टमेन्ट में थी। तो इस बात की चर्चा चली कि इस जमीन को काश्त के लिए जुता दिया जाय। जब इसकी चर्चा चली तो जो भूमिहीन किसान थे, उनका एक प्रतिनिधि-मंडल आया और जब यह प्रश्न वर्तमान मुख्य मंत्री एवं भूतपूर्व राजस्व मंत्री के सामने आया कि लोगों के पास काश्त करने के लिये जमीन नहीं है, आपकी बड़ी कृपा होगी; यदि आप इनको काश्त के लिए जमीन दे देंगे। मैं उनकी उदारता के लिए उनको धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने आज्ञा जारी की चित्तौड़ कलेक्टर के नाम कि यह बात है; भूमिहीन किसानों को वह जमीन दे दी जाय। आज्ञा पहुंच गई कलेक्टर के पास और कलेक्टर चित्तौड़ ने उसको तहसीलदार के पास फॉरवर्ड कर दिया। लेकिन हुआ क्या? जो जमीन भूमिहीन किसानों को दी जाने को थी, वह जमीन एक ६-७ साल के मासूम बच्चे को दे दी गई और उनके द्वारा एक सेट को। कलेक्टर के पास आदेश पहुंचने पर भी होता क्या है कि एक ६-७ साल के बच्चे को जमीन दे दी गई। उस बच्चे का नाम महेन्द्रसिंह है; जो मैं समझता हूं कि यह सही है कि किसी एक मंत्री का लड़का है। ६-७ साल का बच्चा काश्त करके राजस्थान की क्या एग्रीकल्चरल उपज को बढ़ायगा? ६-७ साल का बच्चा, जो 'अधिक अन्न उपजाओ' आन्दोलन है, इसको क्या प्रोत्साहन देने वाला है? वे किसान भूखे हैं, नंगे है, जमीन चली गई और उनकी कोई सुनवाई करने वाला नहीं!

श्री कंवरलाल जेलिया—मंत्री का नाम बता दीजिए, बच्चे को कौन जाने?

श्री कस्तूरचन्द—बजट का टाइम है, अध्यक्ष महोदय या क्वेश्चन्स का?

श्री भैरोंसिंह—वे भी संघर्ष-समिति के सदस्य हैं और इस जमीन को महेन्द्र को देने का रोष प्रकट किया है और उन्होंने कहा है कि महेन्द्रसिंह के नाम रखो है, वह वापिस छीनी जाय और वह जमीन किसानों को तकसीम की जाय। मैंने चार्ज नहीं लगाया है, किसी विधान सभा के सदस्य

[श्री भैरोंसिंह]

ने चार्ज लगाया है। दरख्वात की नकल मेरे पास है, आप उसको देख सकते हैं। तो इन सारी चीजों को देखकर जो कल्याणकारी राज्य की व्यवस्था हमारे सामने रखी है, जो ढांचा कल्याणकारी राज्य बनाने का हमारे सामने इस बजट द्वारा रखा है, इस प्रकार यह ढांचा है कि जिसे कल्याणकारी राज्य की कल्पना भी जनता के समक्ष रहेगी, यह उम्मीद नहीं की जा सकती है। इससे जनता का कोई फायदा होने वाला नहीं है। हमने राम-राज्य का नारा लगाया था, हमने यह कहा था कि पंचायतें बन जायंगी, पंचायती राज्य कायम हो जायगा और सारे देश में राम-राज्य बन जायगा। जहां जहां पंचायतें बनी हैं, वहां की हालत देखिये सरपञ्च कौन हो गया ? जो जीतने वाला था, जिसको वोट ज्यादा आये थे, वह तो सरपञ्च नहीं किन्तु सरपञ्च वे बन गये जिनके हाथ में सत्ता थी, जिनके पीछे मंत्रियों की सत्ता थी, जिनके राजस्थान सरकार की झंडी लगी कारें थीं। वे लोग आये। इस बात की कोई चिन्ता नहीं की गई कि दूसरा सरपञ्च पढ़ा हुआ नहीं है और जीतने वाला पढ़ा हुआ है। इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया और इसके बावजूद भी कहा जाता है कि अधिकतर राम-राज्य का ढांचा है।

जिन स्थानों पर आज पंचायतों के इलेक्शन हुए वहां राम-राज्य नहीं, उसे रावण-राज्य कहा जाय तो ज्यादा बेहतर होगा। इन चुनावों में बुरी तरह से लोगों को पीटा गया, पुलिस द्वारा लाठी-चार्ज करवाया गया। उन व्यक्तियों को जिनको पुलिस समझती है, ये मारने-वाले थे; उनको पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकती, खुद मजिस्ट्रेट सुनवाई नहीं करता। अगर किसी को कहते हैं तो यह कहा जाता है इन सरपञ्चों के पीछे सरकार का हाथ है, इसके लिये जिम्मेवारी के पद पर बैठे हुए लोगों को भी डर लगता है। तो ऐसा राज्य राम-राज्य नहीं, यह तो लोगों को सताने वाला राज्य है। लोगों की इस आशा पर कि हम राम-राज्य में हैं, कुठाराघात करने वाला राज्य है। मुझे यह देखकर पंजाब के उदाहरण याद आते हैं, जहां के जाट जागड़ू और हरियाणा प्रान्त की मांग कर रहे हैं। अगर आप पंचायतों के चुनावों की ओर ध्यानपूर्वक देखेंगे तो आपको पता चलेगा भविष्य के अन्दर जब कि स्टेट्स रिऑर्गेनाइजेशन कमिशन की रिपोर्ट प्रकाशित होगी। उस समय ये ही लोग बीकानेर का कुछ हिस्सा, सीकर, झुंझुनू और पंजाब के फाजिलका इलाके की मांग करेंगे, जहां कि इनका बहुमत है। ये लोग उसी प्रकार आवाज उठायेंगे जिस प्रकार कि आज सिक्ख लोग सिक्खिस्तान की अलग मांग कर रहे हैं। जिस तरह मास्टर तारासिंह कहते हैं कि हमें सिक्खों के लिये आजादी चाहिए उसी प्रकार हमारे ये नेता लोग कहेंगे कि हमें जाटों के लिये आजादी चाहिए। अगर इन सारी चीजों से सरकार को बचाना है और गैर जाटों को इस खतरे से बचाना है तो इस बारे में सही कदम उठाना चाहिये और यह देखना चाहिये कि आज हम किस ओर जा रहे हैं और किस ओर जाना चाहिये, किस प्रकार की आपत्ति आने वाली है और हम इस आपत्ति से किस प्रकार बच सकते हैं। इस आपत्ति का ध्यान नहीं रखा गया तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आज जो हाहाकार मचा हुआ है, जो आज परेशानियां हो रही हैं, वे परेशानियां दिन दूनी बढ़ेंगी; जिसका आखिर जाकर कोई हल निकल नहीं सकेगा। माननीय मंत्री महोदय डीडवाना की तरफ चले जायं। वहां की हालत को देखिये कि एक भी हरिजन को कुओं पर पानी लेने के लिये चढ़ने नहीं दिया जाता है। हथियारबन्द आदमी पड़े हुए हैं जो किसी भी हरिजन को कुए पर पानी के लिये चढ़ने नहीं देते।

[श्री भैरोंसिंह]

अगर आपको इस बात में शक है तो तहसील और निजामत में आई हुई हजारों दरख्वास्तों को देख सकते हैं। उन हरिजनों की हजारों की संख्या में दरख्वास्तें पड़ी हुई हैं। जो हरिजन सदस्य हैं, जो अपने को हरिजनों का प्रतिनिधि मानते हैं उनको चाहिये कि वे डीडवाना तहसील का दौरा करें। वहां हरिजनों की आज क्या हालत हो रही है, उनको कुओं पर चढ़ने तक नहीं दिया जाता।

श्री मथुरादास माथुर—माननीय सदस्य जो कह रहे हैं, वह सही नहीं है।

श्री भैरोंसिंह—बिल्कुल सही है। अगर माननीय सदस्य को विश्वास नहीं हो तो वे नागौर की कलेक्टरी में जाकर उन हजारों दरख्वास्तों को देख सकते हैं, जो इस संबन्ध में आई हुई हैं।

जहां तक पंचायतों के चुनाव का संबन्ध है-आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट में चले जाइये, आपको पता चलेगा कि एक तरफ जाट है और दूसरी तरफ गैर जाट। इतने दिन तो राजपूत और जाटों में वैमनस्य चलता था, किन्तु अब तो जाट और गैर जाटों में यह स्थिति हो रही है। इस प्रकार की संकट की स्थिति हर गांव में पैदा हो रही है। मैं पंचायतों के इलेक्शन के बारे में कहां तक कहूं ! इस बारे में सीकर से आने वाले एक सदस्य ने जो भाषण दिया उसको मैंने गौर से सुना। उन्होंने भूतपूर्व स्वायत्त शासन मंत्री को इसी सम्बन्ध में बदनाम किया। उस बदनामी का कारण उन्होंने यह बताया कि सीकर में जो पंचायतों के सेन्टर बनाये गये उनमें बीसियों गांवों को छोड़ दिया गया। उनके गांव में जहां केवल २० घर हैं उसमें भी पंचायत का सेन्टर रखा गया, उसके लिये तो उन्होंने यह नहीं कहा कि यहां क्यों रखते हो, दूसरे गांव में जहां पांच सौ घर हैं वहां रखा जाय। उनका यह फर्ज था कि वे आकर कहें कि मेरे गांव में तो कम घर हैं, यहां इसका सेन्टर बनाने की क्या आवश्यकता है वहां से जिस जगह ज्यादा बस्ती हो वहां बना दिया जाय। कई जगह जहां चुनावों की तिथि निश्चित थी रिप्रेजेन्टेशन करवाये गये कि सर्कुलर ठीक नहीं, दुरुस्त कराये जायं। जब इस प्रकार का डेपुटेशन सरकार के सामने आया और कहा गया कि सीकर जिले में अमुक अमुक स्थान पर सरकल्स ठीक नहीं तो ६-७ जगहों के चुनाव स्थगित करवा दिये गये। इस तरह की जो हलचलें आज चल रही हैं उनको रोकने की कोशिश करें।

कल जब कांग्रेस पार्टी के चीफ व्हिप बोल रहे थे तो उन्होंने बड़े साहसपूर्वक कहा कि हमने पुलिस का बजट घटाया है...

श्री अध्यक्ष—आप अपनी तन्दुरुस्ती का ध्यान रखते हुए बोलें।

श्री भैरोंसिंह—जब कि मुझे लोगों ने यहां चुनकर भेजा है तो मुझे अपना कर्तव्य-पालन करना ही होगा।

श्री अध्यक्ष—आपका स्वास्थ्य आपको अलाउ नहीं करता तो आपको नहीं बोलना चाहिये।

श्री **भैरोंसिंह**—आपने कल भी कहा था कि विधान-सभा का कार्य सर्वोपरि है। (अपना भाषण जारी रखते हुए) अध्यक्ष महोदय, आप मुझे आज्ञा दें तो मैं बैठ कर बोलना चाहता हूं।

श्री **अध्यक्ष**—आप आगे आ जाइये। मैं बैठकर बोलने की इजाज़त दे दूंगा।

श्री **खेतसिंह**—माननीय सदस्य जो बीमारी की हालत में बोल रहे हैं, कहीं उनके फेफड़े खराब होगये तो क्या होगा ?

श्री **भैरोंसिंह**—ऐसी बातें बताने से फेफड़े ज्यादा मजबूत होंगे। जिस वक्त नई सरकार बनी, एक नया नारा सामने आया जिससे लोगों को स्पिरिट मिली। यह नारा सामने आया कि राजस्थान सरकार क्षेत्रीय भावना से ऊपर उठकर काम करेगी। इस स्पिरिट को सब लोगों ने सराहा। ऐसा लगने लगा था कि क्षेत्रीय भावना का किसी प्रकार भी असर वर्तमान सरकार पर नहीं होगा। जब हमने पत्रों को उठाकर पढ़ा तो एक मंत्री अपने दौरे का कार्यक्रम बनाते हैं और जाते किस जगह हैं अपने गांव, अपनी कॉन्स्टीट्यूएन्सी में एक बार नहीं छः-छः बार जाते हैं और फिर कहा जाता है कि हममें क्षेत्रीय भावना नहीं रहती, हम इससे ऊंचा उठकर काम कर रहे हैं हम जिस नारे को देखते हैं, उस नारे को कार्यरूप में लाना कोई चाहता नहीं। देखते क्या हैं कि इस नारे के ऊंचे उठने के स्थान पर राजस्थान सरकार जातीयता के दलदल में फंस गई, साम्प्रदायिकता के जाल में फंस गई। इसके एक नहीं, अनेक नमूने आपको देखने को मिल सकते हैं। आप मंत्री-मंडल से लेकर सर्विस के मामले में प्रोमोशन को ले लीजिये। क्षेत्रीय भावना के त्याग करने का नारा लगाया गया था, किन्तु उस क्षेत्रीय भावना का स्वरूप और ज्यादा बढ़ गया। उदयपुर डिवीजन में आई० जी० पी० का दौरा होता है; वहां के पुलिस अधिकारियों को प्रोमोशन्स दिये जाते हैं, सब-इन्स्पेक्टर से इन्सपेक्टर बनाये जाते हैं, उनको और भी ऊंचे दर्जे के प्रोमोशन्स मिलते हैं, उनमें ज्यादातर उदयपुर डिवीजन के लोग हैं। किस-किस प्रकार किन-किन को प्रोमोशन्स मिले हैं, मैं आपके सामने रखूंगा।

श्री **मोहनलाल सुखाडिया** (मुख्य मंत्री)—आप कृपया नाम बता पायेंगे ?

श्री **भैरोंसिंह**—नाम बताऊंगा। मेरे पास ऐसे व्यक्तियों की लिस्ट है, जो मैं आपको बाद में देख कर दे दूंगा। आप यदि पर्सेन्टेज़ निकाल कर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ज्यादातर प्रोमोशन्स उदयपुर डिवीजन वालों को मिले हैं। उदयपुर के सब-इन्स्पेक्टर्स को ज्यादा प्रोमोशन्स मिले हैं।

श्री **जयचन्द मोहिल**—आप नाम भी तो बताइये।

श्री **भैरोंसिंह**—आप संतोष रखिये, मेरे पास लिस्ट है। मैं मुख्य मन्त्री को पेश कर दूंगा। क्षेत्रीय भावना का मैं एक उदाहरण आपके सामने पेश करूंगा—एक श्री शंकरलाल पुष्करणा हैं जो सांचोर में सब-इन्स्पेक्टर थे। उनको यह माना जाता था कि ये श्री जयनारायणजी व्यास के रिश्तेदार हैं। जब व्यास मिनिस्ट्री थी तब उनकी सर्विस शीट पर यह आई० जी० पी० द्वारा रिमार्क लिखा गया "He is the most efficient officer." उस समय उसकी एफीशियेन्सी की पराकाष्ठा

[श्री भैरोंसिंह]

हो गई थी; "He is beyond average." उसके समान योग्य सब-इन्सपेक्टर राजस्थान में नहीं है। लेकिन उसके बाद यह होता है कि व्यास मंत्री-मंडल बदलता है, दूसरा मन्त्री-मंडल आता है; इस मंत्री-मंडल के पदारूढ़ होने के बाद उसके लिए उन्हीं आई० जी० पी० के यह रिमार्क्स होते हैं "He is nuisance to Police." यह है आपकी क्षेत्रीय भावना का नमूना।

एक एस० पी० सीकर थे, जिनको डिग्रेड किया जाता है। उसके लिये आई० जी० पी० लिखते हैं—इनका काम अच्छा नहीं; यह कन्फर्म नहीं, इसलिये इनको एस० पी० नहीं बनाया जा सकता। उसके बाद वर्तमान मंत्री-मंडल आया। किसी मंत्री महोदय की सिफारिश पहुँच गई और उनको प्रोमोशन मिल जाता है। उनका नाम है कुन्दनमलजी शर्मा।

श्री चन्दनमल वैद—चन्दनमल नहीं, कुन्दनमल शर्मा।

एक माननीय सदस्य—वे कहां के हैं?

श्री भैरोंसिंह—मेरे ख्याल से शायद बीकानेर के होंगे। लेकिन उनकी सर्विसेज़ व्यास मिनिस्ट्री के समय ठीक नहीं थीं, लेकिन इस मंत्री-मंडल के आने के बाद उनकी सर्विसेज़ अच्छी हो गई और उनको एस० पी० बना दिया गया।

श्री जयचन्द्र मोहिल—ये उदयपुर के तो नहीं हैं?

श्री भैरोंसिंह—और यह है पुलिस के कल्याणकारी राज्य का नमूना। खेतड़ी में अखबार में एक माधोसिंह नामक राजपूत के गिरफ्तार होने की खबर आई थी। उसे गिरफ्तार किया गया, इसलिए कि उस पर एक गांव की डकैती के मामले में शुबहा था। एस० आई० खेतड़ी का यह आदेश आया कि उसे गिरफ्तार करके लाया जाय। उस व्यक्ति को, जब इसकी खबर लगी तो वह स्वयं एस० पी० खेतड़ी के सामने आया और अपना आत्मसमर्पण करके सारी स्थिति उनके सामने स्पष्ट बयान कर दी। एस० आई० को इसकी जलन लगी। उसने इसके लिए उसे सबक देने की ठानी। जिस वक्त उसको मुलजिम के रूप में खेतड़ी थाने में पहुँचाया गया तो एस० आई० ने कहा कि इसने आंच लगाई है मेरी कारगुजारी पर, अब मैं देखता हूं यह क्या करता है और मैं कैसे इसका बदला लेता हूं। उसने उसे पन्द्रह दिन तक लगातार इस बुरी तरह से पीटा कि इसके बाद में उसकी २०-८-५४ को जेल में मृत्यु हो गई। कौन मरा, किसका क्या हुआ, इसकी किसी को कोई चिन्ता नहीं कि वह क्यों मर गया, किसने मार दिया, मर गया मरने वाला। इसके लिए राजस्थान सरकार को शाबाशी है, आई० जी० पी० साहब को शाबाशी है कि जिनको किसी प्रकार की कोई चिन्ता नहीं। इसके बाद में एस० आई० ने देखा कि तेरा चालान होगा, तुझ पर आफत आ सकती है तो झुंझुनूं से एस० पी० पुलिस पहुँचता है थाने पर और एस० आई० ने और उस एस० पी० ने मिलकर एक षड्यन्त्र बनाया और उस मरे हुए आदमी को अस्पताल में ले जाया गया और आठ-दस दिन पहले की हाजरी उसकी वहां के रजिस्टर में काटा-कांसी करके बताई गई और

Page No.43

[श्री भैरोंसिंह]

वहां डेट आदि कटवा कर सीरियल नम्बर आदि भी कटवा कर यह लिखवाया गया कि आठ-दस दिन से उसे हार्ट-ट्रबल थी और ट्रबल से हार्ट-फेल होकर मर गया। इसके बाद उसका पोस्ट-मॉर्टम भी कराया गया। ठीक है, पोस्ट-मॉर्टम हो गया। इसके बाद में कायदा यह है कि लाश उसके घर वालों को दी जावे। पर लाश उन्हें नहीं मिली। बेशक रसीद धोखे से उन घरवालों से लिखवा ली कि लाश उन्हें दे दी गई और उन्होंने ही लुक-छिपकर उस लाश को जला दिया। इस तरह पिटाई से वह मारा गया। इतना होने पर पुलिस के ये आदमी उन घरवालों को धमकाते हैं कि अगर यह बात किसी से कही तो तुम्हारी आफत आ जावेगी, तुम्हें भी इसी तरह गोली से मार दिया जावेगा और वह लाश उन्होंने जलवा दी, कुछ पता नहीं लगने दिया। जब पता लगा कि अब तो पुलिस पीछा नहीं करेगी तो मृत व्यक्ति का रिश्तेदार एस० डी० एम० की कोर्ट में जाता है। एस०डी०एम० ने उसके बयान कलमबन्द किये और जिस वक्त उसने देखा कि वास्तव में मामला सच्चा है तो वह अस्पताल में पहुंचा और जो रजिस्टर था, जिसमें मरीजों के नाम लिखे थे और जिसमें काट-पीटकर उसका पिछली तारीख में दाखिला दिखाया गया था, उस रजिस्टर को एस० डी० एम० ने देखा तो पाया कि सब ओवर राइट किया हुआ है, तारीख गलत-सलत डाली गई है, हार्ट-ट्रबल गलत बताया गया है, यह भी काट-पीटकर लिखा गया है और जबर्दस्ती की गई है, तो उसने वह रजिस्टर अपने कब्जे में कर लिया और सील-मोहर उस पर लगा दी और फिर सरकार को इत्तला दी कि एक आदमी को हवालात में पुलिस ने मार दिया है, उसकी इन्क्वायरी की जावे। डी० आई० जी० या पुलिस का उच्च अधिकारी यहां से जांच के लिए जाता है। पर इसका नतीजा यह होता है कि बजाय इसकी छान-बीन की जाती और कुसूरवार को पकड़ा जाता, वह उच्च पुलिस अधिकारी उल्टे उस एस० डी० एम० को कहता है कि आपको इस तरह से नहीं करना चाहिये, आपको पुलिस के साथ कोऑपरेशन करना चाहिये, यदि सरकारी सदस्यों में आपस में कोऑपरेशन नहीं होगा तो इस तरह सरकार का काम चलने वाला नहीं है। मैं समझता हूं कि ऐसी सरकार नरक में जावे, खड्डे में जावे। सरकार का काम चलने से कल रुकने वाला है तो अभी रुक जाय, ऐसी सरकार का काम चलना जितना जल्दी बन्द हो जाय, उतना ही अच्छा। बेरहमी से एक आदमी की हत्या कर डालते हैं और कहते हैं कि सरकार का काम चलने वाला नहीं है। अगर इस सरकार को ऐसी बातों की ओर ध्यान नहीं देना है तो ये कह दें कि हमसे प्रबन्ध नहीं होगा।

श्री अध्यक्ष—माननीय सदस्य बीमार हैं, इसलिये थोड़ा धीरे बोलें।

श्री भैरोंसिंह—एक-दो मिनट में ही समाप्त करता हूं साहब!

मुझे एक बात थोड़ी और कहनी है। अभी जब श्री रामकरणजी बोल रहे थे, उन्होंने एक खास विषय पर कुछ एजेन्सीज़ के बारे में श्री माणिक्यलालजी वर्मा का नाम लेकर बताया कि किस तरह से एक रकम उनके नाम से कुछ एजेन्सियों के लिए इसमें निर्धारित की गई है। मैं जहां तक समझ पाया हूं, वहां तक कह सकता हूं कि जो घोटाले का प्रश्न उठाया है, वह उसी के सम्बन्ध में है। राजस्थान की सरकार और उसके मन्त्री जगह-जगह कहते फिरते हैं कि हमने गाडुल्या लुहारों को आगे लाने की कोशिश की है, उनको एक जगह बसाने की कोशिश कर रहे हैं, वे आज की दुनिया

[श्री भैरोंसिंह]

में जो बहुत पिछड़े हुए हैं, उनको आगे लाने की कोशिश कर रहे हैं, उनके एक जगह बस कर अपनी आजीविका अर्जन की, उनके संस्थापन की हम कोशिश कर रहे. हैं और चित्तौड़ में हमारा सम्मेलन हो रहा है। नेहरूजी और कई प्रान्तों के मुख्य-मन्त्रीजी भी उनको खास अर्ज करेंगे, एक जगह बसने के लिए। यह प्रश्न जब उठा, उस वक्त गाडूल्या लुहारों की बुलावट हुई कि सारे लोग इकट्ठे होकर इस बारे में सोच-विचार करें ? पर किसी प्रकार की स्फूर्ति नहीं। दिल्ली में होने वाले प्रदर्शन में हिस्सा लेने के लिए जब गाडूल्या लुहारों की गाड़ी की जरूरत पड़ी तो आस-पास में उन्हें गाड़ी नहीं मिली। मांडल से गाड़ी मंगाई गई, ५३) रुपया यहां तक लाने का ट्रक का दिया गया, १५४) रुपये में ट्रान्सपोर्ट की गई, ६७) रुपये में उसकी सफाई कराई गई और इसके बाद में वह गाड़ी देहली पहुँचाई गई। ट्रान्सपोर्ट का उसका वहां जाने का ४५०) रुपया खर्च आया। जब जुलूस निकला तो उसमें गाड़ी भी नहीं थी। सारे के सारे अफसर उस वक्त, नाम उनका मैं यहां नहीं लेना चाहता, ऐश-आराम में लगे हुए थे। जिनके लिए सारी की सारी रकम निर्धारित की गई है, वे नशे में पडे हुए थे। गाड़ी निकलने वाली थी, सैकड़ों रुपया उसकी सफाई के लिए और ट्रान्सपोर्ट के लिए खर्च किया गया, पर वह गाड़ी उस जगह नहीं पहुँची। क्यों नहीं पहुँची ? इसका पता नहीं। जिस पर हजारों रुपया खर्च हुआ, जिसे जुलूस में दिखाने को था। पं० नेहरू और मार्शल टीटो के सामने जिसका प्रदर्शन करने को था, वह वहां नहीं पहुँची। जिस गाड़ी का किराया लगा, सफाई में पैसा खर्च हुआ और वह जिनके चार्ज में थी, वे शराब पीये हुए पड़े थे। जुलूस के साथ गाड़ी नहीं थी। गाडिये लुहार निकल गये यों ही अकेले। पूछा गया गाड़ी इनकी कहां है ? माणिक्यलालजी ने जवाब दिया, अभी आ जाती है। उस प्रबन्ध में जो आदमी थे, उन्होंने कहा तो फिर इस जुलूस में नहीं, फिर किसी दूसरे जुलूस में भेजना। अब वह देरी किसके कारण से हुई ? गाड़ी वहां क्यों नहीं पहुँच पाई ? इतना रुपया खर्च करते हुए भी किसकी गफलत से यह सब हुआ ? इसकी कोई जांच नहीं, कोई एक्शन नहीं; हजारों रुपया यों ही बेकार में खर्च हो गया।

इतना ही नहीं ! इसके लिए पेम्फलेट इश्यू किये गये इस बात के कि गाडिया लुहार क्या हैं, उनकी समस्याएं क्या हैं, ये किस तरह कार्य करेंगे और इनको अब रिहेबिलिटेट किस तरह करना है ? पेम्फलेट इश्यू होते हैं। उस पर दस्तखत होते हैं, एक श्री शान्तिलाल गुप्ता और दूसरे डाइरेक्टर साहब के, नाम उनका मैं नहीं जानता। पर उस प्रोसेशन को नियन्त्रित करने वाले जो थे उन्होंने कहा कि इसमें इनके नामों की बजाय राजस्थान सरकार की तरफ से राजस्थान सरकार का नाम होना चाहिये था, डाइरेक्टर ऑफ बैकवर्ड क्लासेज़ का नाम नहीं होना चाहिये, ऑफिस सुपरिन्टेन्डेन्ट के नाम से नहीं होना चाहिये। इस पर जो कुछ थोड़े-बहुत उन्होंने पेम्फलेट बांटे, उन्हें लोगों के हाथों से छीनकर वापिस इकट्ठा कर लिया गया। इसके बाद में उन्होंने तरकीब निकाली कि उन नामों पर ब्लैक स्याही पोत दो। उन पेम्फलेटों को प्रेस को वापिस दिया। उन नामों पर स्याही पोत दी गई, पर उस स्याही में अगर आप देखेंगे तो साफ लिखा हुआ दिखाई देगा शान्तिलाल गुप्ता और डाइरेक्टर का नाम। यह मैं भूल गया, उनका नाम क्या है ? अपने नाम पर स्याही पोत कर राजस्थान सरकार दिखलाने में डाइरेक्टर साहब ने इतनी जल्दी बताई कि वहां वे काम में वक्त पर नहीं लिये जा सके और फिर यहां जयपुर में आकर उनको तकसीम किया गया। जहां इस

[श्री भैरोंसिंह]

काम के लिए तीस-चालीस हजार इस तरह से बरबाद किया गया वहां उनको ७५ हजार रुपया देना, इसका भी इसी प्रकार से दुरुपयोग होगा। पहले तो कहते हैं सामाजिक कार्यों पर खर्च होता है, पर उनकी निगाह में जबरदस्त समाज की जो सेवा है, उसका यह नमूना है। मैं कहूंगा कि इसी तरह ७५ हजार की सेवा का नमूना होगा। इसका तो जिक्र न हो तो अच्छा है।

अन्त में मैं रिक्वेस्ट करूंगा मेरे माननीय मन्त्रीगणों से कि जो मैंने चीजें प्रस्तुत की हैं, उन पर गौर फरमा कर और जो कुछ मैटीरियल चीजें हैं, वे चाहें तो वे चीजें मुझसे ले लें और उनकी जांच करवा कर उन्हें ठीक करने की कोशिश करें तो अच्छा है।

श्री मोहनलाल सुखाडिया (मुख्य-मंत्री)—माननीय अध्यक्ष महोदय, बजट पर चर्चा का आज चौथा रोज़ होता है। मैं समझता हूं कि इस बार बजट पर किस प्रकार की चर्चाएं हुईं, वे बजट पर कम होकर आक्षेप-प्रत्याक्षेप और जैसे प्लेटफार्म-स्पीचेज़ होती हैं, उस प्रकार के भाषण ज्यादा हुए। लेकिन क्योंकि वे कुछ खास मक़सद से किये गये थे, मैं आपसे क्षमा चाहूंगा कि मुझे उनके मामले में नम्रतापूर्वक कुछ बातें स्पष्ट करनी पड़ेंगी।

सबसे पहले तो मैं आम कुछ उसूलों की बात कहूंगा। उस पर आने से पहले जो छोटी-मोटी बातें कही गई हैं, उस पर कुछ कह दूं तो ज्यादा उपयुक्त होगा।

श्री मथुरादासजी की चिट्ठी को लेकर काफी वाद-विवाद सदन के अन्दर खड़ा किया गया। काफी भावनाओं को ऊंचा उठाने का प्रयत्न किया गया और कोटा से आने वाले माननीय मित्र जब कह रहे थे कि रिव्युअर्स और हैड रिव्युअर्स ने जिस किताब को रिजेक्ट कर दिया, उस किताब को इस चिट्ठी के कारण डाइरेक्टर ने लागू करके इतने हजार रुपये का फायदा पहुंचाने की कोशिश की। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रकार का कोई आक्षेप आता है तो उसके प्रति मैं काफी सजग हूं और जो माननीय सदस्य कहते हैं, उसके खिलाफ जांच करना आवश्यक समझता हूं कि माननीय सदस्यों को उसके तथ्यों से अवगत कराया जाय। मैं समझता हूं कि वास्तविकता यह है कि जो रिव्युअर्स की कमेटी बैठाई गई थी, उन रिव्युअर्स की कमेटी ने अपनी रिपोर्ट २१-१२-५२ को अपनी तरफ से दे दी और उस रिपोर्ट के अन्दर उन्होंने उसको बेस्ट बुक, यह रिमार्क देकर उस किताब को रिकमन्ड किया। उसके बाद हैड रिव्युअर्स के सामने वह किताब गई और उसके अन्दर उन्होंने अपनी रिपोर्ट के अन्दर नम्बर २ बेस्ट बतलाकर आगे फॉरवर्ड किया। जो कमेटी, टेक्स्ट बुक कमेटी, जिसके डाइरेक्टर भी मेम्बर थे और जो रिपोर्ट हैड रिव्युअर्स ने भेजी; उस रिपोर्ट की डेट ८-१-५३ है और जिस मथुरादासजी की चिट्ठी का जिक्र किया जा रहा है, उसकी तारीख १०-१-५३ है। हैड रिव्युअर्स और रिव्युअर्स ने अपनी रिपोर्ट २१-१२-५२ और ८-१-५३ को भेजी है और जो रिपोर्ट भेजी है उसकी मैंने आपके सामने वस्तुस्थिति रखी है। उस रिपोर्ट के बाद कमेटी ने वह किताब गवर्नमेंट के सामने रिकमन्ड करके भेजी।

तीन जोन्स (Zones) में राजस्थान को डिवाइड किया हुआ था। उन तीन जोन्स में से

[श्री मोहनलाल सुखाड़िया]

दो जोन्स में इस किताब को लागू किया जाय और एक जोन के अन्दर एक दूसरी किताब को लागू करने की सिफारिश की गई थी; उसके मुताबिक निर्णय किया जाय। २ जोन्स में इस किताब को लागू किया जाय और एक जोन के अन्दर एक दूसरी किताब को, जिसका कि ११९६ नम्बर था उसको लागू किया था ; लेकिन टेक्स्ट बुक्स के संघ में जैसो कि उसमें गड़बड़ हुई है और उसके ऊपर इन्क्वायरी कायम की गई, उसके परिणामस्वरूप जो ११९६ नम्बर की किताब थी उसके ब्लेकलिस्ट किया गया और उसके ब्लेकलिस्ट करने की वज़ह से इस किताब को तीनों जोन्स के अन्दर लागू किया गया। यह वस्तुस्थिति है जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। रिकमन्डेशन्स जो हुई हैं, डेटवाइज़ आपके सामने रखी हैं। उनसे स्पष्ट हो जाता है कि रिव्युअर्स और हैड रिव्युअर्स की रिपोर्ट के आधार पर यह हुई है। रिकमन्डेशन के विपरीत होने पर इस लेटर के इन्फ्लुएन्स करने में क्या पार्ट-प्ले किया है; मैं समझता हूं कि इससे ज्यादा मैं इस वाद-विवाद के अन्दर नहीं पड़ना चाहूंगा। इससे सारी स्थिति जो है वह आपके सामने स्पष्ट है।

दूसरी बात यह है कि बात-चीत के दौरान में कहा गया है कि बेलट पेपर्स के बारे में अभी चर्चा यहां पर की गई। यह कहा गया है कि बेलट पेपर्स छपवाने में मिनिस्टर का हाथ रहा है। माननीय अध्यक्ष, मैं समझता हूं कि अच्छा होता कि उतनी बात न कही जाती। फिर जो तथ्य सदन के समक्ष पेश किये गये हैं उसमें एक कोई श्री आर० के० गुप्ता हैं, उनकी चिट्ठी को रखा गया है और उसको आधार बनाकर मंत्री को बीच में लाने का प्रयत्न किया गया है। मैं समझता हूं कि किसी ऑफिसर ने चिट्ठी लिखी, उसका कारण जानना होगा। मैं इस बात को समझ नहीं पाया कि चिट्ठी में खास-तौर से लिखा है कि रेड इंक में बेलटपेपर तैयार किये जायं। अगर मैं गलत नहीं समझा हूं तो उस चिट्ठी में इस प्रकार की बात है। यह संभव हो सकता है कि बेलट पेपर्स तैयार कराये गये हों कि जिससे लोगों को समझा सकें कि बेलट पेपर किस प्रकार का होता है, इंक का स्पेशयली इसमें जिक्र किया गया है, वर्ना यह हो सकता हैं कि जैसे बेलट पेपर्स दूसरे पब्लिश किये गये हैं, वैसे ही हजारों बेलट पेपर्स छपवाकर भेज दिये जायं। इंक के स्पेशयली मेन्शन करने का प्रश्न क्यों आता ? वर्ना यह कहा जा सकता था कि वैसे ही एक हजार बेलट पेपर्स मेरे पास चुपचाप भिजवा दिये जायं। तो यह जाच की बात है। मैं आश्वासन दिलाना चाहता हूं कि इसकी जांच कराऊंगा, यदि इस प्रकार की ज़ो बातें यहां पर लाते हैं, उन बातों को यहां पर लाने के बजाय मुझसे कह देते तो उसकी जानकारी मैं निश्चित तौर से प्राप्त करता। यह मानकर चलें कि कोई भी जैसा पिछले समय में मैंने इस सदन में कहा था, जबकि मेरे माननीय मित्र कुम्भारामजी के सम्बन्ध में जो अखबार में छपा था, उस बात को किये हुए १०-१२ रोज हो गये हैं, कि बजाय अखबारों में निकालने के असली चीज को मेरे सामने रखते तो मैं एक्शन लूंगा। दुःख के साथ, माननीय अध्यक्ष, मैं कहता हूं कि इतना अरसा रखा गया, लेकिन कोई मेरे सामने नहीं आये जो आकर असली चिट्ठी देते और इन चीजों को सामने रखते। चूंकि यह सरकार कायम हो गई है और बहुत बड़ी गड़बड़ हो; न मालूम क्या होने वाला है, इस प्रकार का वातावरण पैदा करना उपयुक्त प्रतीत नहीं होता है। नोटिस देकर कार्यवाही करने के लिए हम हमेशा तैयार हैं।

अभी कुछ बातें और कही गई और वह भी एक व्यक्तिगत बात कही गई। उसके सम्बन्ध में मैं निवेदन करूंगा कि वह एक बहुत जिम्मेदार बात है।

[श्री मोहनलाल सुखाड़िया]

माननीय मित्र ने कहा कि ७५ हजार रुपये माणिक्यलालजी वर्मा को क्रिमिनल ट्राइब्स के के लिए दिये। वह एक व्यक्ति को देना उचित नहीं है। माननीय अध्यक्ष, दुर्भाग्य यह है कि भारत सरकार ने यह गलती की है कि श्री माणिक्यलाल वर्मा के लिए एक लेटर आया कि उन्हें ७५ हजार रुपये, जिसका कि मेन्शन बजट में आया है, इस काम के लिए दिये गये हैं। हमारे माननीय मित्र को इस पर ऐतराज़ हुआ, किन्तु जिसको भारत सरकार उपयुक्त समझती है उसको देती है।। (राज्यपक्ष की ओर से करतलध्वनि) भारत सरकार की तरफ से यही नहीं करोड़ों रुपये आज के दिन दिये जाते हैं। मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं कि एक सोश्यल वेलफेयर बोर्ड है, जिसके बजट के अन्दर शायद ६ करोड़ रुपये हैं। वह सारा बजट हेन्डिल किया जाता है वहां के सोश्यल बोर्ड द्वारा; जिसकी अध्यक्षा आपको मालूम है, श्रीमती दुर्गाबाई देशमुख हैं। वह कोई ऑफिशियल पोजीशन नहीं रखती हैं, लेकिन वे सारी चीजों पर खर्च करती हैं। आपको मालूम है कि खादी और विलेज़ इन्डस्ट्री बोर्ड पर जो करोड़ों रुपये खर्च किये जा रहे हैं, उनके चेयरमेन हैं श्री वैकुण्ठ भाई, जो कि सारे भारतवर्ष में खादी और विलेज इन्डस्ट्री बोर्ड के करोड़ों रुपये खर्च करते हैं। उसी भारत सरकार की तरफ से भारत-सेवक-समाज को एक एजेन्सी बनाया गया है, जिसके जरिये करोड़ों रुपये हिन्दुस्तान के अन्दर खर्च किये जा रहे हैं। मैं समझता हूं कि श्री माणिक्यलाल वर्मा को जो रुपया मिला है, उसका ऐतराज़ नहीं होना चाहिए। गैर सरकारी उपयुक्त व्यक्ति के जरिये एक कार्य आप कराते हैं तो अपने आप में आत्म-विश्वास कायम होता है। मैं जानता हूं कि किन कारणों की वजह से यह ऐतराज़ उठता है, क्यों उठना चाहिये?

जल-बोर्ड के सम्बन्ध में भी काफी कहा गया, बड़े जोर-शोर से कहा गया। मेरे एक माननीय बुजुर्ग मित्र इस हद तक पहुंच गये; जो शब्द नहीं दोहराना चाहूंगा। उन्होंने कहा कि सरकार इस प्रकार की हो गई है कि वह खर्च नहीं कर सकती है, तो अच्छा हो कि उनको सारा सौंप देना चाहिए। बहुत-सारी चीजें वे नहीं कर पाये हैं। उन शब्दों को दोहरा दूं तो अनुपयुक्त नहीं होगा। वे शब्द हैं कि 'हिंजड़ी'' सरकार हो गई है तो उसको इससे काम नहीं लेना चाहिए...

डॉ० श्री मंगलसिंह—गलत बात है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—नपुंसकता की बात है।

डा० श्री मंगलसिंह—वह कृष्ण-अर्जुन की बात है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—कृष्ण-अर्जुन की बात कही गई?

डा० श्री मंगलसिंह—दोनों शब्दों में बहुत फर्क है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—मैं इन शब्दों की आशा मेरे बुजुर्ग नेता से नहीं करता था। मैं अर्ज करना चाहता हूं कि आज पंचायत एजेन्सी के जरिये पिछले ५ महीनों के अन्दर

Page No.48

[श्री मोहनलाल सुखाडिया]

हमने इसी जल-योजना के ऊपर करीब ४ लाख के आस-पास पैसा खर्च किया पंचायतों के जरिये। उसके मुकाबले में आज हम ५ महीनों में करीब १५ लाख रुपया खर्च कर चुके हैं (राज्यपक्ष की ओर से करतलध्वनि)। इस पर जैसा कहा, जो इसको विशेषण लगायें यह आपकी इच्छा की बात है, लेकिन इस अरसे में इतना किया गया है। मैं इस बात को नहीं समझा कि हम रचनात्मक कार्य करने वाले व्यक्तियों से या और लोगों से सहयोग प्राप्त करते हैं, और-और लोगों के सहयोग से इस रकम को खर्च करना चाहते हैं तो उसके अन्दर ऐतराज क्यों है? जबकि उसकी व्यवस्था इस प्रकार की है, नियम इस प्रकार के हैं, जो जानने वाले जानते हैं कि जो पैसा खर्च किया जायगा तो एक एक पैसे का हिसाब ऑडिटर को या एकाउन्टेन्ट को चेकिंग करने का राइट होगा। कलेक्टर का पूरा चेकिंग उस पर है। योजनाएं कलेक्टर के चेयरमेनशिप में बनेंगी। उस कमेटी के अन्दर स्वायत्त शासन सेक्रेटरी, पञ्चायत के ऑफिसर और दूसरे लोग हैं। यह बात बता दी गई है। यह काम जहां कि पञ्चायतें करने को तैयार होंगी, वहां पर पञ्चायत एजेन्सी के जरिये ही किया जायगा, लेकिन जहां पर पञ्चायत अब तक नहीं बनी है या बनने पर भी पञ्चायत आपसी गड़बड़ के कारण इस काम को करने को तैयार नहीं है, उस जगह बोर्ड की तरफ से व्यवस्था की जायगी। तो मैं नहीं समझता कि इससे ऐतराज क्यों है?...

कु० श्री जसवन्तसिंह—माफ करें, मैं आपको बीच में इन्टरप्ट कर रहा हूं। मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं। ऑब्स्ट्रक्शन से मतलब नहीं है। इस सम्बन्ध में एक माननीय सदस्य ने यह फरमाया था, मेरा जहाँ तक ख्याल है मथुरादासजी ने यह फरमाया था कि जहां पर पंचायतें काम करने को तैयार होंगी वहां तो पचायतें काम करेंगी और जहां गड़बड़ के कारण पंचायतें काम नहीं करेंगी, वहां सरकार द्वारा चलाया जायगा। यह गड़बड़ क्या है? इसका स्पष्टीकरण चाहता हूं।

श्री मोहनलाल सुखाडिया—पंचायतों की गड़बड़ का इसमें कोई लेनदेन नहीं है। पंचायतों का बहुमत चाहे विरोध में हो, लेकिन पंचायत कमेटी, यदि यह कहे कि हम काम करने को तैयार हैं तो वह काम उसके द्वारा कराया जायगा। गड़बड़ की वजह से किसी को इजाजत दी जाय और किसी को रिजेक्ट किया जाय, यह भेदभाव नहीं है। कोई अगर यह समझे कि राजनैतिक हित होगा तो वह गलती है। इस योजना को तैयार करके कार्यान्वित करने में जो कुछ किया गया है, वह केवल इस उद्देश्य से किया गया है कि गांव वालों को इससे फायदा हो और आनेवाले वर्ष में ८०-६० लाख रुपये इस काम के लिये उनको खर्च करना है। अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मैंने इस सम्बन्ध में भारत सरकार के व्यक्तियों से भी बातचीत की है और उन्होंने मुझसे कहा कि हम वादा करते हैं कि आप यदि इतना रुपया खर्च कर देते हैं तो हम आपको करोड़ या दो करोड़ रुपया और देंगे, आप गांवों में पानी का इन्तजाम करें। मैं निवेदन करूंगा कि पानी की योजना के लिये सरकारी और गैर सरकारी लोगों की सहायता से और सहयोग से हम अधिक से अधिक लोगों को फायदा पहुँचाने के लिये इस योजना को व्यापक रूप से करने के लिये तैयार हैं। आशा यह की जा सकती है कि हम जो काम कर रहे हैं, वह अच्छा काम है। सोसाइटीज़ कोई काम करती हैं और वह अच्छा काम नहीं होता है, यह बात नहीं है। खुद संस्थाओं को ८०-६० परसेन्ट रुपये दिये जाते

[श्री मोहनलाल सुखाडिया]

हैं, जिनका हिसाब उनको रखना होता है। भारत सरकार को हमने लिखा था कि क्रिमिनल ट्राइब्ज के लिये रुपये हमको दे दो, लेकिन भारत सरकार ने श्री माणिक्यलालजी वर्मा को इस काम के लिये रुपये दिये। ७५ हजार रुपये ऊपर से उनके नाम से सेंक्शन कर दिये जाते हैं तो कौन से मूल-भूत सिद्धान्तों में गड़बड़ हो गई, जिससे यह कहा जाय कि यह गलत सिद्धान्त है ? इस बोर्ड की योजना को स्वीकार करने के लिये जब रचनात्मक कार्यकर्त्ताओं की मीटिंग बुलाई गई थी तब श्री श्रीमन्ननारायणजी अग्रवाल यहां मौजूद थे और उन्होंने खुद इसकी सराहना की थी। तो यह योजना गलत नहीं है। मैं सौराष्ट्र के बारे में बात कहूंगा। ढेबर भाई जहां से आये हैं उन्होंने कहा कि हर चीज़ के लिये स्टेचुटरी बोर्ड बनाइये और सरकारी लोगों और रचनात्मक कार्यकर्त्ताओं से काम लेकर योजना को पूरा करना चाहिए। तो फिर कौन से उसूलों की बात है जिसके लिये कहा जाता है कि गलत कार्य किया जा रहा है। इस सारी चीज के पीछे उद्देश्य क्या है ? रुपया एक भी कार्यकर्त्ताओं के पास रहने की व्यवस्था नहीं है। रुपये सारे चुकाये जायेंगे, सारी सरकारी एजेन्सीज के जरिये। जो जल-बोर्ड के कार्यकर्त्ता होंगे वे वहां जाकर देखेंगे कि कहां पानी की जरूरत है। वे पंचायतों को कार्य करने के लिये तैयार करेंगे, गांव वालों को तैयार करेंगे और दूसरे व्यक्ति जो मदद दे सकते हैं उनको तैयार करेंगे और इस प्रकार सबसे सहयोग लिया जायगा और जहां रुपयों का सवाल है, रुपये उनके द्वारा खर्च नहीं किये जायेंगे। बहुत से व्यक्ति जो आपस में गड़बड़ कराते हैं वे यह कहें कि यह गलत है, वह गलत है तो यह बेजा है।

श्री जसवन्तसिंह—मुझे इसमें संतोष है।

श्री मोहनलाल सुखाडिया—आप तो खुश होंगे ही।

इस पर बहुत वादविवाद हुआ। काफी अरसे से यह प्रश्न चल रहा था इसलिये कुछ मुद्दे की बातों को स्पष्ट करने की जरूरत समझी।

अब मैं आगे चलता हूं। जोबनेर कॉलेज का प्रश्न इतना व्यापक हो गया है कि सारी क्षेत्रीय भावना जुड़ गई है। जोबनेर कॉलेज के बारे में हमारे कुछ माननीय मित्र जो कल हमारे साथ थे, उनको शायद ख्याल है कि जोबनेर कॉलेज को उठाने का निर्णय पिछली सरकार के समय में किया गया था। (करतलध्वनि) तथ्य की बात में आज कहना चाहता हूं। जोबनेर के प्रश्न को लेकर इतनी बड़ी आवाज क्यों उठाई जाती है ? मैं कहना चाहता हूं कि कल यह कहा गया था कि जोबनेर कॉलेज की चारों क्लासेज़ वहां से उठाकर उदयपुर में शुरू की जा रही हैं और इस कॉलेज को उठाने की साजिश है। इस कॉलेज को उठाने का निर्णय पहले ही हो चुका था, फिर भी हमने यह कहा कि जो कॉलेज चलाना चाहें तो जो मदद पहले दी जाती थी, वह देते रहेंगे। लेकिन मैं जानता हूं कि ठाकुर साहब की जो स्थिति जागीर रिज़म्पशन से पहले थी वह अब नहीं है, उनको मुश्किल हो सकती है। पहले ठाकुर साहब हमेशा मुआवजा मांगते थे कि जितने मकान हैं, जमीन है उनकी कीमत देनी होगी। मेरे पास उनका लिखित पत्र पड़ा हुआ है, जिसमें उन्होंने कहा कि इस कॉलेज को लेंगे तो आपको मुआवजा देना पड़ेगा, वहां की ईंट-ईंट और पत्थर-पत्थर के लिये आपको

[श्री मोहनलाल सुखाडिया]

मुआवजा देना पड़ेगा। यह निश्चित बात है कि वहां की एक-एक चीज का मुआवजा देकर सरकार उसको ले तो उसको १३ लाख रुपये खर्च करने पड़ेंगे। जिस कॉलेज की बात कही जाती है उसके लिये युनिवर्सिटी का ऑर्डर है कि इसके अन्दर अगले वर्ष ६वीं कक्षा में लड़कों को नहीं ले सकेंगे। वहां के हाई स्कूल को भी बन्द कर दिया गया है। वहां के लिये यह ऑर्डर है कि फर्स्ट इयर क्लास में लड़कों का एडमिशन नहीं हो सकेगा और फर्स्ट इयर एग्रीकल्चर में भी लड़कों का एडमिशन नही हो सकेगा, यह युनिवर्सिटी का फैसला है। उसको लेकर सरकार आज इन्टर आर्ट्स चलावे और बी० एस० सी० एग्रीकल्चर चलावे, यह कहां तक उचित है ? यह बात नहीं होनी चाहिये। फिर भी मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि हमारा कोई इरादा नहीं है कि उदयपुर में चारों वर्षों की पढ़ाई खोलें और इसको नष्ट करें। वहां पर पहले वर्ष की क्लासेज़ चालू की जायेंगी और इस कॉलेज के मामले को सहानुभूतिपूर्वक हल करने को हम तैयार हैं। (करतलध्वनि) पहले वहां के ठाकुर साहब और ट्रस्ट ने लिखकर दिया था कि हम बिना मुआवजे के देने को तैयार हैं, उस पर हमने दो ऑफिसर मुकर्रर किये थे कि वे इसकी जांच करें कि हम कितना मुआवजा दे सकते हैं, उसके अटेच्ड कितनी जमीन है, कितने एपरेटस हैं आदि बातें बताई जायं, उस पर क्या खर्चा करना पड़ेगा, रेकरिंग और नॉन रेकरिंग ये सब बातें बताई जायं। इसके बाद उनकी प्रिलिमिनरी रिपोर्ट आ गई है। उसको अभी मैं सदन के सामने नहीं रखना चाहता इसलिये कि ठाकुर साहब की तरफ से एक डेपुटेशन आया था, जिससे कल बातें हुई थीं। डेपुटेशन वालों ने कहा कि हमको सुना नहीं गया, इसलिये रिपोर्ट में लिखी पूरी बातें सच्ची नहीं हैं। जो यनिवर्सिटी की कही हुई बातें हैं या वास्तविकता के आधार पर जो बातें थीं वे मैंने आपके सामने रखी हैं। यह कहना कि हम उसको खत्म करना चाहते हैं, क्षेत्रीय भावना से लेना चाहते हैं तो मैं समझता हूं यह उपयुक्त नहीं है। वहां ले जाने का निर्णय क्षेत्रीय भावना से किया, यह कहना भी ठीक नहीं है।

कल एक मित्र ने उदयपुर के क्षेत्रीय भावना की चर्चा की। जयपुर में मेडिकल कॉलेज रखने का फैसला पक्का किया गया और जितने रुपये खर्च करने हैं, वे दिये गये। फिर यह सवाल उठा कि युनिवर्सिटी यहां कायम रहे तो उसका भी समर्थन किया है। बीकानेर में वेटरनरी कॉलेज खोला गया है, जोधपुर में इंजीनियरिंग कॉलेज है। उदयपुर में एग्रीकल्चर कॉलेज खोलने का जब प्रश्न आया तो यह कहा जाता है कि क्योंकि मैं चीफ मिनिस्टर उदयपुर का हूं, इसलिये मैं वहां एग्रीकल्चर कॉलेज खोलना चाहता हूं। तो मैं यह कहूंगा कि जितनी बातें वहां के लिये उपयुक्त हैं, कम से कम उतनी तो वहां होनी ही चाहिए। (करतल ध्वनि)

कल एक प्रश्न में उदयपुर के पॉवर हाउस के मामले में कहा गया कि एक मंत्री ने वहां पर आन्दोलन कराया और साथ-साथ यह कहा कि मैं यह चाहता हूं कि ५-७ लाख रुपये कंपनी वालों को ज्यादा मिलें। क्या यह तथ्य है कि कंपनी के खिलाफ आन्दोलन में भी मेरा हाथ रहा और कंपनी को ज्यादा रुपया भी मैं दिलाना चाहता हूं ? ये दोनों तरह की बातें कैसे मेल खाती हैं, यह सोचने की बात है।

कहा यह गया कि नहीं देते हैं, दूसरा पॉवर हाउस शुरू कीजिये और हमारे माननीय मित्र

[श्री मोहनलाल सुखाडिया]

वादा करके आये कि यह नहीं लिया गया तो दूसरा पॉवर हाउस वहां कायम कर देंगे। इसके अलावा ज्यादा डिटेल में मैं नहीं जाना चाहता।

आज के दिन भारत सरकार के द्वारा सब जगह बिजली के विकास के लिये रुपया दिया जाता है तो जहां गैर सरकारी प्राइवेट कारखाना बिजलीघर को चलाता है, उनके विकास के लिये भी किसी तौर से किसी हालत में तैयार नहीं हैं और जबकि चम्बल की मूल योजना मेवाड़ और कोटा गवर्नमेन्ट में बनाई जा रही थी, उस वक्त भी चम्बल योजना में उदयपुर नहीं आता था और यहां प्रश्नों के उत्तर में कहा गया है कि इस चम्बल योजना में आता है और आज तक उदयपुर चम्बल योजना में नहीं आता है और प्राइवेट आदमी जो पॉवर हाउस चलाता है, वह कहता है कि मैं जो कुछ दे रहा हूं उससे एक किलोवाट भी ज्यादा नहीं दे सकता, जो कुछ मैं बढ़ा चुका हूं उससे ज्यादा नहीं बढ़ा सकता और वहां ही नहीं, सब जगह बिजली के विकास के लिये भारत सरकार पैसा देती है, तो इन सब सूरतों के होते हुए भी महज़ इसलिये कि मैं वहां का हूं इसलिये वहां की बिजली के विकास के लिये रुपया नहीं लगाया जाय, यह कैसी बात है? माफ कीजिये नाराजगी अगर हो तो मुझ से हो सकती है पर किसी जगह की जनता के ऊपर उस नाराजगी को निकालना ठीक नहीं। महज़ इसलिये कि मैं वहां का हूं इसलिये जो सबको मिल रहा है, वह उदयपुर को उन सब मुसीबतों के होते हुए भी नहीं दिया जाय, यह कम से कम मुझसे नहीं हो सकता। (करतलध्वनि)

श्री सोहनलाल भटनागर—ढाई करोड़ में से कितना रुपया मंजूर किया है उदयपुर डिस्ट्रिक्ट के लिये ?

श्री मोहनलाल सुखाडिया—बजट में दिया हुआ है, बजट के आंकड़ों से देख सकते हैं। तो यह पॉवर हाउस का प्रश्न डेढ़ वर्ष से चल रहा था और निर्णय नहीं हुआ। मेरे खुद के आने के बाद में तो फूंक-फूंक कर कदम रखता हूं कि कहीं कोई माननीय सदस्य कभी कुछ का कुछ न कह दें।

श्री जसवन्तसिंह—You are more clever,

श्री मोहनलाल सुखाडिया—अब दूसरी बात कही गई सर्विसेज़ के लिये, इसके बारे में बहुत कहा गया। यह कहा गया कि सर्विसेज़ में पोलिटिकल (पोलिटिक्स) का मेल नहीं होना चाहिये, प्रेशर नहीं होना चाहिए। बहुत से तो हमेशा कहते हैं, उन्होंने कहा और बहुत से हमेशा नहीं कहते हैं, उन्होंने भी कहा। अभी मैं चीफ मिनिस्टर हूं, पहले कोई भी चीफ मिनिस्टर थे, उनसे पहले कोई दूसरे चीफ मिनिस्टर थे—तभी से हमेशा से बराबर यही कहा गया है। कभी इस मामले में नहीं कहा गया हो और मेरे समय में ही यह कहा गया हो तो समझा जाय कि अब की बार ही कहा जा रहा है; तो यह क्यों नहीं समझा जाय कि यह तो हमेशा कहा जाता है।

श्री मुक्तिलाल मोदी—अभी कुछ ज्यादा हो रहा है साहब, इसलिये ज्यादा कहा जा रहा है।

श्री मोहनलाल सुखाडिया—नहीं जी, यह तो हमेशा से कहते रहे हैं। माननीय अध्यक्ष, मैं निश्चित तौर पर कह सकता हूं कि आज सर्विसेज़ की सीनियोरिटी को पूरी तौर से माना गया है। मेरे इस चीज को लेने के बाद मुझे कोई ५ उदाहरण बता दें कि क्षेत्रीय भावना से, क्षेत्रीय आधार पर ५ आदमियों को, दूसरे इलाके वालों से सुपरसीड कर दिया गया हो। कोई भी ५ उदाहरण दे दें। केवल निराधार बातें कहने से कोई मतलब हल नहीं होता। मैं फैक्ट्स पर चलता हूं।

कोई भी सीनियर है, इस पर वह सिलेक्ट कर लिया गया है; फिर वह चाहे किसी जगह का रहने वाला हो और चाहे किसी जाति का हो। मुझे उदाहरण बताये जायं कि किसी जाति के व्यक्ति को डिमोट कर दिया गया हो और उसकी जगह किसी जाट को प्रोमोट कर दिया गया हो।

एक माननीय सदस्य—अभी चाहेंगे या बाद में ?

श्री मोहनलाल सुखाडिया—बाद में भी मौके मिलेंगे।

आर० ए० एस०, आर० जे० एस०, आर० पी० एस० की मेन सर्विसेज़ हैं; इनमें से किसी एक का भी उदाहरण दे दें। कोई छुट-पुट टेम्परेरी एपॉइन्टमेंट के लिये कहे तो वह अलग प्रश्न है; परन्तु एक चीज के कहने के लिये व्यापक आधार तो होना चाहिए। मैं आज जानता हूं इस बात को कि हमें आपस में इस भेदभाव को नहीं फैलाना है। जो क्षेत्रीयता और जातीयता का प्रचार करते हैं, मुझे क्षमा करें वे जिम्मेदार होंगे राजस्थान में जातीयता का भेदभाव फैलाने के, जातिवाद फैलाने के। यह जातिवाद का नारा कि अमुक वर्ग को लाभ पहुंचाया जा रहा है, अगर बार-बार दोहराया गया तो निश्चित समझिये कि यह दूसरे वर्ग के दिलों पर असर करेगा और यह वर्गवाद और जातिवाद के संघर्ष के बीज बोने वाला है। आप बार-बार कहते रहिये कि फलां वाद, जातिवाद फैलाया जा रहा है तो इसका दूसरे लोगों पर असर होगा। इन बातों को जातिवाद और और वादों के नाम पर कहने के बजाय अगर तथ्यों को लेकर कहते कि फलां व्यक्ति पर ज्यादती की गई और कारण मालूम करते कि क्यों ऐसा किया गया, वाकई में किया गया या नहीं, तो फिर यह देखते कि किस आधार पर किया गया; इन चीजों को लेकर चलते तो अच्छा रहता।

जयपुर ऑक्ट्रोय को लेकर सदन में तरह-तरह की बातें कही गईं। जहां तक जयपुर का ऑक्ट्रोय का प्रश्न है—मैंने पहले भी कहा है कि केवल गजट में नोटिफिकेशन निकालना ही काफी नहीं, गवर्नमेंट ने इसके लिये एक कमेटी बिठाई है और मैं आपको सूचित कर दूं कि उस कमेटी की रिपोर्ट सरकार के पास आ चुकी है और उस पर सरकार द्वारा विचार किया जा रहा है। जो कुछ ऑक्ट्रोय यहां लगाई जायगी वह सारे तथ्यों पर, जो (तथ्य) कमेटी ने दिये हैं, उन पर विचार करने के बाद ही निर्णय किया जायगा। दूसरों को बिना सोचे लाभ उठाने का मौका नहीं दिया जायगा।

यहां पर कीमतों के गिरने के बारे में भी कहा गया। यह सही है कि एग्रीकल्चर कॉमोडिटीज़ की कीमतें गिर रही हैं और इसमें कोई दो रायें नहीं हो सकतीं। इस पर श्रीमान् राजप्रमुख के भाषण पर बहस के दौरान में बहुत-सी बातें कहीं थीं। मैं आज फिर कहना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में हम पूरी तरह से जागरूक हैं। यह केवल राजस्थान सरकार से ताल्लुक रखने वाला प्रश्न नहीं है, भारत

[श्री मोहनलाल सुखाड़िया]
सरकार से भी यह सम्बन्धित है। भारत सरकार के मंत्री से भी इस सम्बन्ध में बात-चीत की है और आगे भी इसको किसी प्रकार से रोका जावे, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को राहत पहुँचाई जावे; खासकर किसानों का ध्यान कि भाव ऐसे नहीं गिर जावें कि जिससे उन लोगों के काम-काज के आधार और आर्थिक स्तर एकदम कम न हो जावें।

दूसरी बात यह कही गई कि पहले एक चीफ सेक्रेट्री था और अब एक और एडीशनल चीफ सेक्रेट्री कर दिया गया है; जिससे खर्चा बढ़ाया गया है। माननीय अध्यक्ष, मैं एक चीज निवेदन करना चाहता हूं। सेक्रेटेरिएट का टोप एडमिनिस्ट्रेशन है। वहां खर्चा इस बात पर आंका जाता है कि गवर्नमेंट सारा खर्चा जो करेगी उसका कितना अनुपात इस टोप एडमिनिस्ट्रेशन पर पड़ता है। आज इस वर्ष में जितना खर्चा हम करने जा रहे हैं और उधर जो खर्च होने वाला है, उसका मुकाबला करेंगे तो आपको मालूम होगा कि खर्चा बढ़ा नहीं है। जब उनको एडीशनल चीफ सेक्रेट्री मुकर्रर किया तो उसके साथ-साथ एक सेक्रेट्री कम किया और उस कम किये हुए के स्थान पर एक एडीशनल चीफ सेक्रेट्री को प्लानिंग के लिये नियुक्त किया और वह इसलिये कि दूसरी पंचवर्षीय योजना के लिए प्लान बनाना है और वह सबसे महत्वपूर्ण काम है ताकि हम सब समय पर प्लान तैयार कर सकें। इसके लिए उपयुक्त ऑफिसर को लेने और उस प्लान को तैयार कराने के लिए ऐसा किया गया। इस दृष्टि से हमने यह एरेन्जमेंट किया है, ताकि काम जल्दी हो सके। इसके सिवाय कोई दूसरा दृष्टिकोण हमारा नहीं था। मैं यह कहूंगा कि यह बात तो आपको पसन्द करनी चाहिये। आपको ताज्जुब होगा कि हम तो यह करने जा रहे हैं कि फाइनेन्स डिपार्टमेंट के साथ एक डिप्टी फाइनेन्स सेक्रेट्री प्लानिंग के लिये लगा रहे हैं। ताकि वे प्लानिग के पेपर रुटीन में नहीं पड़े रहें और जल्दी डिसपोज़ ऑफ हो सकें वे ज्यादा टाइम तक न रुका करें और अप्रेल के भेजे हुए कागज़ात नवम्बर और दिसम्बर में सेंक्शन होकर न भेजने पड़ें। कुछ रुपया इसके लिए खर्च होगा, मगर इसके लिये वह इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन काम इससे कैसे स्पीड-अप (speed up) हो सकते हैं, इसको सोचने का प्रश्न रहा है। आपके सामने इस सम्बन्ध में असली स्थिति पेश की है।

ट्रान्सफरों की बाबत कहा गया कि लम्बी लिस्ट निकली है, लेकिन यह माननीय सदस्यों को मालूम होना चाहिये कि लम्बी लिस्ट निकली, उसका कारण क्या था ? ११ या १५ जागीर के लिये डिप्टी कलेक्टर अलग अलग जगह मुकर्रर किये गये ताकि सारा का सारा काम देखें। जब ११ व्यक्तियों की किसी जगह पोस्टिंग करते हैं तो उनकी जगह ११ दूसरे आदमी आवेंगे और इस तरह से उस सारी लिस्ट पर उन ११ व्यक्तियों के पोस्टिंग का असर होना जरूरी था, लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि उनके सिवाय आज से ५ महीने होने वाले हैं, कोई बतावे कि जो अधिकारी; जैसे एस० पी० और कलक्टर आदि समझे जाते हैं उनमें कितनी लम्बी लिस्ट निकली और कितनों को इन्फ्ल्युएन्स करने की कोशिश की गई। आप कह रहे हैं कि सारा रद्दोबदल हो गया; सारा आसमान और जमीन बदल गये, तो मुझे आश्चर्य इस बात पर जरूर होता है। मैं समझता हूं कि बजट के मामले पर अगर कोई विरोध की बात हो तो जरूर कहिये; कही गई। मगर कहने वालों की भाषा में कुछ अन्तर जरूर आया था। लेकिन इन तथ्यों को अगर हम पूरी तौर से देखें तो मैं समझता हूं कि

[श्री मोहनलाल सुखाड़िया]

बजट के विरोध में इतनी बातें नहीं कही गई थीं। विरोध जरूर था। अब मैं इन बातों के ज्यादा विस्तार में पड़ना नहीं चाहूंगा। लेकिन एक बात मेरे माननीय मित्र ने सोश्यल पेटर्न वाली बड़े मुद्दे की कही और एक सदस्य ने कहा कि जागीरदारों में विश्वास उठता जा रहा है, सर्विसेज़ में विश्वास उठता जा रहा है। कहां कहां विश्वास उठता जा रहा है, अगर वे बताते तो ज्यादा अच्छा होता। इसका पता वे राजस्थान में घूम-कर लगाते तो ज्यादा अच्छा होता। मैं जैसा हमेशा कहता आ रहा हूं—जहां सेवा-भाव की बात है, मैं तो इन तथ्यों के आधार पर एक बात रखना चाहता हूं कि हमें काम करते अधिक अर्सा नहीं हुआ। इस अर्से के बीच में जो लोक-हित के कार्य हैं, उन कार्यों में गति आई है। पूरे तीन सालों का व्यौरा यहां कहा गया। उसके लिये सारी जिम्मेदारी मुझ पर है, मैं मानता हूं। इस प्रकार क्रिटिसाइज़......

श्री मुक्तिलाल मोदी—ज्यादा मज़बूत बन जावेंगे और ज्यादा काम करेंगे।

श्री मोहनलाल सुखाडिया—मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं कि जहां तक जागीरदारों का सवाल है वे और हम हर महीने सारी सिचुएशन को रिव्यू करते हैं और इसके लिए कमेटी मुकर्रर है। कई अर्से पहले लोगों को कम्पेन्सेशन नहीं मिला था उनको मिलना शुरू हो गया और कुछ को मिल जावेगा। हमने पंत-फैसले को बराबर निभाया है और आगे भी निभावेंगे। हममें किसी के कारण से कोई भी उतार-चढ़ाव नहीं आया है। इस मामले में किसी कारण से किसी बात में न पड़कर गवर्नमेंट किसी बात को एक दफे तय करती है तो उसको अपना फर्ज समझ कर पूरा करती है। सोश्यल पेटर्न के बारे में लोगों ने नाम लिया।

श्री वेदपाल त्यागी—अभी तक सोश्यल पेटर्न एक्सप्लेन नहीं हुआ है।

श्री मोहनलाल सुखाडिया—इसका बड़ा......

कु० श्री जसवन्तसिंह—हम समझना नहीं चाहते।

श्री मोहनलाल सुखाडिया—सोश्यल पेटर्न, दरअसल जैसे कोई कहे ए० बी० सी० डी० सोश्यल पेटर्न की हो, यह समझना मुश्किल है। हम यह कहें कि सोश्यल पेटर्न का बजट है, यह ठीक नहीं। हमारा उद्देश्य इनके मूल को, सोश्यल पॉलिसी को मुख्य आधार बनाना है। लेबर काम करते हैं उनके बारे में जो इन्ट्रेस्टेड लोग होते हैं और मनी इन्वेस्ट करते हैं उन सब के इन्ट्रेस्ट को वाच करना और प्रॉफिट को कन्ट्रोल करने का काम मुख्य होता है। उसका स्थान हमारे बजट में है। जमीन के बारे में एक वर्ग दूसरे पर असर करता है, वह स्थिति अब नहीं रही। लोग मेहनत करते हैं और अधिक से अधिक फायदा उठाने का उनको अधिकार है। आज सर्विसेज़ के बारे में शिकायत हुई। यह चीज नहीं होगी। यह सोश्यल पेटर्न से सम्बन्धित न होकर मानव-स्वभाव से ज्यादा जुड़ी हुई है।

(टेबल थपथपाने की आवाज)

सोश्यल पेटर्न के अन्दर जर्मनी के सोश्यल पेटर्न को भी जोड़ा गया है। मैं यह कहूंगा कि

[श्री मोहनलाल सुखाड़िया]

that was really Fascism; इसलिये इस हद तक प्रश्न पैदा नहीं होता । हम यहां पर डेमोक्रेसी के जरिये सोश्यलिज़्म लाने का प्रयास कर रहे हैं । इसमें ज्यादा से ज़्यादा आदमियों को मजदूरी मिले । भारतवर्ष में वह दिन आवे, जब हर एक व्यक्ति को रोजी मिले । समाज में ऊंच और नीच का भेदभाव नहीं रहे । ये मुख्य आधार समाजवादी व्यवस्था के होंगे, न कि दूसरी बातें जो कही गई हैं। वे इस पेटर्न के आधार होंगे ।

लेकिन उस आधार पर, माननीय अध्यक्ष आप क्षमा करें, अगर कभी उदयपुर डिविजन के भीलों के बारे में कुछ किया जाय तो सोश्यलिस्टक पेटर्न वालों को वह बात पसन्द नहीं आयगी ।

(हंसी)

वे कहेंगे कि क्षेत्रीय भावना आयगी, चाहे वे लोग कितने ही पिछड़े हुए रहें । जो आंकड़े बताये गये वे भारत सरकार के हैं । वह पसन्द नहीं आयंगे और बातें करेंगे सोश्यलिस्टक पेटर्न की । माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अर्ज करूं कि मैं स्वयं समझता हूं और इस बात के अन्दर अधिक से अधिक विश्वास रखने वाला हूं और जो-जो भी विभाग रहे हैं मेरे पास, हमने यह प्रयत्न किया है कि समाज के अन्दर शोषण को कम से कम करें । अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा कहना चाहता हूं कि इस राजस्थान सरकार को बने सात साल के करीब होने आ गये हैं, इन सात सालों में जो राजस्थान के मिल्स हैं, टेक्सटाइल मिल्स हैं, उनमें और माइका की मजदूरी जो मेरे द्वारा कायम की गई थी फॉर्मर राजस्थान में उससे एक इञ्च आगे नहीं बढ़ी है । किशनगढ़ में स्ट्राइक चला, एक सुखाड़िया अवार्ड, उसे दुनिया बुरा कहती है, वहां आज कायम है और मिनियम वेजेज़ आज राजस्थान में चलते आ रहे हैं । हम सोचते हैं कि राजस्थान के अन्दर एक इन्क्वायरी कमेटी सेट-अप की जाय गवर्नमेंट द्वारा कि मिनियम वेजेज़ में क्या पॉलिसी होनी चाहिए और क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए ।

हमारे समाज में हरिजनों को पतित समझा गया, जुल्म किये गये । आपने श्रीमन् राजप्रमुख के भाषण में देखा है कि हमने चला कर हरिजनों को गजटेड पोस्ट पर, क्वालिफाइड हरिजनों को स्थान दिया ताकि समाज में यह स्थिति दूर की जाय और यह बताया है कि हरिजन भी ऑफिसर्स हो सकते हैं ।

(राज्य-पक्ष द्वारा करतल-ध्वनि)

इस तरह से हम मुख्य आधार पर तो नहीं जाना चाहते; केवल इधर-उधर कह कर मुख्य बातों की ओर ध्यान नहीं देते ।

एक बात और कही गई है माननीय मित्र द्वारा जो कि मुझ से ताल्लुक रखने वाली है । मैं निवेदन कर दूं कि पूरी जानकारी नहीं, कि करौली की किसी गफूरन बाई के लिए ज़िक्र किया गया और मैं अर्ज कर दूं कि थोड़ी जानकारी सही दें । श्री वेंकटाचार के जमाने में एक फैसला हो

[श्री मोहनलाल सुखाड़िया]

गया था, उसके आधार पर वह रखी गई है। अगर मेरे जमाने में फैसला हुआ होता तो मैं वादा करता हूं कि वह रकम रद्द कर दी जायगी। बस, इतना ही कहना चाहता हूं।

(राज-पक्ष द्वारा करतल-ध्वनि)

श्री अध्यक्ष—श्री कुम्भाराम।

(विपक्ष द्वारा 'हियर, हियर' एवं करतलध्वनि)

श्री कुम्भाराम आर्य (स्वायत्त शासन मन्त्री)—माननीय अध्यक्ष महोदय, तीन दिन से...

कु॰ श्री जसवन्तसिंह—चार दिन से...

श्री कुम्भाराम—श्रावण की सी वर्षा देखकर मेरा मन भी मोर बन गया।

कु॰ श्री जसवन्तसिंह—इसलिए एक दिन उड़ा गये।

श्री कुम्भाराम—किस बात को किस जगह से प्रारम्भ किया जाय? इस सारी लीला को देखकर चला जाय तो मेरे भाषण के लिए तीन चार घण्टे चाहिए। फिर भी मैं श्रीमानों से अर्ज कर देना चाहूंगा कि कुछ समय अधिक लग जाय तो आप लोग ऐतराज नहीं करेंगे।

कु॰ श्री जसवन्तसिंह—शाम को और हो जाय।

श्री कुम्भाराम—सबसे अधिक जो आपत्ति और आक्षेप की बातें रही हैं, वे पञ्चायतों के कार्य को लेकर हाउस के सामने आयीं और दूसरी बातें जल-बोर्ड का नाम लेकर हाउस के सामने आयीं। मैं हाउस को यह बतला देना चाहता हूं कि जल-बोर्डों की जो व्यवस्था आज से पहले थी, इस जल-बोर्ड के पहले जो व्यवस्था थी उसमें कोई खास परिवर्तन नहीं किया गया है, किसी अधिकारी को उसमें कम नहीं किया गया है और इस तरह की किसी की अदला-बदली करने में इस प्रकार की व्यवस्था नहीं की है। सुपरविजन जिसको कहते हैं, पहले से कम हो जाय। हमारे पञ्चायतों के जरिये से यह पानी का काम चलता था और अब भी यह व्यवस्था है कि पञ्चायतों के जरिये से यह व्यवस्था चले। जिस जगह की पञ्चायत में यह कार्य करने की क्षमता नहीं होती, उस जगह उन पञ्चायतों द्वारा दूसरी कमेटी बन सकेगी और पञ्चायतों द्वारा यह काम नहीं चल सकेगा तो उस जगह के लिए दूसरे आदमियों को लिया जा सकता है। इस तरह की व्यवस्था है; इसलिए है कि साधारणतया पञ्चायतें यह कार्य करेंगी और विशेष स्थिति में साधन जुटाये जाकर उनके द्वारा यह हो।

पहले यह कार्य अकेले चीफ पञ्चायत ऑफिसर के अन्तर्गत चलता था और अनुभव में आया कि तीन साल में चार लाख रुपया खर्च हुआ जब कि रुपया एक करोड़ है। उस सारे रुपये को पंचवर्षीय योजना में समाप्त करना चाहते थे और हम चाहते थे कि और भी रुपया पंचवर्षीय

[श्री कुम्भाराम आर्य]

योजना में केन्द्र से प्राप्त कर सकें और जो पानी की समस्या है, उसको अधिक से अधिक हल करने में कामयाब हो जायं। इस दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए हमने चीफ पंचायत ऑफिसर के साथ एक बोर्ड भी बनाया है। इस बोर्ड में चीफ पंचायत ऑफिसर हैं, स्वायत्त शासन के सेक्रेटरी हैं और अर्थ विभाग के डिप्टी सेक्रेटरी भी हैं। इस तरह से यदि आप इस बोर्ड को देखेंगे तो पता चलेगा कि जहां पहले चीफ पंचायत ऑफिसर ही था वहां अब स्वायत्त शासन विभाग के सेक्रेटरी, डिप्टी फाइनेन्स सेक्रेटरी और मिनिस्टर हैं ही। इतना सुपरविजन रखने के बाद भी कुछ एम० पी०, कुछ एम० एल० ए० और कुछ सार्वजनिक कार्य-कर्ता और लिए गए हैं। इस प्रकार का इन्तजाम बोर्ड का होते हुए भी इस पर यह कहा गया कि ऐसी एजेन्सी के हाथ में काम चला गया जो प्राइवेट एजेन्सी कहलाती है, रुपयों का दुरुपयोग होगा, ठीक नहीं। एक माननीय सदस्य ने चिन्ता प्रकट की और प्रमाण भी पेश किया कि इस तरह की खयानत मेरे जिम्मे भी लग गई थी। मैं उन्हें याद दिलाना चाहता हूं कि वह खयानत मुझे याद है प्राइवेट एजेन्सी के कारण नहीं, सरकारी मुलाजिम के कारण लगी थी। इस उदाहरण को किसी प्राइवेट ऐजेन्सी पर लगाया, वह ठीक नहीं बैठता।

श्री कंवरलाल जेलिया—मैं जानकारी चाहूंगा।

श्री अध्यक्ष—Order please!

श्री कुम्भाराम—वार्टर-बोर्ड के लिए यह शंका करना उचित नहीं कि काम नहीं होगा।

श्री कंवरलाल जेलिया—आपकी आज्ञानुसार...

श्री अध्यक्ष—(घंटी) मैं आज्ञा नहीं देता।

श्री कुम्भाराम आर्य—जिले के पंचायत ऑफिसर पहले अकेले जल-व्यवस्था के इन्चार्ज थे? उस पंचायत ऑफिसर की जगह उसी पंचायत ऑफिसर को रखा गया है, साथ में कलेक्टर को भी रखा गया है और उसके साथ-साथ एक-दो कार्यकर्ताओं को भी रखा गया है, जिनमें एम० एल० एज भी और सार्वजनिक कार्यकर्त्ता भी हो सकते हैं। यह इस तरह की एक अब कमेटी बनी हुई है, आप देखेंगे तो प्रतीत होगा कि एक की जगह अब तीन-चार आदमी हैं। जो सुपरविजन की बात कही गई है, उसके लिए अर्ज करूंगा कि कलेक्टर जैसी हस्ती का हाथ रहेगा तो उस हालत में यह समझना कि पैसे का दुरुपयोग होगा, मैं उसको ठीक नहीं समझता। रही टेक्निकल चैक करने की बात। मैं समझता हूं कि यदि नियमों को पढ़ा जाता, जो कि सरकार ने नियम बनाये हैं तो इस प्रकार की शंका नहीं रहती। उसमें साफ लिखा है कि दस हजार से कम की रकम के काम को छोटी स्कीम समझा जाय और दस हजार से ऊपर बड़ी स्कीम होगी। बड़ी स्कीम इन्जीनियर और ओवरसियर द्वारा चलायी जायगी और छोटी स्कीम में भी यदि हम चाहेंगे तो इन्जीनियर और ओवरसियर्स का योग ले लेंगे। पहले काम चलाता था—वह सब का सब जिला पंचायत ऑफिसर्स की निगरानी में चलता था। जहां एक जिला अधिकारी काम करता था वहां जब इन्जीनियर्स रखे हैं, कलेक्टर्स हैं, एम. एल. एज को शामिल किया गया है और इस तरह से इस काम के करने में मजबूती

[श्री कुम्भाराम आर्य]

आयी है। इस तरह की कोई बात नहीं है कि ऐसा समझें कि ऐसा करने से कमी आयगी। इसके मूल में जो चीज है वह यह है कि हमारा रुपया अधिक से अधिक लगे और उनको लगाने के लिए हमने यह बोर्ड बनाया है और उनको लगाने के लिए जिलों के बेसिस पर कमेटियां बनायी हैं और इस पैसे को व्यय करने के लिये सार्वजनिक कार्यकर्त्ताओं का योग लिया गया; इसमें असेम्बली के मेम्बर्स भी हैं, पार्लियामेन्ट के सदस्यों का भी इसमें सहयोग लिया गया और सब मिलकर इस तरह का स्वरूप बना है जो सब प्रकार से सन्तोषजनक है। इसके लिये यह कहना कि असेम्बली के मेम्बर्स का इसमें प्रतिनिधित्व नहीं, यह गलत है। मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि इसमें धारा-सभा के मेम्बरों का भी प्रतिनिधित्व है। तीन या चार मेम्बर धारा-सभा के हैं, तीन मेम्बर पार्लियामेन्ट के हैं; इस तरह कुछ कांग्रेस के कार्यकर्त्ता भी हैं, कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं को भी इसमें शामिल किया गया है, कुछ रचनात्मक काम करने वाले भी लोग इस बोर्ड में हैं। इस तरह से २३ आदमियों का यह बोर्ड बनाया गया है। इसमें तीन सरकारी आदमी भी हैं; एक तो चीफ पंचायत ऑफिसर, दूसरे स्वायत्त शासन विभाग के सेक्रेटरी और फाइनेन्स सेक्रेटरी और मिनिस्टर इन्चार्ज भी उसमें शामिल हैं। इस तरह के बोर्ड के लिये यह कहा जाय कि इसमें सबका प्रतिनिधित्व नहीं और जिस तरह से कहा गया, वह वाजिब नहीं है। इसके साथ-साथ यह सोचकर चलना कि पैसे का दुरुपयोग होगा, यह कतई सही नहीं है। जिस पैसे का हम इतने दिन उपयोग नहीं कर पाये, उसका उपयोग हम कर लें ताकि हमको भी इस कार्य के लिये आगे पैसे मिलते रहे ताकि हम राजस्थान में पानी की जो कठिनाई है उसको किसी हद तक दूर करने में कामयाब हो सकें।

श्री कंवरलाल जेलिया—इसमें हरिजनों का तो प्रतिनिधित्व है नहीं ?

श्री कुम्भाराम आर्य—इसमें हरिजनों का प्रतिनिधि नहीं, मुसलमानों का प्रतिनिधि नहीं, ईसाइसियों का प्रतिनिधि नहीं, सिक्खों का प्रतिनिधि नहीं और इस तरह के प्रतिनिधित्व के लिये इसका निर्माण भी नहीं किया गया। वर्ग को प्रतिनिधित्व देने के लिये यह बोर्ड कायम नहीं किया गया, पानी की समस्या को हल करने के लिये इसकी व्यवस्था की गई है।

श्री कंवरलाल जेलिया—जब कि राजस्थान के मन्त्री-मंडल में हरिजनों का प्रतिनिधित्व है तो इसमें भी होना आवश्यक है !

श्री कुम्भाराम आर्य—अगर हरिजन इस बोर्ड का काम अच्छी तरह कर सकें तो हम हरिजनों को भी दे सकते हैं, लेकिन ऐसी स्थिति नहीं है।

श्री हरिशंकर सिद्धान्त-शास्त्री—हरिजन तैयार है !

कुं० श्री जसवन्तसिंह—आप इनका चेलेन्ज स्वीकार कीजिये।

श्री कुम्भाराम—वाटर बोर्ड के बारे में इतना स्पष्टीकरण कर देना इसलिये आवश्यक था कि

[श्री कुम्भाराम आर्य]

जो कुछ भी किसी भी सदस्य के मन में शंका होगी, वह दूर हो जायगी और मैं आपको यह भी आश्वासन दे सकता हूं कि इसमें किसी भी प्रकार से पैसे का दुरुपयोग नहीं होगा। इसके सुपरविजन की इस तरह की व्यवस्था रखी गई है जिसमें पैसे का दुरुपयोग होने की कतई गुंजाइश ही नहीं रहेगी। जो पंचायतें यह काम करेंगी, उनको पैसा देने के लिये पूरा चेक रखा गया है। हमने यह भी चेक रखा है कि आखिरी किश्त का कुछ पैसा बाकी रखा जायगा, वह पैसा तभी दिया जाय जबकि कलेक्टर यह तसदीक कर दे कि इतना काम सही तरीके पर पूरा हो गया है। सही तौर से तसदीक के लिये कलेक्टर्स की सहायता के लिये इन्जीनियर्स और ओवरसियर्स की भी व्यवस्था की गई है। वे इस काम की देख-रेख करेंगे और कलेक्टर की इस काम में मदद करेंगे। इस तरह से यह शंका रखना कि पंचायतों ने काम ठीक नहीं किया तो पैसा बरबाद हो जायगा, इस तरह से यह शंका नहीं रहेगी। पंचायत की बात लेकर भी यह कहा गया कि इसमें जातिवाद का प्रचार हो रहा है, इसके अन्दर क्षेत्रीय भावना बढ़ती जा रही है। जातिवाद की बात के बारे में मैं नम्रतापूर्वक निवेदन कर देना चाहता हूं कि आपको इस बात को समझना चाहिए; नारे के लिये नारा नहीं लगाना चाहिये; जैसे एक मारवाड़ी में कहावत है "गैला गांव मत बालजे भली चितारी" किसी गैले के जान-बूझकर दिमाग में यह बैठाना कि तुम में ताकत है, तुम में शक्ति है, तुम इसके लिये समर्थ हो; तो यह उनको एक प्रकार से गलत रास्ते पर ले जाना होगा। इस प्रकार की बात गलत स्लोगन है। जिनके दिमाग में इस प्रकार की भावना कूट-कूट कर भरी हुई है वे ही ऐसी बातें बोलते हैं। ये ऐसी परम्परायें कायम कर रहे हैं जो कभी हमारे प्रान्त के लिये लाभकारी सिद्ध नहीं हो सकतीं। इसलिये मैं यह प्रार्थना करना चाहता हूं कि इस तरह के नारों से हमें बचना चाहिये। मैं यह राजस्थान के लिये दुर्भाग्य समझता हूं कि ऐसी बातें मुझे सुनने को मिलती हैं। जहां कहीं जाट पंच बन गया, वहां के लिये कह दिया जाता है-यहां जातिवाद खड़ा हो गया। आप सोच सकते हैं कि जहां जाटों की संख्या अनन्त होगी, वहां से जाट क्यों नहीं आयगा ? जिन स्थानों पर जिनकी संख्या अधिक होती है, वे सब कामों में ज्यादा मिला ही करते हैं। आप बीकानेर के राजनैतिक आन्दोलन को ले लीजिये। आप वहां के जेल रजिस्टर को जो उस समय था, मुलाहिजा करेंगे तो पता चलेगा कि जेल में जाने वालों में ज्यादा संख्या जाटों की है। इसी प्रकार अगर काश्मीर में मुसलमान मुख्य मंत्री है तो उसका मतलब वहां जातिवाद थोड़ा हो गया ? वहां मुसलमानों की पोपुलेशन ज्यादा है, वहां जो कोई कमेटियां बनती हैं, उनमें मुसलमानों का प्रतिनिधित्व ज्यादा रहता है। जो जाति जिस जगह ज्यादा संख्या में है, यह कुदरती सवाल है कि जब वोट का सवाल आयगा तो उन्हीं को ज्यादा वोट मिलेंगे। इस तरह का नारा लगाना आज भले ही वर्तमान पीढ़ी के लिये आप ठीक समझते हों, किन्तु आगे आने वाली पीढ़ी के लिये यह गड्ढा खोदने वाला होगा।

कुं० श्री जसवन्तसिंह—यह आप किसके रेफरेन्स पर कह रहे हैं ?

श्री कुम्भाराम आर्य—श्रीमान्जी, जिनके दिमाग में ऐसी बातें हैं।

कुं० श्री जसवन्तसिंह—मेरे दिमाग में तो ऐसी बात नहीं है।

श्री कुम्भाराम आर्य—आपके दिमाग के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता।

इसलिये मैं आपसे निवेदन कर देना चाहता हूं कि इस नारे को बुलन्द नहीं किया जाय; जतिवाद, जाटवाद, ब्राह्मणवाद, बनियावाद आदि बातें कहना, अब हमें यह भुला देना चाहिये। आज हम इसको फैलने देंगे तो हमें इसका फल भोगना ही पड़ेगा, आने वाली पीढ़ी भी इसके परिणामों से वंचित नहीं रह सकेगी। हमें तो यह करना चाहिये कि योग्य आदमी हों, वे ही आगे आवें; चाहे वे किसी भी जाति के हों।

आप यदि पंचायतों के चुनाव को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें हरिजन भी सरपंच चुनकर आये हैं और नम्बरदार नहीं आ सके हैं। ऐसी हालत में नम्बरदार को यह नाराज़गी होना कि मैं अपना फैसला कैसे हरिजन से कराऊं ? उसको नाराज़गी हो सकती है, क्योंकि वह रूढ़िवाद में पला है। आज वह रूढ़िवाद का जमाना चला गया। आज समय इस प्रकार का है कि जिन लोगों को बहुत दबाया गया, वे आज ऊंचे उठ रहे हैं, उनको ऊंचा उठते हुए देखकर हमें नाराज़गी नहीं होनी चाहिये। आपको तो यह चाहिये कि आप उनका हाथ पकड़कर ऊपर उठायें। लेकिन जातिवाद का नाम लेकर उनको निरुत्साहित करेंगे तो यह उनके साथ अन्याय होगा, यह आपकी उनके बारे में सद्भावना नहीं कही जा सकती। आज किसी भी जाति की मोनोपोली नहीं, अगर किसी के दिमाग में यह बात हो तो उनको यह दिमाग से निकाल देना चाहिये; तभी वे इस दिशा में कामयाब होंगे। हां, यह बात सही है कि पंचायतों के अन्दर उतार-चढ़ाव आये हैं। कुछ लोगों की जिनकी समाज में इज्जत थी, वे अपनी इज्जत इन चुनावों में नहीं रख पाये हैं। मैंने नोखा इलेक्शन को देखा है। वहां के चुनाव में एक सरपंच जो चुनकर आया, वह हरिजन है। ठाकुर साहब एक तरफ खड़े हैं हरिजन के मुकाबले में, पंच नहीं बन सके।

कुं श्री जसवन्तसिंह—इसमें हमको तो एतराज़ नहीं।

श्री कुम्भाराम आर्य—किसी को एतराज़ तो नहीं, किन्तु मन में जलन जरूर है। एतराज़ तो इसलिये नहीं कि कानून बन गया है। जैसे मारवाड़ी में कहावत है "कालजो होली लेवे"। मैं यह कहना चाहता हूं कि हम लोगों के समाज में एक नई कूंपल पैदा हो रही है। जो दबे हुए लोग थे, उनके अंकुर फूटते जा रहे हैं। वे समाज पर कब्जा नहीं करने के लिये बल्कि उन लोगों के दिमाग को ठीक करने के लिये बढ़ते जा रहे हैं; जिन लोगों ने आज तक उनको दबाये रखा, जो आज तक सामाजिक तौर से दबे हुए थे। आर्थिक तौर से दबे हुए थे या सामाजिक तौर से दबे हुए थे, वे आज उठ रहे हैं तो आपको नाराज़गी नहीं होनी चाहिये। पचायतों के चुनाव हुए उनमें आज पुराने लोगों की मोनोपोली नहीं रह पाई है, लोगों की नम्बरदारी चली गई है। जो लोग यह सोचते थे कि हमारा कब्ज़ा इसमें रहना चाहिये उनको इसे भले ही नाराज़गी हो सकती है, लेकिन अब उनकी नाराज़गी ज्यादा दिन चलने वाली नहीं है। मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि पंचायतों के बारे में हम सोच-समझ कर चल रहे हैं। इससे यह जरूर है कि चन्द आदमियों के हाथ से नम्बरदारी चलती नजर आ रही है। और आप लोग उठ रहे हैं; इसके लिये आप बड़े आदमियों को तो

Page No.61

[श्री कुम्भाराम आर्य]

आशीर्वाद देना चाहिये। आज वसुन्धरा करवट ले रही है। उस करवट के साथ-साथ आपको भी बदलना चाहिये। समाज के अन्दर उलट-फेर हो रहा। चुनाव के लिये यह भी कहा गया कि चुनाव की घोषणा नहीं की गई और कई जगह घोषणा करके बदल दी गई।

मैं फिर हाउस के सामने पेश होकर कह सकता हूं कि जितने सदस्य महोदय शिकायत करने को खड़े हुए हैं, उनमें से एक सदस्य ने भी आकर मुझे यह नहीं कहा कि आपके नीचे इस तरह की गड़बड़ी हो रही है और आप उनको ठीक करिये।

एक आदमी भी अगर खड़ा होकर यह कह दे कि मैं एक ऐसा आदमी हूं कि जिसने मुझे यह कहा हो।

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु—मैंने आपसे कहा है।

श्री कुम्भाराम आर्य—आपने चिठ्ठी लिखी और उसका जवाब आपको मिल गया।

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु—मैंने घर पर पहुंच कर एक दरख्वास्त आपको दी थी।

श्री कुम्भाराम आर्य—मैं दरख्वास्त की बात मानता हूं और उसका जवाब आपको मिल गया, आप मानते हैं।

श्री अवनिकुमार—आपके जवाब से सन्तोष नहीं हुआ होगा माननीय सदस्य को।

श्री कुम्भाराम आर्य—यह बात अलग है। सन्तोष हारने वाले को नहीं होता। उसको सन्तोष नहीं होता, इसलिये विरोध करना उनका कर्तव्य-सा बन जाता है और कर्तव्य समझ कर अगर विरोध करना है तो फिर करें।

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु—क्या सरकार इसकी खुली जांच कराने को तैयार है?

श्री कुम्भाराम आर्य—सिवाय एक मेरे माननीय सदस्य के और किसी की यह हिम्मत थी नहीं कि वह कुम्भाराम को कह दें कि फलां जगह काम गलत हो रहा है, इसे ठीक कर दें।

कुं० श्री जसवन्तसिंह—अगर कह दें तो क्या हो?

श्री कुम्भाराम आर्य—सन्तोष दिला सकूं। क्योंकि जिम्मेदारी हमारी थी, इसलिए यह सन्तोष दिलाना कि गलती नहीं हुई और गलती हुई वह तो ठीक कर दी जावेगी, हमारा कर्तव्य हो जाता है। इसलिए मुझे नहीं कहकर हाउस में यहां आकर कहना शुरू करना कि वहां तो उलट-पुलट हो गया, कतल हो गया, लोग जेल चले गये, प्रलय हो गया; इससे मैं तो यही समझता हूं कि सिवाय हाउस का वातावरण बदलने के उसमें कोई तथ्य नहीं है। अगर पंचायतों में ऐसी बातें होतीं तो इस तरह की शिकायतें बाद में भी आतीं। फिर भी मैं आपको यह आश्वासन दे सकता हूं कि

[श्री कुम्भाराम आर्य]

जब भी अगर कोई ऐसी शिकायत हो तो आप निःसंकोच मुझसे आकर कहें। मैं उन्हें दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा।

कुं० श्री जसवन्तसिंह—हजारों तो नहीं, दर्जनों तो अब भी ऐसे मामले हम आपको बता सकते हैं जिनमें जान-बूझ कर ऐसी गड़बड़ियां की गई हैं, पक्षपात किया गया है। आप मौका दें तो हम आपकी सेवा में हाजिर होंगे।

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु—जिन नामों के गांव ही नहीं हैं, उनसे मेम्बर कहां से आ गये ? यह तो छोटी-सी बात है।

श्री कुम्भाराम आर्य—मैं ऐसी सब बातों की जांच करने के लिए तैयार हूं और अगर कोई गांव रह गया है तो यह जनरल इलेक्शन था, इसमें रह जाना सम्भव हो सकता है। केन्द्रीय और प्रान्तीय जो आम चुनाव हुए थे, उनमें भी गांव के गांव रह गये थे। आप बताइये, उन गलतियों को दुरुस्त किया जा सकता है।

कुं० श्री जसवन्तसिंह—केन्द्रीय और प्रान्तीय चुनावों में ये गलतियां रह गईं तो हम भी उनकी नकल करें ?

श्री कुम्भाराम आर्य—मैं नकल करने के लिए नहीं कहना चाहता हूं। कोई ढाणी रह जावे। कोई गांव बसा है और उस गांव का नाम तो आ जावे पर ढाणी रह जावे तो इस तरह के अपवाद तो दुनिया में चलते हैं। इसको आज तक किसी ने नहीं मिटाया है। मनुष्य की शक्ति के बाहर है। वह किसी अपवाद को मिटाने का दावा करे, पर प्रकट में कोई लावेगा तो उसे ठीक करने का वादा करता हूं। पंचायतों की बात कही कि वहां उलट-पुलट हो गया। मैं यह कहता हूं कि ऐसी कोई उलट-पुलट नहीं हुई। पर हां, जो लोग कहीं आने की धुन लगाये बैठे और आ नहीं सके और इस कारण अगर नाराज़ हो गये और नाराज़ होकर अपनी नाराज़गी प्रकट करना चाहते हैं तो यह दूसरी बात है।

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु—पदमपुर के २० में से ११ में मिल जावें तो इसको गलती कहेंगे आप या जान-बूझ कर की गई गलती कहेंगे ?

श्री कुम्भाराम आर्य—आपके बारे में मुझको बहुत ज्यादा जानकारी है।

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु—मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि जो उस क्षेत्र में गांव हैं वहां के लोग अगर छूट गये हैं और २० में से ११ छूट गये हैं तो क्या आप उसको गलती मानेंगे ?

कुं० श्री जसवन्तसिंह—पर भूखों पर तो रहम करें साढ़े बारह बज गये हैं।

श्री कुम्भाराम आर्य--अध्यक्ष महोदय, बारह बजे का मुझ पर कोई असर नहीं है, दूसरों पर भले ही हो।

श्री अध्यक्ष—अब कितना और बोलना चाहेंगे आप ?

श्री कुम्भाराम आर्य—मेरे मन में तो बोलने का है ही नहीं। मैं तो बोलने के लिए मजबूर हूं।

मैं बहुत जल्दी समाप्त करूंगा, सब लोगों की अगर ऐसी इच्छा है तो। पहले मैं कह रहा था कि वाटर बोर्ड का काम कानून के अन्तर्गत है और पहले से ज्यादा व्यवस्थित है, पहले से ज्यादा सावधानी बरती जावेगी, काम पहले से ज्यादा तेजी से होगा। अगली बार हम जब यहां इकट्ठे होंगे तो आप देखेंगे की काफी काम हो गया होगा।

इसी तरह से पंचायतों की बात है। पंचायतों का चुनाव बहुत बड़े पैमाने पर हुआ है और जो हक़दार थे वे आज अपना हक पा रहे हैं। इसलिए थोड़ी बहुत नाराज़गी जिनको है उनको यह समझ कर ही चलना है कि ऐसा तो होकर रहेगा। क्योंकि आज जमाना बदल रहा है, करवट ले रहा है, जो सदियों से जिस चीज के हक़दार थे, उनको रुलाया गया, उनको उनके हक से वंचित रक्खा गया; पर आज वे अपना हक़ पा रहे हैं। तो जो हक़दार हैं वे तो पावेंगे ही। इसके लिए किसी की नाराज़गी का कोई प्रश्न नहीं है। बाकी कानून की जो गलती हो तो कानून बना है उसके अनुसार हम सबको जाना चाहिए। अगर गैरकानूनी तरीके से किसी का चुनाव हुआ है तो उसका चुनाव रद्द हो जावेगा। ऐसी बात नहीं है कि कानून के काम करने में किसी ने कोई बन्धन लगा दिया हो कि जो हो गया या कर दिया सो २१ है। इसको ठीक करने के लिए सभी कानूनी रास्ते आपके लिए खुले हैं। आप वहां जाइयेगा। जिस किसी ने गलती की है वह जरूर अनसीट हो जावेगा। मैं आशा करता हूं कि इतने शब्दों से आपको सन्तोष हो जायगा और मैं अपनी ओर से आपको यह भरोसा दिला दूं कि जैसी बात कही जाती है; वास्तव में वैसी नहीं है। यह समझ कर आप यहां से जावेंगे।

कु० श्री जसवन्तसिंह—एक पॉइन्ट समझ में नहीं आया। यह आपस में बोल-चाल हुई और आपस के जो झगड़े हुए उनका जवाब तो दिया गया है, पर बजट पर जो ऐतराज किये गये, उनका जवाब नहीं दिया गया

श्री अध्यक्ष--सभा की कार्यवाही समाप्त होती है। अब हम अगले सोमवार को ८॥ बजे प्रातः फिर मिलेंगे।

(सदन की कार्यवाही १२ बज कर ३६ मिनट पर, सोमवार दिनांक २१ मार्च १९५५ के प्रातः ८॥ बजे तक के लिये स्थगित हुई)

विधान सभा भवन,
जयपुर,
दिनांक–१९ मार्च, १९५५।

मनसाराम पुरोहित
सचिव,
राजस्थान विधान-सभा।